खण्ड–8, अंक–3
मंगलवार, 11 चैत्र, शक संवत् 1925
(01 अप्रैल, 2003 ई0)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)
(प्रथम विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2003)

(खण्ड 8 में 6 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :

उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)

2003

मूल्य :

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	...	"क"
प्रश्नोत्तर	...	1-61
जनपद देहरादून में वन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गांवों में हाथियों से बचाव हेतु सोलर अथवा इलेक्ट्रिक फैन्सिंग लगाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	61-62
प्रदेश में गुटके पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	62
जनपद पिथौरागढ़ के लोहाथल पेयजल योजना के कार्यों की गुणवत्ता की जांच के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	62
जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत कनक चौरी एवं पोखरा में क्षतिग्रस्त बिजली के तारों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	62-63
दुगड्डा चुनाधारा (पौडी) के सौंदर्यीकरण हेतु आवंटित धनराशि को उसी योजना पर लगाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	63
गन्ना विकास परिषद्, लक्सर जनपद हरिद्वार के संचालक मण्डल का चुनाव कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	63
जनपद रुद्रप्रयाग के पट्टी भरदार की नहर धारी चौरास का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	64
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	...	64
जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली विधान सभा क्षेत्र को पृथक जनपद बनाये जाने के संबंध में याचिका (उपस्थित की गई)	...	64
जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत घनसाली-घुत्तु देवलंग गंगी मोटर मार्ग के डामरीकरण के संबंध में याचिका (उपस्थित की गई)	...	64
श्री हरबंस कपूर द्वारा राजस्व मंत्री के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	...	65
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	...	66-74
उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार विधेयक, 2003	...	75
उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार विधेयक, 2003-(क्रमागत) (पारित)	...	75-113
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमागत)	...	113-132
प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्र द्वारा चयनित बेरोजगार युवकों को उद्योग चलाने हेतु बैंकों से ऋण दिलाये जाने की प्रक्रिया को सरल किये जाने के संबंध में नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव-(चर्चा जारी)	...	132
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	...	132-133
नत्थियाँ	...	134-140

उपस्थिति

1—श्री अजय भट्ट
2—श्री अनिल नौटियाल
3—डॉ० अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4—श्रीमती अमृता रावत
5—श्रीमती आशा देवी
6—श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
7—श्री उम्मेद सिंह मांजिला
8—श्री काशी सिंह ऐरी
9—श्री किशोर उपाध्याय
10—श्री कैलाश शर्मा
11—श्री कौल दास
12—श्री गगन सिंह
13—श्री गणेश प्रसाद गोदियाल
14—श्री गोपाल सिंह राणा
15—श्री गोविन्द लाल
16—श्री गोबिन्द सिंह कुंजवाल
17—श्री चन्द्रशेखर
18—श्री जोत सिंह
19—श्री तसलीम अहमद
20—श्री तिलक राज बेहड़
21—श्री तेजपाल सिंह रावत
22—श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी
23—श्री नव प्रभात
24—श्री नारायण दत्त तिवारी
25—श्री नारायण पाल
26—श्री नारायण राम आर्य
27—श्री नारायण सिंह जंतवाल
28—काजी निजामुद्दीन
29—श्री प्रकाश पंत
30—कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''
31—डॉ० प्रताप बिष्ट
32—श्री प्रदीप टम्टा
33—श्री प्रीतम सिंह
34—श्री प्रीतम सिंह पंवार
35—श्री प्रेमानन्द महाजन
36—श्री फूल सिंह बिष्ट
37—श्री बलबीर सिंह नेगी
38—श्री बिजयपाल सिंह सजवाण
39—श्री बिशन सिंह चुफाल
40—श्री भगत सिंह कोश्यारी
41—श्री मदन कौशिक
42—श्री मन्त्री प्रसाद नैथानी
43—श्री महेन्द्र भट्ट
44—श्री महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)
45—श्री मातबर सिंह कण्डारी
46—चौधरी यशवीर सिंह
47—श्री रणजीत सिंह
48—श्री रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर
49—श्री राम प्रसाद टम्टा
50—श्रीमती विजय बड़थ्वाल
51—श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी
52—श्री शूरवीर सिंह
53—डॉ० शैलेन्द्र मोहन सिंघल
54—श्री शहजाद
55—श्री साधू राम
56—श्री सुबोध उनियाल
57—श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
58—श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
59—डॉ० हरक सिंह रावत
60—श्री हरबंस कपूर
61—श्री हरभजन सिंह चीमा
62—श्री हरिदास
63—श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
64—श्री हीरा सिंह बिष्ट
65—श्री हेमेश खर्कवाल
66—श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

मंगलवार, 01 अप्रैल, 2003

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप देहरादून में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं की सम्बद्धता तथा रिक्त पदों को भरे जाने विषयक

**(1)—श्री अनिल नौटियाल—

क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की अत्यधिक कमी है तथा लगभग 50% शिक्षकों के पद रिक्त हैं?

क्या यह सत्य है कि अधिकांश शिक्षकों को एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में बिना पद व कार्यभार के सम्बद्ध किया गया है?

यदि हां, तो इनकी सम्बद्धता का औचित्य क्या है?

क्या आगामी शैक्षिक सत्र के आरम्भ से पहले रिक्त पदों को भरे जाने की दिशा में कोई ठोस कार्यवाही की जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

जी नहीं।

प्रदेश में राजकीय महाविद्यालयों में कुल प्रवक्ताओं के 883 पद सृजित हैं, जिसके सापेक्ष 570 पदों पर प्रवक्ता कार्यरत हैं तथा 313 पद सम्प्रति रिक्त हैं।

नव स्थापित राजकीय महाविद्यालयों एवं पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नव सृजित विषयों हेतु शैक्षिक हित में प्रवक्ताओं को सम्बद्ध किया गया है।

सुचारू शिक्षण व्यवस्था हेतु।

जी हां। प्रदेश में राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता के रिक्त पदों पर नियमित चयन हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजे जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अनिल नौटियाल—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि प्रवक्ताओं की सम्बद्धता की गई है, मात्र पहाडी महाविद्यालयों से मैदानी महाविद्यालयों की ओर ही की गई है, क्या यह सत्य है? मैं यह भी जानना चाहूँगा कि आगामी शैक्षणिक सत्र में कोई ठोस कार्यवाही की जायेगी रिक्त पदों को भरे जाने की। उत्तर आया है कि

प्रदेश में राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर नियमित चयन हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजे जाने की कार्यवाही प्रचलित है। माननीय अध्यक्ष जी यह सर्वविदित है कि प्रवक्ताओं की नियुक्ति लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है इसमें विरोधाभाष साफ झलक रहा है। इसमें पूछा गया है कि आगामी शैक्षणिक सत्र में कोई ठोस कार्यवाही की जायेगी? उत्तर आया है जी हां, यह माननीय मंत्री जी द्वारा शायद भ्रमित करने का प्रयास किया गया है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)–

मान्यवर, प्रदेश के 35 राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं के 883 पद सृजित हैं जिनके सापेक्ष 570 पदों पर प्रवक्ता कार्यरत हैं तथा 313 पद सम्प्रति रिक्त हैं जो कि कुल सृजित के 35 प्रतिशत हैं। रिक्त 313 पदों के सापेक्ष 206 विजिटिंग लैक्चरर की वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित मानदेय रु0 8000/–प्रति माह के आधार पर की गई है। वर्ष 2001–2002 में प्रदेश शासन की संस्तुति पर महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा 14 नये राजकीय महाविद्यालयों को अस्थायी सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की गयी थी इसके अतिरिक्त एक राजकीय महाविद्यालय शैक्षिक सत्र 2002–2003 में पौखाल (टिहरी) को अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की गयी है।

मान्यवर, नव स्थापित 15 राजकीय महाविद्यालयों में पदों के सृजन की कार्यवाही गतिमान है। शैक्षिक हित में इन महाविद्यालयों में अन्य महाविद्यालयों के सृजित पदों के सापेक्ष प्रवक्ताओं को सम्बद्ध कर पठन–पाठन का कार्य प्रारम्भ किया गया है। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में विजिटिंग लैक्चरर भी कार्यरत हैं जिन्हें कुल अंकों का अधिकतम 5 प्रतिशत अधिमान दिये जाने हेतु प्रवक्ता सेवा संवर्ग नियमावली में संशोधन की कार्यवाही गतिमान है। तदोपरान्त अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया जायेगा।

श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, मेरा उत्तर स्पष्ट नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि नए महाविद्यालयों में दूसरे महाविद्यालयों से बिना पद व कार्यभार के सम्बद्ध किया गया है। नये महाविद्यालयों के अलावा भी पुराने महाविद्यालयों में मैदानी क्षेत्र में प्रवक्ताओं को सम्बद्ध किया गया है।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, इस तरह का केश आपकी जानकारी में हों तो बता दें हम इसका परीक्षण करा लेंगे।

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

मान्यवर, जिन महाविद्यालयों में शिक्षकों को नियुक्त किया जाता है बाद में उन्हें दूसरे विद्यालयों में सम्बद्ध कर दिया जाता है, जब कि उसी विद्यालय में उस विषय का अध्यापक नहीं होता है। उस विषय को पढ़ाने वाला वहां कोई अध्यापक नहीं होता । क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था करने जा रही है कि जिस विद्यालय में अध्यापक को सम्बद्ध किया जाता है उन्हें दूसरे विद्यालय में न भेजा जाए। दूसरी बात मैं पदों के सृजन तथा रिक्त पदों के बारे में जानना चाहता हूं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, प्रदेश के 35 राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं के कुल 883 पद सृजित हैं जिनके सापेक्ष 570 पदों पर प्रवक्ता कार्यरत हैं तथा 313 पद सम्प्रति रिक्त हैं जो कि कुल सृजित के 35 प्रतिशत हैं। रिक्त 313 पदों के सापेक्ष 206 विजिटिंग लैक्चरर की वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत की गई है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में 26 पी0जी0 डिग्री कॉलेज हैं, जिनमें आवश्यकता के विपरीत कुल 40 प्रतिशत ही अध्यापक हैं और कई अध्यापकों को केवल अटैच किया गया है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं चम्बा कालेज से विजिटिंग फैकल्टी को हल्द्वानी में अटैच किया गया है। ऐसे गवर्नमेन्ट कॉलेज, ऋषिकेश से दो अध्यापकों को स्थानान्तरण किया गया, और फिर उनको वापिस लिया गया। मान्यवर, मैं डी0ए0वी0 कॉलेज के बारे में बताना चाहता हूं कि आज वहां कोई प्रोफेसर पढ़ाता नहीं है। मान्यवर, क्या कोई गृहणी परीक्षा में ड्यूटी दे सकती है?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, सरकार के संज्ञान में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, और न किसी छात्र तथा गृहणी की ड्यूटी देने की बात है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, जैसा कि सरकार का जवाब आया 14 नये महाविद्यालय खोले गये। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जो 313 पद रिक्त बताये हैं इनके विरुद्ध कितने विजिटिंग फैकल्टी के लोग कार्यरत हैं? जो आपने अपने उत्तर के आखिर में अधियाचन लोक सेवा आयोग भेजने की प्रक्रिया की बात लिखी है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं जो विजिटिंग फैकल्टी पहले से है, उनके लिए क्या कोई नीति बनायी है? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं जो अशासकीय मान्यता प्राप्त महाविद्यालय हैं, उनमें कई लोग लम्बे समय से पढ़ाते आ रहे हैं, उनके बारे में क्या निर्णय लिया है?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर चुकी हूं कि 313 पद रिक्त हैं, उनमें विजिटिंग लेक्चरार पढ़ा रहे हैं, ये नियमित नहीं हैं। मान्यवर, जो 14 राजकीय महाविद्यालयों में पद सृजित नहीं हैं, ये पिछले वर्ष 2001–2002 में खोले गये थे, इन विद्यालयों में पद सृजन की प्रक्रिया अपनायी जा रही है। मान्यवर, इन विजिटिंग प्रोफेसरों को हम नियत वेतन 8000 रुपये (आठ हजार रुपये) प्रति माह दे रहे हैं।

मान्यवर, आपने पूछा कि जो अधियाचन भेजा जा रहा है उनके लिए क्या है, तो मैं कहना चाहती हूं कि जब इनकी सेवा नियमावली में कार्य पूरा हो जायेगा तब अधियाचन में भेजा जायेगा।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, अशासकीय महाविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसरों के लिए जो शासनादेश हुआ है वह केवल 30 अप्रैल तक ही है। उनके बारे में अप्रैल के बाद क्या निर्णय होगा, कृपया यह बता दें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, अशासकीय महाविद्यालयों में पद सृजन की कार्यवाही की जा रही है। आपने पूछा कि 30 अप्रैल के बाद क्या होगा, तो मैं कहना चाहती हूं कि जब तक नियमित चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक वही लोग कार्य करते रहेंगे।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यहां प्रश्न के उत्तर में आया कि नव स्थापित राजकीय महाविद्यालयों एवं पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नव सृजित विषयों हेतु शैक्षिक हित में प्रवक्ताओं को सम्बद्ध किया गया है। तो मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि कितने प्रवक्ता सम्बद्ध हैं और किस–किस विद्यालय में सम्बद्ध हैं? और मैं यह जानना चाहता हूं कि जो अधियाचन के बारे में कार्य प्रचलित है तो इसमें सरकार ने क्या कार्यवाही की है, अधियाचन भेजा है तो कब तक भेजा है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, वहां पर शिक्षा देने के लिए सभी प्रवक्ता हैं। आपने पूछा कि कितने प्रवक्ता हैं तो इसका आंकड़ा नहीं है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, इस प्रश्न में भी स्पष्ट रूप से पूछा गया है कि अधिकांश शिक्षकों को एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में बिना पद व कार्यभार के सम्बद्ध किया गया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि कितने प्रवक्ता सम्बद्ध हैं और कहां–कहां सम्बद्ध हैं?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इस समय जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार 14 विद्यालयों में 35 प्रवक्ता सम्बद्ध हैं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि ये प्रवक्ता किस–किस विद्यालय में सम्बद्ध हैं?

श्री अध्यक्ष–

इसकी जानकारी आपको दे दी जायेगी।

प्रदेश में व्यापार कर निर्धारण एवं कर वसूली

**2–काजी निजामुद्दीन–

क्या मुख्यमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में राजस्व को बढ़ाने के लिए व्यापार कर निर्धारण एवं कर वसूली की कोई विशेष कार्य योजना बनाने पर विचार कर रही है?

यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

व्यापार कर निर्धारण एवं कर वसूली की कोई विशेष कार्य योजना बनाने की आवश्यकता नहीं समझी गयी।

काजी निजामुद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तरांचल उपभोक्ता राज्य है। इसमें बड़ी आसानी से सरकार ने जवाब दिया कि कोई जरूरत नहीं समझी जा रही है। तो क्या जो कमी उत्तर प्रदेश में रही वह यहां भी रहेगी।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपने पूछा कि प्रदेश में राजस्व को बढ़ाने के लिए व्यापार कर निर्धारण एवं कर वसूली की कोई विशेष कार्य योजना बनाने पर विचार कर रही है। तो मैं कहना चाहती हूं कि अभी नहीं हो रहा है।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, मैंने पूछा कि विचार कर रहे हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, भारत–सरकार ने "वैट" के निर्देश दिए। पूरे भारत के सभी राज्य इस पर विचार कर रहे हैं, जब इस पर विचार होगा तो उत्तर स्पष्ट कर दूंगी।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, प्रश्न था सरकार "वैट" पर विचार कर रही है या नहीं, जवाब आया "नहीं"।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपने "वैट" पर सवाल नहीं पूछा है, आपने व्यापार कर निर्धारण एवं कर वसूली की कोई विशेष कार्य योजना बनाने पर सरकार विचार कर रही है या नहीं, यह पूछा है।

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि कार्य योजना का आशय अधिकतम राजस्व की वसूली से रहा होगा, जहां तक मैं समझता हूं। कल भी मैंने यह विषय रखा था कि 17 चौकियों को खोलने का प्रावधान था, अभी तक कितनी खोली गयी हैं, और बाकी पर सरकार क्या विचार कर रही है?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूं कि क्या सरकार के पास इतना अधिक राजस्व है कि आप कोई विचार नहीं करना चाह रहे हैं? मान्यवर, हैरानी की बात है कि 1500 करोड़ रु० का घाटा है, इस घाटे को पूर्ण करने के लिए क्या सरकार सुप्त अवस्था में है, क्या सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए कोई विचार नहीं कर रही है? यह प्रदेश 1500 करोड़ रु० के घाटे में है तो इसका मतलब यह हुआ कि सरकार बिल्कुल निष्क्रिय है और इस प्रदेश का विकास नहीं करना चाहती, क्या कांग्रेस सरकार इतनी अमीर हो गयी है कि वह कोई भी कर वसूल नहीं करना चाहती है, क्या कारण है कि सरकार निष्क्रिय है?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इससे अनुपूरक नहीं बनता, परन्तु आपने जिज्ञासा व्यक्त की है तो मैं बता दूं कि जब पूरा बजट आएगा तो उसमें प्रस्तावित किया जाएगा।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, प्रयास का जिक्र तो किया जा सकता है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आय और व्यय जब बजट में प्रस्तुत होगा, उस समय प्रयास भी दिखायी देंगे।

तारांकित प्रश्न

उत्तरकाशी में सार्वजनिक स्टैण्ड पोस्ट खोलने की स्थिति

*1–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सार्वजनिक स्टैण्ड पोस्ट (जलस्तम्भ) को खोलने के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं?

यदि हां, तो जनपद उत्तरकाशी में अब तक कुल कितने सार्वजनिक जलस्तम्भ खोलकर पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है?

यदि नहीं, तो क्यों?

पेयजल मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)–

जी हां।

जनपद उत्तरकाशी में अब तक 573 सार्वजनिक जलस्तम्भ खोले जा चुके हैं। जिनसे सुचारू रूप से जलापूर्ति होती है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सार्वजनिक जलस्तम्भ खोलने के मानक क्या हैं और क्या मानक प्रत्येक जनपद में समान हैं या नहीं?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, इसमें मानक का कोई प्रश्न ही नहीं है। मान्यवर, पूर्व में उत्तरकाशी में जिन अधिकांश जलस्तम्भों को बन्द कर दिया गया था। उस समय पूर्व सरकार ने इन्हें इसलिए बन्द किया होगा क्योंकि जगह–जगह टोटियां खुली रह जाती हैं और पानी का दुरुपयोग होता रहा होगा।

मान्यवर, विभिन्न कारणों से 1008 स्टैण्ड पोस्ट सन् 1999 से 2001 तक बन्द हो गये थे। उसके अलग–अलग कारण थे। हमने पिछले 6 महीने में सारे स्टैण्ड पोस्ट खुलवा दिये हैं।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि 1008 स्टैण्ड पोस्ट हैं लेकिन इसमें 573 स्टैण्ड पोस्ट की बात कही जा रही है।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, 133 स्टैण्ड पोस्ट आज भी विभिन्न कारणों से बंद हैं और 302 स्टैण्ड पोस्ट प्राइवेट कनेक्शन के रूप में लोगों द्वारा उपयोग किये जा रहे हैं और 573 ये वो हैं जिनमें जलापूर्ति सुचारु रूप से हो रही है। इसलिए कुल मिलाकर 1008 स्टैण्ड पोस्ट पूर्व सरकार द्वारा बन्द कर दिये गये थे।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, हम इनके मानक के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, जहां–जहां इसकी मांग होती है वहां–वहां यह लगा दिये जाते हैं, जनता की सुविधा को देखते हुए।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर इन्होंने जो पूर्व की सरकार का शब्द इस्तेमाल किया इसलिए यह पूछना लाजिमी हो गया है कि कोई भी सरकार वहां पर जाकर सीधे बन्द तो नहीं कर सकती होगी। जबकि उसका कोई रीजन होता होगा जैसे क्या कारण थे? किस लिए बन्द कर दिया गया?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, कदाचित जब कुछ दिक्कतें आती हैं जैसे टोटियों का अधिकांश जगह पर रख–रखाव ठीक प्रकार से नहीं होता। इसलिए पानी का दुरुपयोग होता है। जगह–जगह टोटियां खुली रह जाती हैं। मान्यवर, इस संबंध में एक कान्सेप्ट यह भी

लाया गया था कि 5–10 परिवारों को एक स्टैण्ड पोस्ट दे दिया जाय और स्थानीय जनता को ही उन स्टैण्ड पोस्टों के रख–रखाव की जिम्मेदारी दे दी जाये ताकि पानी सुचारू रूप से पा सकें और वो लोग उसका जितना रेवन्यू बनता है मिलाकर जमा कर दें लेकिन यह भी कान्सेप्ट चल नही पाया। इसमें भी दिक्कतें आयी। इसलिए यह व्यवस्था खासकर उत्तरकाशी में की गयी जैसा कि माननीय सदस्य जी ने पहले भी कहा था कि वहां स्टैण्ड पोस्टों को खुलवा दिए जाएं। मान्यवर, हमने उनको खुलवाने का प्रयास किया है।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि स्टैण्ड पोस्टों की समस्या केवल उत्तरकाशी में ही नहीं है, समूचे उत्तरांचल में है। मान्यवर, इसको इसलिए नहीं बंद किया गया। वास्तविकता यह है यह धीरे–धीरे प्रभावशाली लोगों के प्रभाव में आकर प्राइवेट कनेक्शन का सिलसिला जारी हुआ। पानी को कंट्रोल करने की कोई व्यवस्था नहीं है फैरोल नहीं लगे हैं, इसलिए पानी प्राइवेट कनेक्शनों में जाने लगा। जिस कारण गरीब जनता को पानी नही मिल पा रहा है। चाहे वह द्वाराहाट हो या रुद्रप्रयाग सारे जगह यही समस्या है। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि इस संबंध में जनता की पानी की समस्या को देखते हुए कोई ठोस व्यवस्था की जाए।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, जहां तक स्टैण्ड पोस्ट की संख्या बढ़ाये जाने की बात है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इसके लिए मानक है कि कम से कम 100 मीटर की दूरी पर ही दूसरा स्टैण्ड पोस्ट लगाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि कहीं पर आवश्यकता हो, माननीय सदस्य बतायें वहां भी स्टैण्ड पोस्ट खोल दिया जायेगा।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के साथ रहते हुए जो हमारी ट्यूबवेल की नीति रही थी, उस नीति के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर में ट्यूबवेल लगाने की आवश्यकता महसूस नहीं की जाती है। मान्यवर, ऊधमसिंह नगर का बहुत सा हिस्सा नैनीताल से मिला हुआ है और नैनीताल जनपद में ट्यूबवेल लगाने का कार्य सरकार ने अपनी परिधि में लिया है। मान्यवर, ऊधमसिंह नगर में बहुत सी जगहों पर पानी का स्तर घट रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो नीति थी, आज उत्तरांचल बनने के बाद उस नीति को परिवर्तित करके ऊधमसिंह नगर में ट्यूबवेल लगाने की कोई योजना है?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, ये स्टैण्ड पोस्ट से ट्यूबवेल तक पहुंच गये।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न पेयजल से संबंधित नहीं है, लेकिन यदि आप जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, हमारी कोशिश है कि जिस जगह पर जिस माध्यम से पानी की सप्लाई की आवश्यकता होगी, उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी। जहां हैण्डपम्प की आवश्यकता होगी वहां हैण्डपम्प से पानी दिया जायेगा, जहां ट्यूबवेल की आवश्यकता होगी वहां ट्यूबवेल से पानी दिया जायेगा, जहां पम्पिंग सेट की आवश्यकता होगी वहां पम्पिंग सेट से पानी दिया जायेगा।

नरभक्षी बाघ से जनता की सुरक्षा

*2–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर जिला पौड़ी गढ़वाल के विकास खंड दुगड्डा के गांवों में नरभक्षी बाघ के आक्रमण के कारण कई जानें जा चुकी हैं?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा नरभक्षी बाघ से जनता की सुरक्षा हेतु कोई उपाय किये गये हैं? यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

वन मंत्री (श्री नव प्रभात)–

जी हाँ, नरभक्षी बाघ के आक्रमण से पाँच व्यक्तियों की मृत्यु हुई है,

नरभक्षी बाघ को पकड़ने/मारने हेतु वन विभाग द्वारा किये गये गहन प्रयासों के फलस्वरूप दिनांक 21–08–2002 को नरभक्षी बाघ को मार दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जब कोई बाघ कई हत्याएं कर देता है, तभी उसे मारा जाता है। लगभग प्रतिवर्ष बाघ के हमले में अनेक लोगों की जान चली जाती है। क्या सरकार इस संबंध में किसी योजना पर विचार कर रही है?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, प्रश्न स्पष्ट नहीं हुआ। जब कोई बाघ नरभक्षी घोषित हो जायेगा, तभी उस पर कार्यवाही की जायेगी। मान्यवर, माननीय सदस्या क्या जानना चाह रही हैं, कृपया स्पष्ट कर दें।

श्री अध्यक्ष–

कृपया प्रश्न स्पष्ट कर दें।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि जब कोई बाघ नरभक्षी हो जाता है और 10–12 लोगों की जान ले लेता है। उसके बाद ही उस पर कार्यवाही की जाती है। तत्काल बाघ

के नरभक्षी होते ही उस पर कार्यवाही नहीं की जाती है। क्या इसके लिए कोई व्यवस्था की गई है?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्या को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 2 महीने में 3 घटनायें हुई जो कि माह फरवरी और मार्च में हुई थीं और मई माह में इस बाघ को नरभक्षी घोषित कर दिया गया था और दिनांक 21–08–2002 को नरभक्षी बाघ को मार दिया गया था।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि बाघ को मार दिया गया है यह तो मान्यवर, तथ्य थे। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि जैसा कि माननीय सदस्या ने भी चिन्ता जाहिर की है, बाघ द्वारा जब आदमी को मार दिया जाता है तो उसे नरभक्षी घोषित कर उसे मार दिया जाता है परन्तु जब उस बाघ द्वारा मवेशियों को, पालतू जानवरों को मारा जाता है तो उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं होती अभी मेरे क्षेत्र में बाघ द्वारा कई बकरियों तथा दुधारू गायों को मार दिया गया और उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला जब कि ये जानवर किसानों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं तो क्या पालतू पशुओं के मारे जाने पर विभाग द्वारा कोई मुआवजा दिया जाता है? और दूसरा प्रश्न यह है कि जो भी 5 व्यक्ति मारे गये हैं, उनको कितना मुआवजा दिया गया?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने जानकारी चाही है मैं उनको बताना चाहूंगा कि बाघ द्वारा पशुओं को मारे जाने पर भी विभाग द्वारा मुआवजा निर्धारित किया गया है। गाय, घोड़ा एवं खच्चर हेतु 1200 रुपया, बैल के लिए 2300 रुपया, भैंस के लिए 2500 रुपया, बछड़ा आदि के लिए 600 रुपया से लेकर 150 रुपया तथा बकरी भेड़ आदि के लिए 150 रुपया दिया जाता है।

माननीय सदस्य के दूसरे प्रश्न का उत्तर में विस्तार से नाम लेकर देना चाहूंगा। इस प्रकरण में मारे गये लोगों को मुआवजा दे दिया गया है। जिसमें कु0 सभीन बानो को 25,000 रुपया, श्रीमती हकीकत बानो को 50,000 रुपया, कुसीमा को 25,000 रुपया मुआवजा दे दिया गया है। कु0 कीर्ति का लम्बित है क्योंकि उन्होंने उत्तरजीवी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किया है तथा गौरव को 50,000 रुपया मुआवजा प्रदान कर दिया गया है तथा घायलों में श्री मंगत राम को 5,000 रुपया, श्रीमती सोना देवी को 5,000 रुपया दे दिया गया है और श्रीमती विमला देवी ने आवेदन–पत्र नहीं दिया है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, यह एक अच्छी बात है कि यह मुआवजा प्रदान कर दिया गया है, लेकिन जो जानवरों के लिए मुआवजे की बात अभी माननीय मंत्री जी ने कहीं वह अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है, 6 महीने से अधिक समय व्यतीत हो गया है परन्तु उन लोगों को जिनकी पालतू मवेशियों की जान बाघ द्वारा ली गई हैं उन्हें वन विभाग द्वारा कोई सहायता राशि नहीं दी है यह जानवर कितने उपयोगी हैं। माननीय साधूराम जी यहां पर

उपस्थित हैं। आप तो जानते ही हैं कि कितने उपयोगी होते हैं ये जानवर किसानों के लिए?

(हंसी)

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप इस मुआवजे को एक जस्टिफाइड लेवल तक बढ़ाने पर विचार करेंगे?

श्री नव प्रभात–

जी हां।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तरांचल में कितने ऐसे संवेदनशील इलाके हैं, जहां पर नरभक्षी बाघों का आतंक है। दूसरा, क्या ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित करके सरकार वहां पर आदमखोर बाघों को पकड़ने के लिए पिंजरे की व्यवस्था करेगी?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जब किसी बाघ के आदमखोर होने की सूचना मिलती है, तो दोनों ही व्यवस्थाएं एक साथ की जाती हैं। पहले उसको पिंजड़े में पकड़ने की कोशिश की जाती है, यदि पकड़ में नहीं आता तो उसका शिकार किया जाता है। प्रश्नगत प्रकरण में भी ऐसा ही किया गया। उस बाघ को पकड़ने के लिए 3 स्थानों पर पिंजरे लगवाए गए, जब वह पकड़ में नहीं आया तो शिकार की व्यवस्था की गयी। मान्यवर, जहां तक संवेदनशील क्षेत्र की बात है, तो जिस प्रदेश का 65 प्रतिशत भाग वन क्षेत्र हो, वहां पर ऐसी घटनाएं कहीं पर भी हो सकती हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जब जानवर द्वारा की गयी ऐसी पहली घटना की सूचना हमें मिले तभी से उस जानवर की मॉनिटरिंग शुरू कर दी जाए। मान्यवर, यहां पर यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि इस बाघ ने माह अप्रैल से जून तक ऐसी कोई घटना नहीं की, ऐसी स्थिति में भी यह पता नहीं चल पाता की जानवर की वर्तमान स्थिति क्या है। हम यह प्रयास कर रहे हैं कि जानवर के नरभक्षी होने की सूचना हमें जल्द से जल्द मिल जाए। हम यह भी प्रयास कर रहे हैं कि इस सम्बन्ध में मुआवजे का भुगतान भी शीघ्रता से किया जाए।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, ऐसे स्थानों पर पूर्व में ही पिंजरे की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। होता यह है कि जब नरभक्षी बाघ कई आदमियों को अपना शिकार बना लेता है, तब पिंजरे की व्यवस्था की जाती है। ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में पहले से ही पिंजरे की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, माननीय सदस्य भी इस विभाग के मंत्री रह चुके हैं। यदि वह ऐसे संवेदनशील स्थानों की सूची हमें उपलब्ध करा दें, तो हम वहां पर पिंजरे की व्यवस्था कर देंगे।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि बाघों को नरभक्षी घोषित किया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि बाघों को नरभक्षी कब घोषित किया जाता है? क्या जब वह 8–10 लोगों को मार देता है, तब उसे नरभक्षी घोषित किया जाता है?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं नरभक्षी का अर्थ स्पष्ट कर दूं। मान्यवर, जानवर का यह स्वभाव होता है कि वह जंगल के दूसरे जानवरों को खा जाता है। जब जानवर मानव जीवन पर आक्रमण करने लगते हैं, तो उसका भी एक कारण होता है। ज्यादातर ऐसा तब होता है, जब जानवर की उम्र अधिक हो जाती है, या वह किसी कारण से अपंग हो जाता है। कभी–कभी किसी जानवर के धोखे में भी आदमी पर आक्रमण हो जाता है। जानवर आदतन आदमी पर हमला नहीं करते हैं। मान्यवर, नरभक्षी जानवर की पहचान के सम्बन्ध में विज्ञान बहुत सीमित है, जब जानवर लगातार इस तरह की घटनाएं करने लगता है, तभी उसे नरभक्षी घोषित किया जाता है। यही व्यवस्था वर्तमान में चल रही है।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अभी 30 जनवरी, 2003 को टिहरी गढ़वाल के ग्राम रौसाल में पृथ्वी सिंह नाम के एक व्यक्ति को बाघ ने मौत के घाट उतार दिया तथा कुछ अन्य लोगों को घायल कर दिया। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार मृतक के परिजनों तथा घायलों को मुआवजा देने की कोई व्यवस्था करेगी?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, सरकार निश्चित रूप से कार्यवाही करेगी।

हरिद्वार–लालढांग–कोटद्वार–रामनगर मोटर मार्ग का विस्तारीकरण

*3–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डल की दूरी को कम करने के लिए क्या सरकार हरिद्वार–लालढांग–कोटद्वार–रामनगर मोटर मार्ग का विस्तारीकरण कराये जाने पर विचार कर रही है? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

प्रश्नगत् प्रकरण मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि यह मामला उच्चतम न्यायालय में किन कारणों से विचाराधीन है इसकी वजह क्या है? दूसरा मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस मामले के निस्तारण हेतु क्या पहल कर रही है, यह सड़क कुमाऊँ और गढ़वाल की दूरी कम करने में महत्वपूर्ण है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह सभी विदित है कि सरकार की भारी रुचि है कि यह सड़क बने, इस हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। जो भूमि नेशनल कार्बेट पार्क क्षेत्र में आती है उस पर भी क्लिरेन्स मिल गई है, इस हेतु राष्ट्रीय स्तर पर एक कमेटी बनी उस कमेटी में उत्तरांचल की स्थिति स्पष्ट हो गई है, उसको हमने मंजूर कर दिया है। उत्तर प्रदेश सीमा में 11 किलोमीटर वन भूमि पड़ती है उत्तर प्रदेश को भी इसमें बुलाया गया है। इसमें कहा गया कि आप अपना अलाइमेन्ट बदलें, सुप्रीम कोर्ट ने यह बात नहीं मानी है। उत्तर प्रदेश की जो 11.20 किलोमीटर आरक्षित वन भूमि पड़ती है उसमें सुप्रीम कोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उत्तरांचल में कोटद्वार–कालागढ़–रामनगर मार्ग की लम्बाई 91.50 किलोमीटर क्षेत्र है और जो 36.925 किलोमीटर वन भूमि में पड़ता है उसके पत्र जाद सम्मिट हैं। 13 किलोमीटर का जो मोटर मार्ग बना हुआ है। कोटद्वार की ओर से जो हमारा हिस्सा है उसका निर्माण हो गया है। अब जो 11.20 किलोमीटर है उसके लिए उत्तर प्रदेश से अनुरोध किया गया है। जो 11.20 किलोमीटर है वह सुप्रीम कोर्ट में है। इसमें हमारी ओर से प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इसमें सरकार संवेदनशील है मैं मान लेता हूं कि यह मामला नित्यानन्द स्वामी के मुख्यमंत्रित्व काल से चल रहा है उसके बाद दूसरे मुख्यमंत्री आये अब तीसरे, अभी तक यह मामला वहीं का वहीं पड़ा हुआ है।

मान्यवर, वांछित प्रगति नहीं हुई है बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामला है जिसमें दोनों मण्डलों की दूरी कम करने की गुंजाइश है। मात्र कहकर कि हम इस मुद्दे पर संवेदनशील हैं बात बनने वाली नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में प्रदेश सरकार की ओर से अपना स्पष्टीकरण और मांग माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखी है जिससे थोड़ा सा यह लगे कि प्रदेश सरकार की ओर से इसमें वाकई में प्रयास किया गया है और निर्माण की स्वीकृति मिल जाएगी।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि इस प्रकरण को हमने वाइल्ड लाइफ बोर्ड को संदर्भित कर दिया है। माननीय उच्च न्यायालय ने 21 फरवरी, 2003 को इस सम्बन्ध में एक बैठक की थी जिसमें सम्बन्धित पक्षों को बुलाया गया। जिसके आधार पर एक रिपोर्ट बनाई गई, उस रिपोर्ट के आधार पर 27 फरवरी, 2003 को आदेश पारित किया गया हमने अपना पक्ष रखा। उसके बाद 10 मार्च, 2003 को हमने अपना एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी अपना एफिडेविट दाखिल किया जाना है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सड़क तो बनी हुई है। मैं इस सड़क द्वारा ऋषिकेश से रामनगर गया और मैंने देखा कि इस सड़क को बनने में कहीं भी कोई पेड़ नहीं कट रहा है वन भूमि का अतिक्रमण नहीं हो रहा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है। गढ़वाल और कुमाऊं की दूरी कम हो जाएगी। मेरे ख्याल से दो ढाई घण्टे में रामनगर इस सड़क के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। इस सड़क का निर्माण जनहित में अवश्य होना चाहिए।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, उच्च न्यायालय में रिट पिटिशन 47/1998 है जिसके अन्तर्गत मूल बिन्दु यह है कि किसी भी नेशनल पार्क की ओर से सड़क बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। जिस मार्ग की बात की जा रही है उस सम्बन्ध में मैं स्पष्ट कर दूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस मार्ग के निर्माण की अनुमति नहीं दे रहा है।

प्रदेश की पेयजल नीति

*4–श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार उत्तरांचल राज्य हेतु कोई पेयजल नीति बनाने पर विचार कर रही है?

यदि हां, तो कब तक इसको कार्यान्वित किया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हां।

नीति का निर्धारण यथाशीघ्र किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, पेयजल मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पेयजल नीति कब तक बन जायेगी, पेयजल नीति बनाते समय क्या सरकार माननीय विधायकों के भी सुझाव लेगी तथा क्या नई पेयजल नीति बनाते समय प्राकृतिक जल स्त्रोत को प्राथमिकता दी जायेगी?

मान्यवर, चौथा बिन्दु यह है कि उत्तरांचल के विभिन्न क्षेत्रों में हैण्ड पम्प और नदियों के किनारे जहां पर्याप्त भूमिगत पेयजल उपलब्ध है, ट्यूबवेल आधारित योजनाओं का निर्माण करेगी। क्या पेयजल नीति में सरकार इन विषयों पर विचार करेगी?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, यह प्रश्न पूछकर माननीय सदस्य ने सदन का मान बढ़ाया है। मैं माननीय सदस्य की चिंता से विज्ञ हूं। मान्यवर, हमारी सरकार ने श्री आर0एस0 टोलिया, प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में, एक टास्क फोर्स का गठन किया है, इसमें नियोजन, वित्त, पेयजल, वन आदि विभागों के सचिव भी

हैं। हम माननीय सदस्यों की एक बैठक भी करेंगे। मान्यवर, यह समस्या अलग–अलग क्षेत्रों मे अलग–अलग है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते ही आगे की कार्यवाही करेंगे। नदी के किनारे ट्यूबवेल लगाकर पानी बहुत कम दूरी पर हमें प्राप्त हो जायेगा तथा इसमें विद्युत का खर्चा भी कम आयेगा। हम इस पर विचार कर रहे हैं।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने माना है कि आने वाले समय में पेयजल बहुत गम्भीर समस्या है। श्री कोफी अन्नान ने ठीक ही कहा है अगर अगला विश्व युद्ध होता है तो वह पानी को लेकर होगा। मान्यवर, हमारे यहां वर्षात् के दिनों में नदियों का जल स्तर ऊपर रहता है तथा सामान्य दिनों में सतह पर रहता है। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। मांन्यवर, आज पूरे देश की नदियों को जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। इस परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ऐसा किया जाना चाहिए। मान्यवर, पिंडर नदी से पानी दूसरी जगह आसानी से लाया जा सकता है। तो क्या उत्तराखण्ड में पेयजल की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए आप अपनी नीति में कुछ करेंगे।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, माननीय ऐरी जी ने जिज्ञासा प्रकट की है कि हमारे जल श्राव कम होते जा रहे हैं और अपने यहा ऊपर के क्षेत्र में बहती हुई नदियों के पानी का इस्तेमाल कैसे किया जाये। मान्यवर, मैं कहना चाहता हू कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग व पानी को हार्वेस्ट कर सकते हैं पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। मान्यवर, मैं सौंग नदी का उदाहरण देना चाहता हूं जो कि मसूरी को निकलती है और अण्डरग्राउण्ड बहती है। तो इसके लिए हमने अपने अधिकारियों से ही नहीं बल्कि जियोलिस्ट से भी कहा कि इसको देहरादून से कैसे इसे जोड़ा जा सकता है। हमारे यहां जितनी भी नदिया हैं वह तेज बहाव से बहती हैं और हम उसे रोकने का प्रयास करते हैं तो सिल्ट होने का खतरा रहता है। अगर हम अण्डरग्राउण्ड वाटर को रोक लेते हैं तो वह कुछ ऊपर आ सकता है और फिर हम हैण्डपम्प का सहारा ले सकते हैं, ट्यूबवेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत सरकार ने 2002 में जल नीति तैयार करके भेजी है, जिसका अनुसरण कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह बहुत महंगी योजना है और हमारे पास संसाधन नहीं हैं कि हम इतनी महंगी योजना को कर सकें। हमारे माननीय सदस्यों का सहयोग रहे तो हम कोशिश कर सकते हैं। मान्यवर, यह बहुत अच्छे सुझाव हैं और मैं समझता हू कि इस पर गम्भीरतापूर्वक हम सब लोगों को विचार करना चाहिए। मैं कहता हू कि आप लोगों के पास यदि कोई सुझाव हो तो इस नीति को बेहतर करने के लिए जरूर दें।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि देहाती इलाके में जो जल निगम द्वारा पानी की टंकियां बनाकर सप्लाई दी गयी है, एक तो उनके पाइप करीब 25–30 साल पुराने होकर सड़ गए हैं और पानी गांव को नहीं पहुंच पाता है और यदि गांव का लेबल ऊंचा है तो ऊंचाई की वजह से पानी नहीं जा पाता, मान्यवर, मैं चाहता हू कि जैसे दिल्ली आदि में प्रेशर सिस्टम लगे हैं और उनसे काफी ऊँचाई तक पानी चला जाता है और लाइनें प्रेशर की वजह से क्लीन रहती हैं, क्या सरकार ऐसे सिस्टम लगाये जाने पर कुछ विचार कर रही है?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, आपने अभी बताया कि कुछ लाइनों में पानी का रिसाव ठीक से नहीं हो पाता है, और इस कारण कुछ दिक्कतें आती हैं। मान्यवर, मैं स्मरण कराना चाहता हूं कि 1991 में एक सर्वे किया गया था–''राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन'' के द्वारा और जिसमें एन०सी०पी०सी० और एफ०सी० को कैटेराइज किया गया था और हमने फिर से भारत सरकार से अनुरोध किया कि फिर से एक बार इसका सर्वे किया जाना चाहिए क्योंकि कई योजनाओं को बने हुए 20 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, इसलिए फिर से हमने कोशिश की है और भारत–सरकार से निर्देश भी मिले हैं कि मई या जून तक हम सर्वे कर लेंगे और ग्रामसभा के अन्तर्गत और इसके अलावा भी जहां स्कीमें बनाना आवश्यक है जहां पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं है उसके लिए हमारा प्रयास होगा। दूसरा यदि आपके पास हाई स्पीड की कोई टेक्निक है तो कृपया मुझे इससे अवगत करा दें।

प्रदेश की सड़कों को गड्ढामुक्त करने की योजना

*5–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने की कोई योजना है?

यदि हां, तो यह योजना कब से लागू की जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हां।

यह एक सतत् प्रक्रिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, माननीया मंत्री जी ने उत्तर दिया कि यह एक सतत् प्रक्रिया है। मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश में 10–12 साल पूर्व जिन सड़कों में डामरीकरण किया गया था और आज तक उनमें डामर नवीनीकरण का कार्य नहीं किया गया और स्थिति यह है कि आज उनमें गड्ढे हो गए हैं, क्या सरकार उनको गड्ढामुक्त करेगी और दूसरा प्रश्न जिन सड़कों के किनारे बस्तियां आदि निवास करती हैं वहां पर भी सड़कें गड्ढायुक्त हैं, क्या सरकार ऐसे स्थानों को चिन्हित करके इन्हें गड्ढामुक्त करेगी?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, हमारे सम्मानित विधायक जी का प्रश्न है कि सड़क बहुत महत्वपूर्ण है और गड्ढामुक्त क्या इसे हम पैच वर्क कहते हैं, तो मान्यवर, यह पैच वर्क निरन्तर लगातार जारी रहता है चाहे वह शहर की आबादी में हो या बाहर हो। यह भी सही है कि 10–12 वर्ष क्या कहीं–कहीं तो 20, 21, 25 और कहीं–कहीं तो 50 वर्ष तक, जहां नगरपालिकाएं हैं, नगर निगम हैं उनमें जो सड़कें बनी थीं दोबारा पैसा अवमुक्त नहीं

किया गया है। मान्यवर, हम लोग प्लान करके अप्रैल माह से यह चिन्हित भी कर रहे हैं और अभी से पूरा नियोजन करके कि जो सड़कें शहर के अन्दर हैं और जो आवागमन की हैं, उनमें जो डामरीकरण 10-12 वर्ष पूर्व हुआ हो और टूट गया हो।

मान्यवर, हम सबको यह स्वीकार करने में कष्ट नहीं होना चाहिए कि सड़कों की अवधि न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि से पहले ही खराब हो जाती है। सड़कों की गुणवत्ता न्यूनतम 5 वर्ष आबादी के प्रेशर के हिसाब से और अधिकतम 8 वर्ष माना गया है। पर दुर्भाग्यवश ये सड़कें 5 वर्ष भी नहीं चल पाती। दो बरसात में ही सड़कें खत्म हो जाती हैं। हमने पूरा प्रयास किया है कि सड़कें 5 वर्ष, जहाँ पर आबादी का प्रेशर ज्यादा है और अधिकतम 8 वर्ष चले। हमने इसकी गुणवत्ता पर भी पूरा ध्यान दिया है ताकि नयी सड़कों का भी कार्य किया जाए। जो सड़कें खराब हैं उनको सुधारने का प्रयास चल रहा है। आधुनिकतम कम्प्यूटरीकृत के माध्यम से भी सड़कों का बनाने व सुधारने की कोशिश की जा रही है। जहां सड़कें टूटी हैं, गड्ढायुक्त हैं वहां आधुनिकतम प्रणाली को अपनाया जा रहा है और रोड कांग्रेस के मानक को भी ध्यान में रखकर कार्य करवाया जा रहा है। हम सड़कों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दे रहे हैं।

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जो हॉटमिक्स प्लांट का कार्य होता है। उसमें दिक्कतें होती हैं जैसे वो सड़क जो दो-दो डिवीजनों में आती है। गोपेश्वर-पोखरी मार्ग का कार्य है यह दो डिवीजन में है जिसके कारण वहां कार्य नहीं हो पा रहा है। क्या सरकार ने इस संबंध में कोई प्रयास किया है कि वे एक ही डिवीजन में आ जाएं?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जब यह कठिनाई आयी तो हमने इस पर निर्णय कर लिया है डिवीजनों की दृष्टि से, जिलों की दृष्टि से भी। हम इस पर कार्य कर रहे हैं और जो-जो दिक्कतें आ रही हैं उसका समाधान किया है ताकि पूरे इलाके के लिए उत्तरदायी ढंग से कार्य हो।

हरिद्वार जनपद के लण्ढौरा क्षेत्र में ईंट भट्ठों से पर्यावरण असन्तुलन

*6–कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

क्या पर्यावरण मंत्री अवगत हैं कि जनपद हरिद्वार के लण्ढौरा क्षेत्र में अत्याधिक संख्या में ईंट भट्ठों से पर्यावरण संतुलन बिगड़ गया है।

जिससे क्षेत्रवासी दमा, टी0बी0, एक्जीमा जैसे रोगों के शिकार हो रहे हैं और खेती पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है?

यदि हां, तो क्या सरकार क्षेत्र की ईंट भट्ठों की चिमनियों पर प्रदूषण नियन्त्रण संयंत्र लगवाकर प्रदूषण को नियन्त्रित करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

जनपद हरिद्वार के लण्ढौरा क्षेत्र के परिवेशीय वातावरण में सस्पेंडिड पार्टिकूलेट मैटर की सान्द्रता निर्धारित मानकों से अधिक पायी गयी, परन्तु सल्फर डाइ आक्साइड व

नाइट्रोजन के आक्साइड नामक गैसों की सान्द्रता निर्धारित मानकों से कम दर्ज की गयी है।

ईंट भट्ठों मात्र, द्वारा प्रदूषण के कारण इंगित रोगों में बढ़ोत्तरी होने अथवा कृषि पर विपरीत प्रभाव पड़ने की बात संज्ञान में नहीं आयी है।

लण्ढौरा क्षेत्र में स्थित समस्त ईंट भट्ठों द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) संशोधित नियम, 1996 द्वारा ईंट भट्ठों के लिये वायु प्रदूषण नियन्त्रण हेतु निर्दिष्ट मानकों के अनुसार स्थिर चिमनी व ग्रेविटेशनल सैटलिंग चैम्बर स्थापित कर लिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया उत्तर सत्यता से परे है। मैं चाहूंगा कि शासन इस पर एक वक्तव्य दें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, कृपया बता दें, क्या गलत है?

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, जिस पी0पी0एम0 का उल्लेख माननीय मंत्री जी ने किया है वह यह है कि वायु में विषैले तत्वों की कितनी संख्या है। इससे बागों को बहुत अधिक क्षति पहुंचती है। 50 लाख का मेरा बाग खुद जला है। माननीय काजी जी के बागों को भी नुकसान पहुंचा है। इसका जिक्र तक नहीं किया गया है। इसके अलावा और भी कई चीजों का उल्लेख नहीं किया गया है। मान्यवर, मॉनिटरिंग में भी भेदभाव किया जाता है। भट्ठा मालिकों को पहले ही बता दिया जाता है कि फलाँ तारीख को आपके भट्ठे की जांच की जायेगी। मान्यवर, भट्ठों से बैन्जीन का उत्सर्जन होता है। यदि बैन्जीन का उत्सर्जन इसी प्रकार जारी रहा तो आने वाले एक वर्ष में नपुंसकता फैल जायेगी। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान) मान्यवर, इससे पर्यावरण की समस्या पैदा हो गई है। यह समस्या मात्र लण्ढौरा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सारे पर्यावरण पर इसका प्रभाव पड़ेगा। राजाजी नेशनल पार्क पर भी इसका असर पड़ रहा है। यदि आप अनुमति दें तो मैं बता दूं। (व्यवधान)

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि दिनांक 15 मार्च, 2003 को एक समिति का गठन किया गया है जिसमें सी0बी0आर0आई0 के निदेशक, पंतनगर विश्वविद्यालय के उद्यान विशेषज्ञ, उद्यान विभाग के निदेशक, उद्यानपतियों का एक प्रतिनिधि और पर्यावरण विभाग के प्रतिनिधि को इसमें शामिल किया गया है। मान्यवर, जो जानकारी मैंने दी है, वह सत्य इसलिए है क्योंकि हमने चीफ मेडिकल ऑफिसर से इसकी पुष्टि कराई है। मान्यवर, 2 किलोमीटर की परिधि में 40 भट्ठे लगे हुऐ हैं। (व्यवधान)

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, 4 किलोमीटर में 84 भट्ठे लगे हुए हैं। इसका मतलब आपकी सूची भी गलत है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैंने कहा कि 2 किलोमीटर में 40 भट्ठे लगे हैं और माननीय सदस्य ने कहा कि 4 किलोमीटर में 84 भट्ठे लगे हुए हैं। अर्थात् दोनों सूचनाएं सही हैं। भट्ठे लगाने का लाइसेन्स जिला पंचायत ने दिया है।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, इसमें जो विशेषज्ञ हैं, वे सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित है जबकि सिविल इंजीनियरिंग में पर्यावरण नहीं आता है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, पर्यावरण विभाग के प्रतिनिधि को समिति में शामिल किया गया है।

मान्यवर, इस संबंध में एक समिति का गठन किया गया है और वह भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण एक्ट, 1986 के अन्तर्गत किया गया है और इस समिति ने क्षेत्र की बेंकिंग की है और जो प्रीकासन उन्होंने दिये हैं उनका पालन किया जाय और उनके नियमों के अनुसार ही यह भट्ठे चलेंगे इस समिति का कार्यकाल भी निश्चित किया गया है।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इस समिति का कार्यकाल कितना है?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा उत्तरांचल में निर्माण कार्यों से प्राप्त सेन्टेज एवं उत्तरांचल में पृथक निर्माण निगम स्थापित किये जाने की जानकारी

*7–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा उत्तरांचल में सम्पादित करवाये जा रहे विभिन्न निर्माण कार्यों से प्राप्त लाभांश (सेन्टेज चार्जेज) का लाभ उ0प्र0 को मिल रहा है जिसके फलस्वरूप उत्तरांचल को क्षति उठानी पड़ रही है?

यदि हाँ, तो सरकार इस क्षति को रोकने के लिये क्या प्रभावी कदम उठा रही है?

क्या सरकार उत्तरांचल में पृथक निर्माण निगम बनाये जाने पर विचार करेंगी?

यदि हां? तो कब तक?

यदि नहीं, क्यों?

नोट –तारांकित प्रश्न संख्या 6 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा जिन कार्यों को सम्पादित किया जाता है उनके लिए सेन्टेज (प्रशासनिक व्यय) देय होता है। यह लाभांश की श्रेणी में परिभाषित नहीं होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

इससे प्रशासनिक व्यय बढ़ेगा।

*8–श्री हरबंस कपूर–द्वितीय शुक्र के तारा० 5 में स्थानान्तरित।

उत्तरांचल में हल्के वाहन मोटर मार्गों की स्वीकृति पर रोक

*9–श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि उत्तरांचल में सरकार ने हल्के वाहन मार्गों की स्वीकृति पर रोक लगा दी है?

यदि हां, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हां।

हल्का वाहन मार्ग के निर्माण की व्यवहारिक उपयोगिता कम होने के कारण।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जानकारी

*10–श्री अजय भट्ट–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि राज्य को प्राप्त हुई है।

तथा क्या इस धनराशि से निर्मित की जाने वाली सड़कों का निर्माण कार्य किसी बाहरी निर्माण एजेंसी को दे दिया गया है?

यदि हां, तो उस निर्माण एजेंसी का नाम क्या है?

क्या कारण है कि लोक निर्माण विभाग को निर्माण कार्य न देकर उक्त एजेंसी को निर्माण कार्य दिया गया?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निम्न प्रकार धनराशि प्राप्त हुई–

(1) प्रथम चरण वर्ष 2000–2001 में प्राप्त धनराशि रु0 60.63 करोड़।

(2) द्वितीय चरण वर्ष 2001–2002 में प्राप्त धनराशि रु0 70.00 करोड़।

प्रथम चरण वर्ष 2000–01 के कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा सम्पन्न कराये जा रहे हैं, जबकि द्वितीय चरण 2001–02 के कार्य निजी तकनीकी कन्सलटेन्ट एजेन्सी को दिया गया है।

द्वितीय चरण 2001–02 के कार्य मैगोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सब्सीडेयरी उत्तरांचल इन्फास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट देहरादून द्वारा किया जा रहा है।

लोक निर्माण विभाग में कर्मिकों की अत्यन्त कमी होने के कारण प्रथम चरण वर्ष 2000–01 के कार्य जो वर्ष 2001 में प्रारम्भ हुये थे की प्रगति अत्यन्त असन्तोषजनक होने के कारण वर्ष 2001–02 के कार्य निजी निर्माण एजेन्सी को दिये गये।

अतारांकित प्रश्न

वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त के कार्यक्षेत्र तथा कार्यालय अल्मोड़ा जनपद में स्थानान्तरित किये जाने पर विचार

1–श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत कौन–कौन से जनपद आते हैं?

क्या सरकार वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त का कार्यालय अल्मोड़ा में स्थानान्तरित करने पर विचार कर रही है?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त नैनीताल के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित जनपद आते हैं :–

1. अल्मोड़ा
2. बागेश्वर
3. पिथौरागढ़
4. चम्पावत
5. नैनीताल (आंशिक रूप से)

जी हां।

यह प्रस्ताव वन विभाग के पुनर्गठन–ढांचे में सम्मिलित है, ढांचा अनुमोदित/स्वीकृत होने पर इस सम्बन्ध में, यथास्थिति, कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद टिहरी में बनोली पेयजल योजना

2—श्री बलबीर सिंह नेगी—

क्या पेयजल मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी में बनोली पेयजल योजना भिलंगना पर वर्ष 1994 से कार्य प्रारम्भ हो गया था?

यदि हां, तो 8 वर्ष बाद भी कार्य पूर्ण न होने के क्या कारण हैं?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

जी हां।

योजना माह फरवरी, 2003 में पूर्ण हो चुकी है।

जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत मूलगढ़—भखोड़ी व कोटी अखेड़ी मोटर मार्ग के विस्तार एवं डामरीकरण

3—श्री बलबीर सिंह नेगी—

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद टिहरी गढ़वाल के लोक निर्माण विभाग अस्थायी खण्ड घनसाली के अन्तर्गत मूलगढ़—भखोड़ी व कोटी अखेड़ी मोटर मार्ग के विस्तार एवं डामरीकरण का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है?

यदि हां, तो कब तक कार्य पूर्ण कराया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत भासरताल में स्थित वन विभाग के लॉग केबिन का पुनर्निमाण

4—श्री बलबीर सिंह नेगी—

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बानगंगा रेंज के अन्तर्गत भासरताल में वन विभाग का एक लॉग केबिन (वन विश्राम) भवन है?

यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षतिग्रस्त भवन के पुनर्निमाण किये जाने पर विचार कर रही है?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

जी हां।

जी हां।

लॉग केबिन का पुनर्निमाण वित्तीय वर्ष 2003–2004 में किये जाने पर विचार किया जा रहा है, कार्य धन की उपलब्धता के आधार पर कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता है।

विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत व्यासघाट, किनसुर मोटर मार्ग

5–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बतायेंगी कि विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर जिला पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत व्यासघाट, किनसुर मोटर मार्ग कितने कि0मी0 तथा किन–किन मदों से बनाया गया है?

क्या पुल सहित दो कि0मी0 सड़क स्वीकृत हुई थी?

यदि हां, तो पुल कब तक बन जायेगा?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

यह मार्ग 2 कि0मी0 लम्बा तथा 48 मीटर सेतु का स्वीकृत हुआ था। जिसमें से 1.5 कि0मी0 हल्का वाहन मार्ग निर्मित हो गया है।

जी हां।

पुल का स्थान बढ़ जाने के कारण नई स्वीकृति के उपरान्त पूर्ण किया जायेगा।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत गैन्डरखाल आमसैण हल्का वाहन मार्ग निर्माण की स्थिति

6–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर जिला पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत गैन्डरखाल आमसैण हल्का वाहन मार्ग कितने कि0मी0 स्वीकृत है तथा उक्त मार्ग कितने कि0मी0 बन चुका है?

क्या उक्त मार्ग पर नियमित वाहन चल रहे हैं?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर जिला पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत गैन्डरखाल आमसैण हल्का वाहन मार्ग 2 कि0मी0 लम्बाई में स्वीकृत हुआ था। यह मार्ग 2 कि0मी0 लम्बाई में माह मार्च, 2002 में पूर्ण हो चुका है।

वर्षा में मलबे तथा दीवारों के क्षतिग्रस्त होने के कारण मार्ग बंद है एवं वाहन नहीं चल रहे हैं।

जनपद अल्मोड़ा में चितई–पेटशाल–शुवाखान मोटर मार्ग का निर्माण

7–श्री कैलाश शर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि अल्मोड़ा जनपद में चितई–पेटशाल–शुवाखान मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किन कारणों से बन्द कर दिया गया है तथा उक्त मार्ग का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

वर्तमान में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत चितई–पेटशाल–शुवाखान नाम से कोई मोटर मार्ग स्वीकृत नहीं है।

अल्मोड़ा नगर को जोड़ने हेतु धारानौला से जिला चिकित्सालय एवं बस स्टेशन तक लिंक मार्ग बनाये जाने की योजना

8–श्री कैलाश शर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि अल्मोड़ा नगर को जोड़ने के लिये धारानौला से जिला चिकित्सालय एवं बस स्टेशन तक लिंक मार्ग बनाने की सरकार की कोई योजना प्रस्तावित है?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

अल्मोड़ा नगर को जोड़ने के लिए धारानौला से जिला चिकित्सालय एवं बस स्टेशन तक लिंक मार्ग बनाने की सरकार की वर्तमान में कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

9–श्री कैलाश शर्मा–द्वितीय मंगलवार के अता0 6 में स्था0

वर्ष 2001–2002 में लोक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणी के ठेकेदारों की संरचना

10–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि उत्तरांचल के अन्दर निर्माण कार्यों के सम्पादन में छोटे ठेकेदारों के हितों को ध्यान में रखा गया है?

यदि हां, तो विभाग द्वारा जनपद उत्तरकाशी में वर्ष 2001–2002 में कितने ठेकेदारों से किस–किस श्रेणी के निर्माण कार्य कराए गए?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हां।

विवरण संलग्न।

(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ सं0–134 पर)

जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग का चौड़ीकरण/डामरीकरण

11—श्री बलबीर सिंह नेगी—

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली घुत्तु मोटर मार्ग को चौड़ा करने व डामरीकरण का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है?

यदि हां, तो कब तक उक्त कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कुंभशिला भिलंग पुर्नगठन पेयजल योजना निर्माण कार्य पर परिव्यय एवं कार्य पूर्ण न होने के कारण

12—श्री बलवीर सिंह नेगी—

क्या पेयजल मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी की कुंभशिला भिलंग पुनर्गठन पेयजल योजना निर्माण कार्य पर अभी तक कुल कितना परिव्यय आया है? 1996 में प्रारम्भ की गई योजना का कार्य पूर्ण नहीं होने के क्या कारण हैं?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

कुंभशिला बस्ती छैली सप्लीमेंट्री पेयजल योजना अनु0 लागत रु0 9.49 लाख में सम्मिलित है जिस पर माह फरवरी, 2003 तक रु0 6.15 लाख व्यय हुआ है।

प्राक्कलन वर्ष 2001—02 में स्वीकृत होने के फलस्वरूप कार्य वर्ष 2001—02 में स्वीकृत होने के फलस्वरूप कार्य वर्ष 2001—02 में ही प्रारम्भ किया जा सका। एकमुश्त धन की व्यवस्था न होना तथा क्षेत्रीय विवाद के कारण निर्माण कार्य विलम्बित रहे।

बूढ़ाकेदार–कोट बिशन–घण्डियाल सौड़ हल्का वाहन मार्ग निर्माण पर व्यय धनराशि एवं निर्माण की स्थिति

13–श्री बलवीर सिंह नेगी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद टिहरी गढ़वाल में लो0नि0वि0 धनसाली के अन्तर्गत बूढ़ाकेदार–कोट बिशन–घण्डियाल सौड़ हल्का वाहन मार्ग को 10 कि0मी0 की वित्तीय स्वीकृति सन् 1990 में प्राप्त हुई थी यदि हां, तो उक्त मार्ग पर आज तक कितना धन व्यय किया गया और कितने कि0मी0 सड़क बन चुकी है?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

जनपद टिहरी गढ़वाल के अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, घनसाली के अन्तर्गत बूढ़ाकेदार–कोट बिशन थाती–कोट–घण्डियाल सौड़ तितुर्णा हल्का वाहन मार्ग की स्वीकृति माह 3/1991 में 10 कि0मी0 हेतु दी गयी। इस मार्ग पर फरवरी, 2003 तक रु0 115.07 लाख व्यय हो चुका है तथा किये गये व्यय के विरुद्ध 9.50 कि0मी0 लम्बाई में सड़क निर्माण तथा 1 सेतु कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

जनपद अल्मोड़ा के ढौरा मोतिया पाथर मोटर मार्ग–निर्माण की भूमि का मुआवजा

14–श्री कैलाश शर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड लमगड़ा में ढौरा मोतिया पाथर मोटर मार्ग के निर्माण में ग्रामीणों की अध्याप्त भूमि का मुआवजा प्रभावित ग्रामीणों को दे दिया गया है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड हवालबाग के प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र के छात्रावास भवन की मरम्मत

15–श्री कैलाश शर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड हवालबाग के प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र के जीर्ण–शीर्ण छात्रावास भवन की मरम्मत हेतु शासन के विचाराधीन कोई योजना प्रस्तावित है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हां।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अल्मोड़ा के लमगड़ा विकास खण्ड के चामखान–धारखोला मोटर मार्ग का निर्माण प्रारम्भ सम्बन्धी

16–श्री कैलाश शर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि पूर्व में स्वीकृत अल्मोड़ा जनपद के लमगड़ा विकास खण्ड के चामखान–धारखोला मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किन कारणों से रोक दिया गया?

क्या सरकार जनहित में उक्त निर्माण कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ किये जाने पर विचार करेगी?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

इस मार्ग के प्रथम चरण की स्वीकृति शासन द्वारा मार्च, 2002 में दी गयी।

वन भूमि हस्तान्तरण के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ होगा।

ग्राम भेलीपार–खल्दुवा विकास खण्ड स्याल्दे जनपद अल्मोड़ा को मोटर मार्ग से जोड़े जाने पर विचार

17–श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि देश की आजादी के आन्दोलन में शहीद हीरामणि बडोला व हरिकृष्ण उप्रेती के ग्राम भेलीपार–खल्दुवा विकास खण्ड स्याल्दे जनपद अल्मोड़ा को मोटर मार्ग से जोड़ने पर सरकार विचार कर रही है?

यदि हां, तो कब तक उक्त मार्ग पर कार्य प्रारम्भ हो जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित संसाधन के कारण।

18–श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त

विकास खण्ड लमगड़ा में स्वीकृत टकौली बैण्ड गौना मोटर मार्ग का निर्माण कार्य

19–श्री कैलाश शर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि अल्मोड़ा जनपद के विकास खण्ड लमगड़ा में स्वीकृत टकोली बैण्ड गौना मोटर मार्ग का कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

प्रश्नगत मोटर मार्ग स्वीकृत नहीं है।

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत नैनी, न्योलीखान–हरणा मोटर मार्ग

20–श्री कैलाश शर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि अल्मोड़ा जनपद के विकास खण्ड भैंसियाछाना में स्वीकृत नैनी न्योलीखान–हरणा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

अल्मोड़ा जनपद के विकास खण्ड भैंसियाछाना में नैनी न्योलीखान–हरणा मोटर मार्ग के नाम से कोई कार्य स्वीकृत नहीं है। इसलिए प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत लमगड़ा में निर्मित विश्वनाथ जसकोट मोटर मार्ग निर्माण कार्य की जानकारी

21–श्री कैलाश शर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि अल्मोड़ा जनपद के विकास खण्ड लमगड़ा में निर्मित विश्वनाथ जसकोट मोटर मार्ग का निर्माण कार्य रोकने का क्या कारण है?

उक्त निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

अल्मोड़ा जनपद के विकास खण्ड लमगड़ा में निर्मित विश्वनाथ–जसकोट हल्का वाहन मार्ग 8 कि0मी0 स्वीकृत है। जिसके विरुद्ध 3.00 कि0मी0 मार्ग निर्मित हुआ है। उससे आगे वन भूमि पड़ती है। अतः आगे कार्य नहीं हो पाया है।

वन भूमि की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

अल्मोड़ा जनपद के हवालबाग में निर्मित फलसीमा–टाटिम हल्का वाहन मार्ग निर्माण कार्य की जानकारी

22–श्री कैलाश शर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि अल्मोड़ा जनपद के हवालबाग विकास खण्ड में निर्मित फलसीमा–टाटिम हल्का वाहन मार्ग का कार्य रोकने के क्या कारण हैं?

उक्त निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत डोंगी–ढ़ेला गण्डराखाल मोटर मार्ग का निर्माण

23–श्री बलवीर सिंह नेगी–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अस्थाई खण्ड घनसाली के अन्तर्गत डोंगी–ढ़ेला गण्डराखाल मोटर मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है?

यदि हां, तो उक्त मोटर मार्ग कब तक बन जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

यमकेश्वर विधान सभा क्षेत्र की परिन्दा पम्पिंग योजना द्वारा पेयजल आपूर्ति किए जाने की जानकारी

24–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विधान सभा क्षेत्र की परिन्दा पम्पिंग पेयजल योजना के अन्तर्गत सभी गांवों में पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से की जा रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी नहीं।

योजना वर्तमान में निर्माणाधीन है। जिसमें 43 बस्तियां सम्मिलित हैं। इनमें से 26–बस्तियों में विद्युत उपलब्धता पर पेयजल आपूर्ति सुचारू रहती है तथा 7 बस्तियों में क्षतिग्रस्त पाइप लाइन के मरम्मत कार्य एवं 4 बस्तियों की पाइप लाइन टेस्टिंग के कार्य प्रगति पर हैं। शेष 6 बस्तियों को जोड़ने हेतु निर्माण कार्य वर्ष 2003–04 में कराया जाना प्रस्तावित है।

अल्मोड़ा शहर के क्षतिग्रस्त एल0आर0 शाह से एन0टी0डी0 लिंक मार्ग की मरम्मत

25–श्री कैलाश शर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि क्या सरकार अल्मोड़ा शहर के पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त प्रमुख लिंक मार्ग एल0आर0 शाह से एन0टी0डी0 तक का मरम्मत कार्य शीघ्र करवायेंगी?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

अल्मोड़ा शहर के प्रमुख लिंक मार्ग एल0आर0 शाह से एन0टी0डी0 तक मरम्मत का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है।

इस मार्ग में प्रिमिक्स कारपेट का कार्य भी प्रस्तावित है जो जून, 2003 तक पूर्ण हो जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी में दोणी बड़ी (भिलंगना) पेयजल योजना के सम्बन्ध में

26—श्री बलवीर सिंह नेगी—

क्या पेयजल मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी में दोणी बड़ी (भिलंगना) पेयजल योजना का निर्माण कब हुआ?

क्या उक्त योजना से समस्त ग्रामवासी लाभान्वित हो रहे हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

दोणी पेयजल योजना का निर्माण वर्ष 1982—83 में किया गया।

जी नहीं।

योजना दो भागों में निर्मित है जिसके एक भाग में जलापूर्ति चालू है, और दूसरे भाग में जलापूर्ति बंद है। जिसे चालू किये जाने हेतु मरम्मत कार्य प्रारम्भ किये जा रहे हैं।

भिलंगना नदी पर देवलिंग—मेण्डू के समीप पैदल सेतु

27—श्री बलवीर सिंह नेगी—

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अस्थायी खण्ड घनसाली के अन्तर्गत भिलंगना नदी पर देवलिंग—मेण्डू के समीप 40 मी0 स्पान गार्डर पैदल सेतु निर्माण का पुनरीक्षित आगणन सरकार के विचाराधीन है?

यदि हां, तो इसकी स्वीकृति कब तक मिल जायेगी?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी की अपूर्ण सौड़ भिलंगना पुनर्गठन पेयजल योजना

28—श्री बलवीर सिंह नेगी—

क्या पेयजल मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी की सौड़ भिलंगना पुनर्गठन पेयजल योजना अभी तक पूर्ण न होने के क्या कारण हैं?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

यह योजना छैली पुनर्गठन पेयजल योजना के नाम से बनी है। जिसमें सम्मिलित 4 राजस्व ग्रामों में से 3 ग्रामों के कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा ग्राम सौड़ एवं कुमशिला तोक के 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण व शेष कार्य प्रगति पर है।

एक मुश्त धन की व्यवस्था न होने एवं योजना निर्माण के दौरान क्षेत्रीय विवाद के कारण लम्बे समय तक निर्माण कार्य लम्बित रहे।

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना की जिलेवार प्रगति एवं विवरण

29—डॉ0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल—

क्या ग्रामीण विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना की जिलेवार प्रगति क्या है?

क्या सरकार प्रगति का विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगी?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

उपरोक्तानुसार।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ सं0 135—138 पर)

प्रदेश के विभिन्न भागों में पकड़ी गई लकड़ी एवं उसका निस्तारण

30—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2001—2002 में प्रदेश के विभिन्न भागों में कितनी अवैध लकड़ी पकड़ी गयी है?

जब्त की गयी लकड़ी का निस्तारण कैसे किया गया?

श्री नव प्रभात—

वर्ष 2001—2002 में प्रदेश के विभिन्न भागों में कुल 1379.5090 घन मीटर अवैध लकड़ी पकड़ी गयी।

प्रदेश में जब्त की गयी लकड़ी का निस्तारण निम्न प्रकार से किया गया :—

1. नीलाम द्वारा	01.5729	घ०मी०
2. वन निगम द्वारा	303.2569	घ०मी०
3. विभागीय कार्यों में	05.8016	घ०मी०
4. भण्डार में शेष	1068.8776	घ०मी०

अल्मोड़ा नगर में निर्मित सीवर लाइन फेज—II का कार्य प्रारम्भ किए जाने की जानकारी

31—श्री कैलाश शर्मा—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा नगर में निर्मित सीवर लाइन फेज—II का कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

अल्मोड़ा नगर जलोत्सारण योजना के जोन—II के कार्य वर्ष 2003—2004 में प्रारम्भ किये जाने प्रस्तावित हैं।

अल्मोड़ा जनपद के लमगड़ा में स्वीकृत निर्माणाधीन ढौरा मोतियापाथर मोटर मार्ग

32—श्री कैलाश शर्मा—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि अल्मोड़ा जनपद के विकास खण्ड लमगड़ा में निर्माणाधीन ढौरा मोतियापाथर मोटर मार्ग कितने कि०मी० स्वीकृत है?

क्या निर्मित मोटर मार्ग वाहनों के आने—जाने लायक हो गया है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

अल्मोड़ा जनपद के विकास खण्ड लमगड़ा में निर्माणाधीन ढौरा मोतियापाथर मोटर मार्ग कुल 40 कि०मी० लम्बाई के लिए स्वीकृत है।

6.00 कि०मी० मोटर मार्ग आंशिक रूप से निर्मित हो चुका है एवं 3.50 कि०मी० मोटर मार्ग वाहनों के आवागमन के लिए उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

अल्मोड़ा जनपद में हवालबाग के स्यूरा बरसीमी के ग्रामवासियों हेतु पेयजल योजना

33—श्री कैलाश शर्मा—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा जनपद के विकास खण्ड हवालबाग के अन्तर्गत स्यूरा बरसीमी ग्रामवासियों की पेयजल समस्या के दृष्टिगत सरकार कोई पेयजल योजना बनाने पर विचार कर रही है?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2003—04 में किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली के आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण

34—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड जखोली के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु कब और कितनी धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत हुई?

उक्त धनराशि से अब तक कितने भवनों का निर्माण हुआ तथा कितने भवनों का निर्माण कार्य होना शेष है?

क्या सरकार विकास खण्ड जखोली के अवशेष भवनों का निर्माण करवायेगी?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

विकास खण्ड जखोली के 25 आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु वर्ष 1997—98 में जारी मु0 97.85 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति के सापेक्ष निम्नानुसार धनराशि का आवंटन किया गया वर्ष 1999—2000 तक रुपये 67.57 लाख

वर्ष 2002—2003 में रुपये 05.00 लाख

रुपये 72.57 लाख

आठ भवनों का निर्माण पूर्ण।

17 भवन निर्मित होने हैं।

जी हां।

वर्ष 1999–2000 तक अवमुक्त मु0 67.57 लाख की धनराशि में से मु0 35.66 लाख उत्तरांचल राज्य के सृजन के फलस्वरूप फ्रीज हो गई थी जिसका पुनर्आवंटन वर्ष 2002–2003 में किया गया है। अतः कार्य शीघ्र प्रारम्भ हो जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में खण्ड विकास अधिकारी, संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पदों, वेतन एवं पदोन्नति

35–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कितने खण्ड विकास अधिकारी के पद शासन से स्वीकृत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं?

प्रदेश में कुल कितने संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं?

क्या सरकार इनको खण्ड विकास अधिकारी का वेतन दे रही है?

क्या सरकार संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी पद धारक को पदोन्नति दिये जाने पर विचार कर रही है?

यदि नहीं तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

17 पद स्वीकृत हैं एवं 62 पद रिक्त हैं।

28 पदों पर।

जी नहीं।

पूर्ववर्ती राज्य से कर्मिकों का अन्तिम आवंटन पूर्ण होने एवं विभागीय संरचना को अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात् उत्तरांचल राज्य स्तर पर ज्येष्ठता निर्धारण के पश्चात् नियमानुसार विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जनपदों में प्रेस क्लब हेतु उपलब्ध कराई गई भूमि

36–श्री मदन कौशिक–

क्या सूचना मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि उत्तरांचल के कितने जिलों में प्रेस क्लब हेतु भूमि उपलब्ध करा दी गई है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

उत्तरांचल में जनपद हरिद्वार एवं जनपद उत्तरकाशी में प्रेस क्लब के लिये भूमि उपलब्ध करा दी गई है। अन्य जिलों हेतु प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी गढ़वाल में धर्मगंगा नदी में कोटी–अगुण्डा के बीच क्षतिग्रस्त पुल का जीर्णोद्धार

37–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद टिहरी गढ़वाल में धर्मगंगा नदी में कोटी–अगुण्डा के बीच क्षतिग्रस्त पुल का जीर्णोद्धार कब तक करा दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

क्षतिग्रस्त पुल का जीर्णोद्धार सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ में चन्डाक बाँस मोटर मार्ग का डामरीकरण

38–श्री प्रकाश पन्त–

क्या लोक निर्माण मंत्री बतायेंगी कि क्या सरकार जनपद पिथौरागढ़ में चन्डाक बाँस मोटर मार्ग का डामरीकरण इसी वित्तीय वर्ष में करवायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

जी नहीं।

सीमित वित्तीय संसाधन के कारण।

नजीबाबाद से सतपुली तक मोटर मार्ग के विस्तारीकरण तथा सुदृढ़ीकरण

39–श्री प्रकाश पन्त–

क्या लोक निर्माण मंत्री बतायेंगी कि मेरठ–पौड़ी मोटर मार्ग में नजीबाबाद कोटद्वार से सतपुली तक मोटर मार्ग के विस्तारीकरण तथा सुदृढ़ीकरण का कार्य वर्तमान में किया जा रहा है?

यदि हां, तो उक्त कार्य की लागत कितनी है?

उक्त कार्य हेतु कुल कितनी निविदाएं प्राप्त हुईं तथा उनमें से कितनी निरस्त कर दी गयीं?

क्या निविदाओं की स्वीकृति में विभागीय नियमों का पालन किया गया?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

जी हां।

कार्य की लागत रु0 1445.00 लाख है।

इस कार्य हेतु 6 निविदाएं प्राप्त हुई थी। इनमें से 2 निविदायें प्री–क्वालीफिकेशन में सही पाई गई।

निविदाओं की स्वीकृति में विभागीय नियमों का पूर्णतया पालन किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल में पेयजल विभाग द्वारा कम्प्यूटर किराये पर लिये जाने का आधार

40–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या पेयजल मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या उत्तरांचल में पेयजल विभाग द्वारा कम्प्यूटर किराये पर लिये गये हैं?

यदि हां, तो कितने साल के लिये तथा कितने रुपये प्रतिमाह पर लिये गये हैं?

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि किराये पर कम्प्यूटर लेने का आधार क्या है?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हां।

किराये के कम्प्यूटर विभागीय कम्प्यूटरों के प्रबन्ध होने तक तथा कम्प्यूटर आपरेटर सहित रु0 5100/– से 6300–/ प्रतिमाह एवं आपरेटर रहित रु0 1500/– प्रतिमाह पर लिये गये हैं।

विभागीय कम्प्यूटर की अनउपलब्धता तथा विभागीय/शासकीय सूचनाओं के संकलन एवं अनुश्रवण के लिये किराये पर कम्प्यूटर लिये गये हैं।

जनपद पिथौरागढ़ में मसूरियां होकरा मोटर मार्ग का पुनरीक्षित आगणन स्वीकृत किए जाने की मांग

41–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद पिथौरागढ़ में मसूरियां होकरा मोटर मार्ग का पुनरीक्षित आगणन स्वीकृत न होने से निर्माण कार्य बन्द है?

क्या सरकार पुनरीक्षित आगणन स्वीकृत करायेगी?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ में कंचना पेयजल योजना

42—श्री बिशन सिंह चुफाल—

क्या पेयजल मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में कंचना पेयजल योजना का पुनर्गठन का कार्य वर्ष 2002 में पूर्ण किया गया है? क्या योजना आगणन के अनुसार बनाई गयी है?

यदि हां, तो उक्त योजना के निर्माण में कितनी लागत आयी है? क्या योजना सुचारू रूप से कार्य कर रही है?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

जी हां।

योजना के निर्माण कार्यों पर रु0 7.135 लाख की लागत आयी है तथा योजना में सुचारु रूप से पानी चल रहा है।

जनपद पिथौरागढ़ में अवरुद्ध नाचनी भैसकोट हल्का वाहन मार्ग को यातायात हेतु खोले जाने की जानकारी

43—श्री बिशन सिंह चुफाल—

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद पिथौरागढ़ में नाचनी भैसकोट हल्का वाहन मार्ग में जगह—जगह दीवार टूटने तथा मार्ग में मलवा आने से मार्ग अवरुद्ध है?

यदि हां, तो क्या सरकार मार्ग को यातायात के लिये खोलेगी?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश—

जी हां।

जी हां।

आगामी वित्तीय वर्ष में।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रुद्रप्रयाग में डिवीजन बनाकर उपवन संरक्षक का पद सृजित किए जाने सम्बन्धी जानकारी

44—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग को उपवन संरक्षक केदारनाथ—गोपेश्वर तथा उपवन संरक्षक कर्णप्रयाग चमोली के अधिकार क्षेत्र में रखा गया है?

यदि हां, तो क्या सरकार जनपद रुद्रप्रयाग को एक डिवीजन बनाकर उपवन संरक्षक का पद सृजित करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

जी हां।

जनपद रुद्रप्रयाग का जो क्षेत्र वन्य जीव विहार व बफर क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है उसके प्रबन्ध/नियन्त्रण हेतु पृथक प्रभाग बनाये जाने पर विचार किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर लिए जा रहे टौल टैक्स

45–श्री मदन कौशिक–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर टौल टैक्स किस प्रकार लिया जा रहा है? विभाग द्वारा या ठेकेदारों द्वारा?

वर्ष 2001–2002 की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में कितना अधिक राजस्व विभाग को प्राप्त होगा?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

विभाग द्वारा।

वित्तीय वर्ष 2001–2002 में रु0 67.71 लाख तथा 2002–2003 में फरवरी, 2003 तक रु0 67.17 लाख राजस्व प्राप्त हुआ है।

उत्तरांचल के विधायकों को आर्मी के डिस्पोजल वाहन क्रय करने की सुविधा

46–कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

क्या संसदीय कार्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि उत्तरांचल के विधायकगण को उत्तर प्रदेश की भांति आर्मी के डिस्पोजल वाहन क्रय करने की सुविधा प्राप्त है?

यदि नहीं तो क्या सरकार उत्तरांचल में उक्त सुविधा प्रदान करेंगी?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हां।

पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश की इस सम्बन्ध में लागू व्यवस्था के प्राविधान/शासनादेश उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र लिखा गया है। व्यवस्था प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

टनकपुर–पीलीभीत रोड़ का टनकपुर से पीलीगंज तक हॉटमिक्स प्लान्ट द्वारा निर्माण कराये जाने की जानकारी

47–श्री गोपाल सिंह राणा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि उत्तरांचल की सीमा में स्थित टनकपुर–पीलीभीत रोड़ का टनकपुर से उत्तरांचल और उ0प्र0 की सीमा पीलीगंज तक हॉटमिक्स प्लान्ट द्वारा निर्माण कराये जाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है?

यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ हो जायेगा?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर के खटीमा नगरवासियों हेतु जलापूर्ति की योजना

48–श्री गोपाल सिंह राणा–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के खटीमा नगरवासियों के लिए पीने के पानी हेतु शारदा नहर से पाइप लाइन द्वारा जलापूर्ति की कोई योजना प्रस्तावित है?

यदि हां, तो पाइप लाइन बिछाने का कार्य कब से शुरू हो जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

योजना का परीक्षण किया जा रहा है।

परीक्षणोपरान्त, योजना निर्माण का निर्णय लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट में पेयजल संकट सम्बन्धी

49–श्री नारायण राम आर्य–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़, गंगोलीहाट में गम्भीर पेयजल संकट को दूर करने के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हां।

प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भेजा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

टिहरी के बूढ़ाकेदार लो0नि0 अतिथिगृह का निर्माण एवं जीर्णोद्धार की जानकारी

50–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार लो0नि0 अतिथिगृह का निर्माण कब हुआ?

क्या इस अतिथिगृह के जीर्णोद्धार सम्बन्धी आगणन शासन में लम्बित है?

यदि हां, तो क्या सरकार इसके जीर्णोद्धार हेतु विचार कर रही है?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत बूढ़ाकेदार में लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन का निर्माण वर्ष 1956 में हुआ था।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित संसाधन के कारण।

जंगली जानवरों द्वारा फसल नष्ट करने पर किसानों को मुआवजों के मानक का आधार

51–श्री तसलीम अहमद–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जंगली जानवरों के द्वारा किसानों की फसलों के नष्ट होने पर मुआवजा किन मानकों के आधार पर दिया जाता है?

क्या सरकार बतायेगी कि हरिद्वार में पिछले 3 वर्षों में कितने किसानों को हाथियों द्वारा नष्ट की गयी फसलों का कितना मुआवजा दिया गया है?

क्या सरकार जंगली जानवरों द्वारा नष्ट होने पर किसान को लागत के अनुसार मुआवजा दिये जाने पर विचार करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

जंगली जानवरों में से मात्र जंगली हाथियों के द्वारा ग्रामीणों की कृषि फसलों को क्षति पहुंचाये जाने की दशा में शासकीय आदेश संख्या 2384/14–4–96–836/92, दिनांक 6–12–1996 के द्वारा निम्न प्रकार से मुआवजा भुगतान के मानक निर्धारित हैं :–

1. गन्ना–सम्पूर्ण फसल क्षतिग्रस्त होने पर — रु0 2500.00 प्रति एकड़
2. धान, गेहूं, तिलहन–सम्पूर्ण फसल क्षतिग्रस्त होने पर — रु0 2000.00 प्रति एकड़
3. उपरोक्त को छोड़कर शेष सभी फसलों के क्षतिग्रस्त होने पर — रु0 1000.00 प्रति एकड़

हरिद्वार में गत 3 वर्षों में जंगली हाथियों द्वारा नष्ट की गयी फसलों हेतु निम्न प्रकार से मुआवजा भुगतान किया गया है :–

वर्ष	कुल मामले	कुल वितरित धनराशि (रु0)
1999–2000	12	8000
2000–2001	193	223845
2001–2002	61	71570

इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा गम्भीरता पूर्वक विचार किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता है।

रुद्रप्रयाग के चोपड़ा–उमाड़ाडा मोटर मार्ग को भारी वाहन मार्ग में परिवर्तित तथा काण्डई से उमाड़ाडा तक निर्माण कराये जाने की जानकारी

52–श्रीमती आशा नौटियाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत चोपड़ा–उमाड़ाडा मोटर मार्ग कि0मी0 28 से आगे हल्के वाहन मार्ग से भारी वाहन मार्ग में परिवर्तित करने की एवं इसी मोटर मार्ग को काण्डई से उमाड़ाडा तक निर्माण कार्य करवाने के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

संसाधन सीमित होने के कारण।

जनपद रुद्रप्रयाग के इशाला ग्राम के ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराये जाने की योजना

53–श्रीमती आशा नौटियाल–

क्या पेयजल मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत ग्राम इशाला के ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

यदि हां, तो कब तक ग्रामीणों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हां।

वर्ष 2003–04 में तोकों को लाभान्वित करने हेतु नया श्रोत टेप करना, जलाशय निर्माण व पाइप लाइन कार्य प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रुद्रप्रयाग में मोहन खाल से चोपता तुंगनाथ तक वन विभाग द्वारा मोटर मार्ग निर्माण की योजना

54—श्रीमती आशा नौटियाल—

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग में मोहन खाल से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चोपता तुंगनाथ तक वन विभाग द्वारा मोटर मार्ग निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्नगत मार्ग के विस्तार में केदारनाथ कस्तूरा मृग विहार के बफर जोन का सघन वन क्षेत्र पड़ता है। वन्य जीवों एवं पर्यावरण की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए मार्ग का विस्तार चोपता तक नहीं किया जा रहा है।

पिथौरागढ़ में चौबाटी मोटर मार्ग से मड़गांव तक स्वीकृत सड़क के निर्माण विषयक

55—श्री बिशन सिंह चुफाल—

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद पिथौरागढ़ में चौबाटी मोटर मार्ग से मड़गांव तक शहीद खड़क सिंह के नाम से वर्ष 1999 में सड़क स्वीकृत की गयी थी?

यदि हां, तो अभी तक सड़क निर्माण प्रारम्भ न कराये जाने के क्या कारण हैं?

क्या सरकार जनहित में उक्त सड़क का निर्माण करायेगी?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

मात्र सर्वेक्षण कार्य हेतु स्वीकृति दी गयी थी।

स्वीकृत कार्य पूर्ण है।

वर्तमान में सीमित संसाधन के कारण सम्भव नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित संसाधन के कारण।

गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने की योजना

56—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने हेतु क्या कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

क्या यह सत्य है कि विभिन्न नगरों—कस्बों का दूषित पानी गंगा में मिल जाता है?

यदि हां, तो क्या सरकार नदी की पवित्रता बनाये रखने के लिये गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु कोई कार्ययोजना बनाये जाने पर विचार करेगी?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

जी हां।

जी हां।

गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने हेतु गंगा कार्यकारी योजना प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण की योजना के अन्तर्गत कार्य कराये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम मलुवाताल विकास खण्ड भीमताल, नैनीताल में अधूरे निर्मित पुल को पूर्ण कराये जाने सम्बन्धी

57—डॉ0 नारायण सिंह जन्तवाल—

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि ग्राम मलुवाताल विकास खण्ड भीमताल जनपद नैनीताल में अधूरे निर्मित पुल का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करवाया जायेगा?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर कार्य पूर्ण कराने पर विचार किया जायेगा।

हरिद्वार के बाण गंगा की वनरक्षित भूमि पर बादशाहपुर ग्राम के अनुसूचित जातियों को स्वामित्व प्रदान किए जाने विषयक

58—श्री तसलीम अहमद—

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद व तहसील हरिद्वार के बादशाहपुर लेखपाल क्षेत्र में बाण गंगा नं0—2 की 1182 एकड़ वनरक्षित वन भूमि पर बादशाहपुर ग्राम के अनुसूचित जाति के परिवारों का सरकार के पत्रांक संख्या—1450/रा0 का0 के तहत इस भूमि पर स्वामित्व बनता है?

यदि हां, तो क्या सरकार 1182 एकड़ वन रहित वन भूमि पर उक्त परिवारों को स्वामित्व प्रदान करेगी?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

पथरी वन खण्ड की उक्त भूमि वन विभाग द्वारा राजस्व विभाग को हस्तान्तरित की गयी थी। उक्त भूमि पर अनुसूचित जाति के परिवारों को स्वामित्व देने की कार्यवाही वन विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

हरिद्वार में वन भूमि पर बसे कमलानगर व पुरुषोत्तम नगर को राजस्व विभाग को हस्तान्तरित किए जाने विषयक

59–श्री तसलीम अहमद–

क्या वन मंत्री अवगत हैं कि जनपद व तहसील हरिद्वार ब्लाक बहादराबाद के कमलानगर व पुरुषोत्तम नगर आरक्षित वन भूमि पर बसे हैं?

यदि हां, तो क्या सरकार दोनों वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने के लिए वन भूमि को अनाधिसूचित (डिनोटिफाई) करते हुए राजस्व विभाग को हस्तांतरित करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

जी हां।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अनुसार भारत सरकार से अनुमति प्राप्त किये बिना वन भूमि हस्तान्तरित नहीं हो सकती है।

प्रकरण वन भूमि में अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। भारत सरकार से इस सम्बन्ध में दिशा निर्देश प्राप्त होने पर ही, यथास्थिति, कार्यवाही की जा सकेगी।

जाखणी पेयजल योजना का अनुबन्ध एवं लाभान्वित गांवों की जानकारी

60–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में विकास खण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत जाखणी पेयजल योजना का अनुबन्ध कब हुआ तथा उक्त योजना से कौन–कौन से गांव लाभान्वित होंगे?

उक्त पेयजल योजना पर कब तक कार्य प्रारम्भ हो जायेगा?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जाखणी पेयजल योजना के कार्यों का अनुबन्ध दिनांक 12–04–02 को हुआ। योजना से ग्राम जाखणी, धिल्डियाल गांव, देवली एवं रानीहाट लाभान्वित होंगे।

श्रोत पर विवाद होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं करवाया जा सका। जिसे सुलझाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

61—श्री हरबंस कपूर—द्वितीय सोमवार के तारा0 4 में स्था0

नगर निगम, देहरादून में सफाई कर्मचारियों हेतु आवासीय योजना सम्बन्धी

62—श्री हरबंस कपूर—

क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि नगर निगम, देहरादून में सेवारत सफाई कर्मचारियों के लिये नगर निगम की भूमि पर आवासीय कॉलोनी बनाकर उन्हें आसान किश्तों पर भवन आवंटित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है?

यदि नहीं, तो क्या भविष्य में ऐसी योजना बनाई जायेगी?

श्री नव प्रभात—

जी नहीं, ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जी नहीं।

नगर निगम, देहरादून में जनसंख्या/क्षेत्रफल के आधार पर अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति सम्बन्धी

63—श्री हरबंस कपूर—

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर निगम, देहरादून में नियुक्त सफाई कर्मचारी नगर निगम के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या को देखते हुए कम हैं?

यदि हां, तो क्या नगर निगम की जनसंख्या और क्षेत्रफल को देखते हुए अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की जायेगी?

यदि हां, तो कितने और कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात—

उत्तरांचल राज्य के निकायों में सफाई कर्मचारियों के मानकों के निर्धारण हेतु एक समिति गठित की गई है। जिसके द्वारा जनसंख्या, क्षेत्रफल एवं अन्य तथ्यों के आधार पर अपनी रिपोर्ट दी जायेगी।

समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

64—श्री हरबंस कपूर—द्वितीय सोमवार के अता० 7 में स्था०

जनपद टिहरी के घनसाली कस्बे में वाहनों के बढ़ते दबाव के कारण बाईपास मोटर मार्ग का निर्माण

65—श्री बलबीर सिंह नेगी—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली कस्बे में वाहनों के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए बूढ़ाकेदार, दल्ला रमणी विनकखाल व घुत्तू जाने वाली बस सेवाओं के लिए बाईपास मोटर मार्ग का निर्माण करने पर सरकार विचार कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

जी नहीं।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण।

बूढ़ाकेदार व ग्राम थाति में पेयजल योजना की मांग

66—श्री बलबीर सिंह नेगी—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बूढ़ाकेदार व ग्राम थाति में पेयजल हेतु कोई कार्य योजना विचाराधीन है?

यदि हां, तो कब तक प्रस्तावित योजना पर कार्य प्रारम्भ हो जायेगा?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

जी हां।

धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। कार्य यथाशीघ्र प्रारम्भ किया जायेगा।

बूढ़ाकेदार—तितरूणा मोटर मार्ग पर कार्यदायी संस्था द्वारा बिछाई जा रही पाइप लाइन की अनुमति एवं भुगतान विषयक

67—श्री बलबीर सिंह नेगी—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार क्षेत्र में धर्मगंगा व बालगंगा नदी पर निर्माणाधीन गुनसोला हाईड्रो पावर कम्पनी द्वारा बूढ़ाकेदार—बेलक मोटर मार्ग व बूढ़ाकेदार—कोटविशन—घण्डियाल चौड—तितरूणा मोटर मार्ग पर तीन फुट चौड़ी पाइप लाइन बिछाकर ले जाने की अनुमति शासन से प्राप्त कर ली गई है?

यदि नहीं, तो क्यों?

क्या संबंधित कम्पनी ने लोक निर्माण विभाग को इस संबंध में कोई भुगतान किया है?

यदि हां, तो कितना?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं।

कम्पनी के द्वारा प्रश्नगत मार्गों पर कोई पाइप लाइन नहीं बिछाई गयी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बेलक त्रियुगी नारायण पद यात्रा मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित किए जाने विषयक

68–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद टिहरी गढ़वाल में विकास खण्ड भिलंगना के अन्तर्गत बेलक त्रिजुगी नारायण पदयात्रा मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है?

यदि हां, तो कब तक उक्त मोटर मार्ग का निर्माण प्रारम्भ किया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीमित संसाधन के कारण।

कुमाऊं एवं गढ़वाल मण्डल के वन डिपो में जमा लीसा एवं बिक्री नीति बनाये जाने की जानकारी

69–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कुमाऊं एवं गढ़वाल मण्डल के वन विभाग के डिपोओं में कुल कितना लीसा वर्तमान में जमा है?

तथा वर्ष 2002–03 में विभाग द्वारा कितने कुन्तल लीसा की बिक्री हुई?

क्या यह सत्य है कि वन विभाग के डिपोओं में बड़ी मात्रा में लीसा पड़ा है?

क्या मंत्री जी के संज्ञान में है कि प्रदेश में प्राइवेट लीसा फैक्ट्रियां, लीसे के अभाव में बंद पड़ी हैं?

यदि हां, तो क्या सरकार लीसा बिक्री नीति बनाये जाने पर विचार करेंगी?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

वन विभाग के लीसा डिपुओं में मण्डलवार निम्न प्रकार से लीसा जमा है :–

कुमाऊं मण्डल	1,06,060.75 कुन्तल
गढ़वाल मण्डल	93,095.34 कुन्तल
कुल	1,99,156.09 कुन्तल

विभाग द्वारा वर्ष 2002–03 में कुल 81,865.56 कुन्तल लीसा की बिक्री की गई।

जी हां।

वर्ष में उत्पादित लीसे का 50 प्रतिशत खुले नीलाम से बेचा जा रहा है, अतः जो इकाइयां उद्योग चलाना चाहती हैं, वह लीसा खुले नीलाम से क्रय कर सकती हैं।

लीसा नीति बनाये जाने हेतु कार्यवाही प्रगति पर है।

शीघ्रातिशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता है।

टिहरी क्षेत्र की क्षतिग्रस्त क्वीडांग पेयजल योजना का पुनर्गठन

70–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत क्वीडांग पेयजल योजना कितने वर्ष पूर्व बनाई थी? क्या यह सत्य है कि उक्त पेयजल योजना के पाइप सड़ कर नष्ट होने से पेयजल आपूर्ति बाधित हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना का पुनर्गठन कर सम्बन्धित गांवों में जलापूर्ति करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

टिहरी गढ़वाल के चमियाला, श्रीकोट, सिल्यारा व सेन्दुल पेयजल योजना के पुनर्गठन विषयक

71–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के चमियाला, श्रीकोट, सिल्यारा व सेन्दुल पेयजल योजना कितने वर्ष पूर्व बनाई गई थी?

इस योजना पर कितने स्टैण्ड पोस्ट व कितने प्राइवेट कनैक्शन आवंटित किये गये हैं?

तथा उक्त योजना से कितने व्यक्तिगत कनैक्शन आवंटित करने की क्षमता थी?

क्या यह सत्य है कि उक्त पेयजल योजना से संबंधित गांवों में पेयजल आपूर्ति बाधित हो रही है?

यदि हां, तो क्या सरकार इस योजना का पुनर्गठन कर संबंधित गांवों में जलापूर्ति का प्रयास करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

नगरपालिका एवं नगर निगम को उनके क्षेत्र में बनने वाले भवनों के मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार

72–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार नगरपालिका एवं नगर निगम को उनके क्षेत्र में बनने वाले भवनों का मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार देने पर विचार करेगी?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

उत्तरांचल म्यूनिसिपल अधिनियम एवं नगर एवं क्षेत्रीय नियोजन अधिनियम बनाये जाने हेतु समिति का गठन किया गया है।

समिति द्वारा की गई संस्तुति के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात्।

प्रश्न ही नहीं उठता।

देहरादून में मोथरोवाला–दुधली सम्पर्क मोटर मार्ग की जानकारी

73–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या लो०नि० मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि क्या देहरादून जनपद के मोथरोवाला–दुधली सम्पर्क मोटर मार्ग का कार्य पूर्ण हो गया है?

यदि हां, तो कब?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वन भूमि हस्तानांतरण की स्वीकृति न होने के कारण।

जनपदों एवं राज्य हेतु सड़क मास्टर प्लान एवं उसके स्वरूप की जानकारी

74—श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत—

क्या लो0नि0 मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि सरकार द्वारा जनपदों के लिए व राज्य के लिए कोई सड़क मास्टर प्लान तैयार किया गया है?

यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

जी हां।

मास्टर प्लान में विभिन्न श्रेणी के विद्यमान मार्गों का विवरण एवं मार्ग से जुड़े ग्रामों की स्थिति तथा अन्य विवरण अंकित किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

पिथौरागढ़ के गोबराड़ी कासनधार में वन भूमि से खड़िया के खनन की स्वीकृति विषयक

75—श्री बिशन सिंह चुफाल—

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि पिथौरागढ़ जनपद के गोबराड़ी कासनधार के पास से खड़िया निकाली जा रही है?

यदि हां, तो क्या वन भूमि से खड़िया निकालने की स्वीकृति है?

यदि हां, तो कितने घन मीटर की स्वीकृति है?

श्री नव प्रभात—

पिथौरागढ़ जनपद के ग्राम गोबराड़ी में गैर वन भूमि के अन्तर्गत 21.68 है0 क्षेत्र में खड़िया पत्थर (सोप स्टोन) निकालने हेतु खनन पट्टे की स्वीकृति औद्योगिक विकास विभाग द्वारा दी गयी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश के मोटर मार्गों में डामर के नवीनीकरण के मानक एवं पिथौरागढ़ के सानदेव—चौबाटी मोटर मार्ग के डामर नवीनीकरण की जानकारी

76—श्री बिशन सिंह चुफाल—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि प्रदेश में मोटर मार्गों में डामर के नवीनीकरण के क्या मानक हैं?

क्या जनपद पिथौरागढ़ के सानदेव—चौबाटी मोटर मार्ग में सरकार द्वारा डामर नवीनीकरण किया गया है?

यदि हां, तो कितना कि0मी0?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद चमोली के हेलंग उर्गम (हल्का वाहन) मार्ग के पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति विषयक

77–डॉ0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद चमोली में हेलंग उर्गम (हल्का वाहन) मार्ग का पुनरीक्षित आगणन रु0 128.70 लाख की स्वीकृति हेतु शासन स्तर पर लम्बित है?

यदि हां, तो क्या सरकार इस आगणन की स्वीकृति इसी वित्तीय वर्ष 2002–03 में प्रदान करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं। शासन द्वारा मार्च, 2000 तक स्वीकृत कार्यों के पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति पर रोक लगा दी गई।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

चमोली के सलूड–डूँग्रा मोटर मार्ग के निर्माण से सम्बन्धित पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति की जानकारी

78–डॉ0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद चमोली के सलूड डूँग्रा मोटर मार्ग के निर्माण कराये जाने हेतु पुनरीक्षित आगणन रु0 105.70 लाख शासन स्तर पर लम्बित है?

यदि हां, तो क्या सरकार इस आगणन की स्वीकृति इसी वित्तीय वर्ष 2002–03 में प्रदान करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के मलारी नीति मोटर मार्ग का पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति विषयक

79—डॉ0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद चमोली के अन्तर्गत मलारी नीती मोटर मार्ग कि0मी0 15 से 21 तक का पुनरीक्षित आगणन रु0 363.76 लाख शासन के विचाराधीन है?

यदि हां, तो क्या जनपद चमोली के इस मोटर मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु आगणन इसी वित्तीय वर्ष 2002—03 में स्वीकृत किया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश—

जी नहीं। शासन द्वारा मार्च, 2000 तक स्वीकृत कार्यों के पुनरीक्षित आगणन की स्वीकृति पर रोक लगाई गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोपेश्वर में नई सीवर लाइन स्वीकृत्त किए जाने की मांग

80—डॉ0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी—

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि चमोली के जनपद मुख्यालय गोपेश्वर में नगरपालिका वासियों की मांग के अनुसार नई सीवर लाइन स्वीकृत करने पर विचार किया जा रहा है?

यदि हां, तो कब तक निर्णय ले लिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी—

जी हां।

शासनादेश संख्या—767/नौ—2—(01पै)/2003, दिनांक 30—3—2003 द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

टिहरी गढ़वाल में हुलाणा खाल पृथक विकास खण्ड का सृजन

81—श्री बलबीर सिंह नेगी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद टिहरी गढ़वाल में हुलाणा खाल को पृथक विकास खण्ड के रूप में निर्मित किये जाने की मांग बहुत समय से की जा रही है?

यदि हां, तो सरकार कब तक उक्त विकास खण्ड का गठन करेगी?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हां।

भारत सरकार द्वारा विकास खण्डों के गठन हेतु कोई नीति एवं सहायता न दिये जाने के कारण वर्तमान में विकास खण्डों का सृजन किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद उत्तरकाशी की सकरोला नहर निर्माण के सम्बन्ध में

82–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि बहुचर्चित सकरोला नहर, अपर वन प्रभाग के अन्तर्गत रवाइ रेंज जनपद उत्तरकाशी का निर्माण सांसद निधि एवं जिला योजना के तहत प्राप्त राशियों से किया गया था?

यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में अविलम्ब उक्त क्षतिग्रस्त नहर के निर्माण को पूरा करायेगी।

तथा नहर की तोड़–फोड़ के लिए जिम्मेदार संबंधित विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

जी हां।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के तहत वन क्षेत्र में गूल/नहर निर्माण, यथास्थिति, राज्य सरकार/भारत सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना किया जाना सम्भव नहीं है।

जी नहीं।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 तथा भारतीय वन (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2001 के प्राविधानों का उल्लंघन पाये जाने के कारण विभागीय कार्मिकों द्वारा अवैध निर्माण हटाने की कार्यवाही की गयी है, अतः सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद टिहरी में छतियारा खवाड़ा मोटर मार्ग निर्माण विषयक जानकारी

83–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद टिहरी गढवाल में छतियारा–खवाड़ा मोटर मार्ग का निर्माण स्वीकृत एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप किया गया है?

उक्त मोटर मार्ग पर अब तक कितना धन व्यय किया गया है तथा कितने कि0मी0 सड़क का निर्माण हो चुका है?

क्या सरकार अवशेष कार्य को शीघ्र पूर्ण कराये जाने पर विचार करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हां।

रु0 145.24 लाख एवं 12.42 कि0मी0।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रुद्रप्रयाग में छेमा उछोला, रतनपुर–स्वीलीसेम तथा काण्डई कमोल्डी मोलखाल मोटर मार्ग निर्माण की जानकारी

84–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद रुद्रप्रयाग में छेमा उछोला, रतनपुर–स्वीलीसेम तथा काण्डई कमोल्डी मोलखाल मोटर मार्ग कब और कितने कि0मी0 स्वीकृत हुये थे? क्या सभी स्वीकृत मोटर मार्गों का निर्माण हो चुका है? यदि हां तो क्या कारण है कि आज दिन तक इन मोटर मार्गों पर कोई भी वाहन नहीं चल पाया है? क्या सरकार जनहित में उक्त मोटर मार्गों को यथाशीघ्र वाहन चलाने योग्य बनायेंगी? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

सूचना एकत्र की जा रही है।

टिहरी गढ़वाल में मूलगढ़–ठेला–गण्डाराखाल हल्का वाहन मार्ग निर्माण विषयक

85–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद टिहरी गढ़वाल में मूलगढ़–ठेला–गण्डाराखाल हल्का वाहन मार्ग का कितने कि0मी0 निर्माण किया जा चुका है?

इस मार्ग पर अब तक कुल कितना व्यय किया जा चुका है?

उक्त मोटर मार्ग का गण्डाराखाल तक निर्माण कब तक कर लिया जायेगा?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मूलगढ़ से थार्ती तक 8.00 कि0मी0 लम्बाई में मार्ग का निर्माण एवं ग्राम ठेला के समीप एक मोटर सेतु का निर्माण पूर्ण हो चुका है।

मार्ग व सेतु के निर्माण में अब तक रु0 161.99 लाख व्यय हो चुके हैं।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर अवशेष 9.75 कि0मी0 मार्ग निर्माण कराने पर विचार किया जायेगा।

चमियाला–नागेश्वर सौड़–कोटालगांव–लम्बगांव मोटर मार्ग निर्माण की स्थिति

86–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद टिहरी गढ़वाल में चमियाला–नागेश्वर सौड़–कोटालगांव–लम्बगांव मोटर मार्ग कब तक बन कर पूर्ण हो जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

यह मार्ग 25 कि0मी0 लम्बाई में स्वीकृत है। लम्बगांव की ओर से 15 कि0मी0 तथा चमियाला की ओर से 9 कि0मी0 यातायात हेतु उपलब्ध है। अवशेष मार्ग का निर्माण वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो जाने पर किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

पहाड़ी क्षेत्रों की सड़क निर्माण हेतु नीति

87–श्री फूल सिंह बिष्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि पहाड़ी क्षेत्रों में मोटर मार्ग बनाना मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा कठिन होता है?

यदि हां, तो क्या सरकार व्यापक स्तर पर सर्वेक्षण कर पहाडी क्षेत्रों की सडक निर्माण की अलग नीति बनायेगी?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

जी हां।

पूर्व से नीति निर्धारित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पहाड़ी मार्गों के अंधे मोड़ों को दुरस्त करने की योजना

88–श्री फूल सिंह बिष्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि क्या पहाड़ी मार्गों में अधिक वाहन दुर्घटनायें अंधे मोड़ों के कारण घटित होती हैं?

यदि हां, तो क्या इन अंधे मोड़ों को दुरस्त कराने की सरकार की कोई योजना है?

यदि नहीं तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

जी हां। अंधा मोड़ वाहन दुर्घटना का एक कारक हो सकता है।
आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य के जनपदों में यातायात हेतु कच्ची/पक्की मोटर सड़कों की उपलब्धता एवं कच्ची सड़कों को कोलतार से लेपित करने हेतु वरीयता क्रय नीति की जानकारी

89–श्री फूल सिंह बिष्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि राज्य के प्रत्येक जनपद में कितने कि0मी0 पक्की और कितने कि0मी0 कच्ची सड़कें मोटर यातायात हेतु उपलब्ध हैं?

कच्ची सड़कों को कोलतार से लेपित करने की सरकार ने कोई वरीयता क्रम की नीति बनाई है?

यदि हां, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

विवरण संलग्न है।

जी हां।

प्रथम चरण में प्रमुख जिला मार्ग, मुख्य अन्य जिला एवं ग्रामीण मार्ग को लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ सं0 139 पर)

लोक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न कार्यों हेतु जनपदवार आवंटित धन की स्वीकृति एवं विवरण की जानकारी

90–श्री फूल सिंह बिष्ट–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि वर्तमान सरकार के गठन के बाद अभी तक राज्य के प्रत्येक जनपद को लोक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए जनपदवार कितना धन आवंटित, स्वीकृत और निर्गत हुआ है? क्या पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखा जायेगा?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

वर्तमान सरकार के गठन के बाद वित्तीय वर्ष 2002–2003 में स्वीकृत और निर्गत धनराशि का जनपदवार विवरण संलग्न है।

जनपद टिहरी के घनसाली में चेकडाम/वनीकरण हेतु कार्यरत रेंज एवं उनके ऊपर खर्च की गई धनराशि की जानकारी

91—श्री बलबीर सिंह नेगी—

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली विधान सभा क्षेत्र में चेकडाम/वनीकरण हेतु कितने रेंज कार्यरत हैं?

क्या मंत्री महोदय यह भी बतायेंगे कि किस रेंज में गत वर्ष तथा चालू वर्ष में कितनी—कितनी धनराशि चेकडाम व वनीकरण पर खर्च की गई?

संलग्नक : परिशिष्ट

श्री नव प्रभात—

घनसाली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 5 रेंज पूर्णरूप से तथा 2 रेंज आंशिक रूप से कार्यरत हैं।

विभिन्न रेंजों में चेकडाम व वनीकरण पर संलग्न परिशिष्ट के अनुसार धनराशि खर्च की गयी है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ सं0 140 पर)

भिलंगना क्षेत्र के लाटा—सीताकोट—मटगांव मोटर मार्ग निर्माण में विलम्ब के कारण

92—श्री बलबीर सिंह नेगी—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड, भिलंगना के अन्तर्गत लाटा—सीताकोट—मटगांव मोटर मार्ग में विलम्ब के क्या कारण हैं?

उक्त मोटर मार्ग का निर्माण कब तक पूर्ण हो जायेगा?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

वन भूमि स्थानांतरण में विलम्ब के कारण।

स्वीकृत कार्य आगामी वित्तीय वर्ष 2003–04 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

वन विभाग में दस वर्षों से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार नियमितीकरण किये जाने हेतु

93–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 21.02.2002 के आदेशानुसार वन विभाग में दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में से अब तक कितने कर्मचारियों को नियमित किया गया है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.02.2002 के समादर में दैनिक वेतन भोगी कार्मिकों के विनियमितीकरण की दिशा में कार्यवाही अन्तिम चरण में है।

प्रश्न नहीं उठता है।

94–श्री बलबीर सिंह नेगी–द्वितीय मंगलवार के अता0 07 में स्था0

प्रदेश में नये विकास खण्ड बनाने की योजना एवं अगस्तमुनि विकास खण्ड का विभाजन कर नये रुद्रप्रयाग विकास खण्ड के सृजन पर विचार

95–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में नये विकास खण्ड बनाने के लिए सरकार की क्या कोई योजना प्रस्तावित है?

यदि हां, तो क्या सरकार विकास खण्ड, अगस्तमुनि का विभाजन कर नये विकास खण्ड, रुद्रप्रयाग का सृजन करने पर विचार कर रही है?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार द्वारा विकास खण्डों के गठन हेतु कोई नीति एवं सहायता न दिये जाने के कारण वर्तमान में विकास खण्डों का सृजन किया जाना सम्भव नहीं है।

राज्य की राजधानी देहरादून में वाहनों के बढ़ते दबाव को कम करने की योजना

96–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि उत्तरांचल राज्य की राजधानी देहरादून में वाहनों के बढ़ते दबाव के कारण आम जनता के आवागमन में परेशानी हो रही है?

यदि हां, तो क्या सरकार इस दबाव को कम करने के लिए कोई योजना बनाने जा रही है?

यदि हां, तो कब तक?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

जी हां।

इस दबाव को कम करने के लिये सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

टिहरी विकास खण्ड, प्रतापनगर की अनुसूचित जाति की बस्ती "थोड़की" में पेयजल उपलब्ध कराने की योजना

97–श्री फूल सिंह बिष्ट–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या जनपद टिहरी विकास खण्ड प्रतापनगर की अनुसूचित जाति की बस्ती "थोड़की" में पेयजल संकट है?

यदि हां, तो क्या उक्त ग्राम को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

यह बस्ती राजीव गांधी पेयजल मिशन सूचीनुसार आंशिक सेवित श्रेणी की है।

इस बस्ती को पूर्ण सेवित श्रेणी में लाने हेतु गुरुत्व श्रोत का अनुसंधान कराया जा रहा है। श्रोत तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर योजना का निर्माण कराया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

विकास खण्ड, प्रतापनगर में नैगराल गांव की पेयजल समस्या

98–श्री फूल सिंह बिष्ट–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड, प्रतापनगर में नैगराल गांव की पेयजल समस्या को देखते हुए उक्त ग्राम में हैण्ड पम्प लगाने पर सरकार विचार कर रही है?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं? तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2003–04 में प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रतापनगर कस्बे में लिफ्ट पम्पिग योजना द्वारा जलकूट नदी से पेयजल उपलब्ध कराने की मांग

99–श्री फूल सिंह बिष्ट–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार प्रतापनगर कस्बे में पेयजल उपलब्धता के लिए जलकूट नदी से लिफ्ट पम्पिंग योजना बनवायेगी?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

पम्पिंग योजना के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प न होने पर वित्तीय संशोधनों की उपलब्धता के आधार पर योजना निर्माण की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

टिहरी की डांगी समूह ग्राम पेयजल योजना के पुनर्गठन की मांग

100–श्री फूल सिंह बिष्ट–

क्या पेयजल मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल की 30 वर्ष पूर्व निर्मित डांगी समूह ग्राम पेयजल योजना के पुर्नगठन की मांग स्थानीय जनता एक लम्बे समय से करती आ रही है?

यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना का पुनर्गठन कर सम्बन्धित गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु त्वरित कार्यवाही करेगी?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

जी हां।

योजना का पुनर्गठन वर्ष 2003–04 में किया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

टिहरी गढ़वाल की कोर्दी ग्राम समूह पेयजल योजना से सम्बन्धित जानकारी

101–श्री फूल सिंह बिष्ट–

क्या पेयजल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल की समूह ग्राम पेयजल योजना कोर्दी–भरपुर स्वीकृत हुई थी?

क्या यह सत्य है कि तकनीकी दोषों के कारण योजना के समूह ग्रामों से दो ग्राम हलेत्त और भरपुर हटाये गये?

क्या यह सत्य है कि अब इस योजना का नाम कोर्दी–गुलाणी रख दिया गया है?

क्या यह भी सत्य है कि यह योजना विगत 20–25 वर्षों से निर्माणाधीन है?

यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पेयजल योजना से ग्राम भरपुर और हलेत को भी पेयजल उपलब्ध कराने पर विचार करेगी?

यदि हां, तो कब तक?

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

योजना कोर्दी ग्राम समूह पेयजल योजना के नाम से स्वीकृत है।

श्रोत में श्राव की कमी के कारण योजना से ग्राम हलैथ और भरपुर हटाये गये।

जी नहीं।

जी नहीं। योजना वर्ष 1993 में पूर्ण हो चुकी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

चमियाला–नागेश्वर–सौड़–कैमुण्डा–कोटालगांव–लम्बगांव मोटर मार्ग का नाम स्वतंत्रता संग्राम सैनानी स्वर्गीय श्री त्रेपन सिंह नेगी के नाम पर रखे जाने हेतु विचार

102–श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद टिहरी गढ़वाल के चमियाला–नागेश्वर–सौड़–कैमुण्डा–कोटालगांव–लम्बगांव मोटर मार्ग का नाम स्वतंत्रता संग्राम सैनानी स्वर्गीय श्री त्रेपन सिंह नेगी के नाम पर रखे जाने पर विचार करेंगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

शासन के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव विचारार्थ नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

103–श्री हरबंस कपूर–द्वितीय सोमवार के अता0 5 में स्था0

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

आज नियम 301 के अन्तर्गत 11 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :–

1. श्री मातबर सिंह कण्डारी
2. श्रीमती विजय बड़थ्वाल
3. श्री अजय भट्ट
4. कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
5. श्री प्रीतम सिंह पंवार
6. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट
7. श्री बिशन सिंह चुफाल
8. श्रीमती आशा नौटियाल
9. श्री अनिल नौटियाल
10. काजी निजामुद्दीन
11. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

मैं इनमें से 7 सूचनाओं को सुन रहा हूं :–

1. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत
2. काजी निजामुद्दीन
3. श्री बिशन सिंह चुफाल
4. श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट
5. कुंवर प्रणव सिंह, "चैम्पियन"
6. श्री मातबर सिंह कण्डारी
7. श्रीमती विजय बड़थ्वाल

जनपद देहरादून में वन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गांवों में हाथियों से बचाव हेतु सोलर अथवा इलेक्ट्रिक फैन्सिग लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, जनपद देहरादून के कुवांवाला, नकरौंदा, लच्छीवाला, मिस्सार वाला, चॉदमारी, माघोवाला सतीवाला, नागल बुलन्दावाला आदि गांवों में हाथियों द्वारा खेतों की खड़ी फसल, भवन, नागरिकों पर प्राणघातक हमले की घटना से जनता अत्यन्त भयभीत

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है और त्रस्त है। सरकार द्वारा कोई भी कार्यवाही न किये जाने के कारण जनता अपने को असुरक्षित महसूस कर रही है। जनता पूरी रात आग जलाकर जाग रही है। जिसके लिए संदर्भित क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले वन क्षेत्र में सोलर अथवा इलेक्ट्रिक फैन्सिंग लगाना अत्यावश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर कार्यवाही करने की मांग करता हूं।

प्रदेश में गुटके पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, आजकल गुटके का प्रचलन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। बड़े–बूढ़े ही नहीं बल्कि छोटे–छोटे बच्चे भी इसकी लत का शिकार हो रहे हैं। जिस कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे कैंसर, अस्थमा व अन्य बीमारियां गंभीर रूप लेती जा रही हैं और जगह–जगह गुटका खाने वालों द्वारा गंदगी फैली हुई है।

अतः मैं गुटखे पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

जनपद पिथौरागढ़ के लोहाथल पेयजल योजना के कार्यों की गुणवत्ता की जांच के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ के लोहाथल पेयजल पुनर्गठन का कार्य वर्ष 2001 में पूर्ण किया गया। पेयजल योजना की गुणवत्ता ठीक न होने से योजना में पानी नहीं चल रहा है। पेयजल की टंकी में दरारें पड़ी हैं। पाइप लाइन जमीन के ऊपर से बिछाने के कारण लाइन टूट गई है। क्षेत्र में पेयजल का संकट बना हुआ है। जनता में आक्रोश व्याप्त है। पेयजल योजना की जांच करायी जाय।

अतः इस लोक महत्त्व के विषय पर अविलम्ब कार्यवाही की जाय।

जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत कनक चौरी एवं पोखरा में क्षतिग्रस्त बिजली के तारों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत कनक चौरी एवं पोखरा में क्षतिग्रस्त बिजली के तारों की ओर दिलाना चाहता हूं। जिससे भविष्य में अप्रिय घटना की सम्भावना बनी हुई है।

मान्यवर, उक्त दोनों स्थानों में तीन माह पूर्व बर्फबारी के कारण बिजली के तार क्षतिग्रस्त हुए थे। बार–बार विद्युत विभाग को सूचित करने के बाद भी विभाग ने इस ओर ध्यान नहीं दिया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, उक्त दोनों स्थानों में विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए विभाग को निर्देशित करें जिससे भविष्य में होने वाली किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके।

दुगड्डा चुनाधारा (पौड़ी) के सौंदर्यीकरण हेतु आवंटित धनराशि को उसी योजना पर लगाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पर्यटन विभाग से शासनादेश संख्या : 222/प0अ0/156–पर्य0/2002, दिनांक 26 मार्च, 2002 द्वारा दुगड्डा चुनाधारा (पौड़ी) के सौंदर्यीकरण हेतु नगरपालिका परिषद, दुगड्डा को रु0 7.50 लाख के आवंटन के सम्बन्ध में शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

महोदय, प्रस्तावित योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसे पर्यटन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त मानते हुए ही शासन द्वारा स्वीकृत किया गया था। इस योजना के पूर्ण होने से पौड़ी जनपद के उक्त स्थान को पर्यटन स्थल का प्रमुख स्थल बनने की संभावनाएं हैं। जहां एक ओर वर्तमान सरकार पर्यटन को रोजगार एवं मुख्य आय का श्रोत बनाने का प्रचार कर रही है वहीं दूसरी ओर प्रशासन शासन द्वारा स्वीकृत योजनाओं का धन अन्य योजनाओं में लगाकर महत्वाकांक्षी योजनाओं को समाप्त करने में लगा है। इससे उस क्षेत्र के निवासियों में अत्यन्त रोष है और निकट भविष्य में जनता आन्दोलित भी हो सकती है।

अस्तु आपसे विनम्र निवेदन करते हुए मैं लोक महत्व की उक्त सूचना पर सदन में चर्चा कराये जाने की मांग करती हूं।

गन्ना विकास परिषद लक्सर जनपद हरिद्वार के संचालक मण्डल का चुनाव कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''–

माननीय अध्यक्ष जी, ''गन्ना विकास परिषद्'', लक्सर (हरिद्वार जनपद) का बोर्ड अवैध रूप से गत 14 वर्ष से पद ग्रहण सहित कार्यरत है, जबकि बोर्ड का कार्यकाल केवल 5 वर्ष होता है। यह जनहित के विरुद्ध है।

उक्त बोर्ड द्वारा अधिकार नहीं होते हुए भी गन्ना अधिनियमों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। उपरोक्त अनियमितता पर शासन का संज्ञान अनिवार्य है। जिससे यथोचित कार्यवाही की जा सके। उचित रहेगा, यदि गन्ना विकास परिषद, लक्सर के संचालक मण्डल का निरस्तीकरण आदेश जारी करते हुए, किसान हित में पुनः चुनाव कराए जाने की प्रक्रिया सुनिश्चित करा दी जाए। अतः गन्ना विकास परिषद, लक्सर के अवैध संचालन को दृष्टिगत रख अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ।

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद रुद्रप्रयाग के पट्टी भरदार की नहर धारी चौरास का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, आश्चर्य का विषय है कि पट्टी भरदार, जनपद रुद्रप्रयाग की नहर धारी चौरास के निर्माण हेतु अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग, रुद्रप्रयाग के पास दो लाख रुपये की धनराशि पड़ी है। किन्तु निर्माण कार्य फिर भी प्रारम्भ नहीं किया गया है।

मैं चाहूंगा कि उक्त दो लाख रुपये की धनराशि से नहर का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय। साथ ही धारी चौरास नहर निर्माण के अधूरे कार्य को पूर्ण कर दिया जाय।

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

नियम–301 के अन्तर्गत सौनी–देवलीखेत–डुग्रोडाखाल होते हुए तिपौला तक सड़क निर्माण के संबंध में उठायी गयी सूचना के संदर्भ में मा0 सदस्य श्री अजय भट्ट ने आज नियम–300 के अन्तर्गत सूचना दी है। अगर उत्तर स्पष्ट नहीं है तो यह अन्य नियमों में उठाया जा सकता है, अतः मैं इसे औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूँ।

काजी निजामुद्दीन ने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के सन्दर्भ में राज्य में वक्फबोर्ड के गठन के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य का प्रश्न उठाया है और कहा है कि बोर्ड में पांच मुस्लिम सदस्यों को नामित न किये जाने से एक्ट का उल्लंघन हुआ है। इस संबंध में शासन से सूचना प्राप्त होने पर यथा समय आवश्यक कार्यवाही की जायेगी, अतः मैं इसे औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूँ। श्री प्रकाश पंत ने दिनांक 08–03–03 को उत्तरांचल विधान सभा का सत्र आहूत किये जाने के उपरान्त "उत्तरांचल" (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अध्यादेश, 2003 (उत्तरांचल अध्यादेश संख्या 3, वर्ष 2003) को प्रख्यापित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाया है इस बात से सहमत होते हुए कि सत्र की अधिसूचना होने के उपरान्त अध्यादेश प्रख्यापित किया जाना स्वस्थ परम्परा नहीं है किन्तु इस आलोक में कि उक्त अध्यादेश पर अननुमोदन का संकल्प दि0 31–03–2003 को सदन में अस्वीकृत हो चुका है उचित होता यदि माननीय सदस्य अननुमोदन पर चर्चा के समय अपनी बात रखते, मैं औचित्य के इस प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली विधान सभा क्षेत्र को पृथक जनपद बनाये जाने के संबंध में याचिका

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली विधान सभा क्षेत्र को पृथक जनपद बनाये जाने के सम्बन्ध में" श्री प्रेम सिंह रावत एवं अन्य निवासीगण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत घनसाली–घुत्तु देवलंग गंगी मोटर मार्ग के डामरीकरण के सम्बन्ध में याचिका

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत घनसाली–घुत्तु देवलंग गंगी मोटर मार्ग के डामरीकरण के सुधार के सम्बन्ध में" श्री प्रेम सिंह रावत एवं अन्य निवासीगण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री हरबंस कपूर द्वारा राजस्व मंत्री के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

श्री हरबंस कपूर, सदस्य, विधान सभा द्वारा अपने पत्र दि0 16 दिसम्बर, 2002 को नियम–64 के अन्तर्गत विशेषाधिकार हनन की सूचना दी गई कि दिनांक 16 दिसम्बर, 2002 को प्रातः 11.00 बजे विधान सभा के तृतीय सत्र के प्रथम सोमवार को सदन की कार्यवाही के दौरान सम्पूर्ण प्रतिपक्ष के माननीय विधायकों द्वारा सरकार के दमनात्मक कार्यवाही व पटवारी भर्ती प्रकरण पर नियम 311 के अन्तर्गत नियमों का निलम्बन कर चर्चा कराये जाने की मांग की गई, परन्तु पीठ द्वारा सदन 12.00 बजे तक स्थगित करने के निर्देश दिये गये थे। उस समय समस्त प्रतिपक्षी विधायक नियम 311 के अन्तर्गत प्रश्नगत विषय पर चर्चा कराये जाने की मांग पर "वैल" में प्रवेश कर गये थे। उसी समय 11.10 पर माननीय हरक सिंह रावत, मंत्री उत्तरांचल सरकार आये और मुझे असंसदीय एवं अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर जोर–जोर से इंगित कर बोलने लगे तथा मारने को दौड़ पड़े, जिन्हें वहां पर उपस्थित कतिपय सदस्यों द्वारा पकड़कर किसी प्रकार से रोका गया। वह बार–बार कह रहे थे कि "तुम यदि इसी प्रकार भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाओगे तथा विरोध करोगे तो तुम्हें भी ठिकाने लगा दिया जायेगा।" माननीय सदस्य का यह कथन है कि इस प्रकार से जहां उनके विशेषाधिकार का हनन हुआ है, वहीं उनकी जान माल को खतरा पैदा हो गया है। अतः इस विषय पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए।

उपर्युक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि प्रक्रिया संबंधी नियम 64 में यह प्राविधानित है कि "यदि शिकायत सदन के किसी सदस्य के विरुद्ध हो तो ऐसी सूचना दि–प्रतीक होगी जिसकी एक प्रति संबंधित सदस्य को भेज दी जायेगी।" चूंकि माननीय सदस्य श्री हरबंस कपूर द्वारा अभिसूचित उक्त सूचना सदन के सदस्य माननीय श्री हरक सिंह रावत के विरुद्ध हैं, किन्तु दि–प्रतीक नहीं है अतएव ग्राह्य नहीं है। इसके अतिरिक्त यह घटना सदन में उत्पन्न व्यवधान के उपरान्त सदन के स्थगित हो जाने के बाद घटित हुई बताई गई है जिसका उल्लेख सदन की कार्यवाही में न होने तथा घटना के संबंध में सदन के किसी सेवक द्वारा कोई प्रतिवेदन मेरे संज्ञान में न लाये जाने की स्थिति में किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने का अवसर दृष्टिगत नहीं होता है।

अतः माननीय सदस्य द्वारा अभिसूचित सूचना के सन्दर्भ में वर्णित परिस्थितियों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि प्रश्नगत प्रकरण में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त् नहीं है। तथापि माननीय सदस्यगण से यह अपेक्षा अवश्य करूँगा कि सदन के उपवेशन के चलते अथवा उसके स्थगन काल में सभा–मण्डप के भीतर उनका आचरण माननीय सदन एवं माननीय सदस्य की गरिमा के अनुकूल होना चाहिए।

मैं उपर्युक्त सूचना को विशेषाधिकार हनन के प्रश्न के रूप में अस्वीकार करता हूँ।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 56 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनायें प्राप्त हुई हैं उनमें श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्री हरबंस कपूर तथा अजय भट्ट, नारायण पाल, प्रकाश पंत की सूचना को मैं ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी ग्रीष्म काल शुरू हुआ भी नहीं है और जनपद रुद्रपुर पट्टी भरदार, धनपुर गम्भीर पेयजल संकट से गुजर रहा है। मैंने स्वयं गाँववासियों को दो–दो, तीन–तीन किलोमीटर से पानी ढोते हुए देखा है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा पट्टी बछणस्यूं में बंगोली, पौडीखाल, महरगांव, कलेथ, टैंठी, छतोड़ा, आरस्यू तथा पट्टी धनपुर में खेड़ीखाल, बौठापूना, बीरों, धुईता, नगरासू बीना, जसोली, पोखरी, भारदार पट्टी में सौंदा घेघडखाल, रौठिया बांसी, सतीनी सौरा कोट फ्लोट स्वीली सेम इसी तरह दशज्यूला/तल्लानागपुर में ग्राम भैंस गांव, चापड़, सराग्, खुरड, गंधारी, मढमिल, ठौडिक (दशज्यूला) तथा पट्टी सिलगढ में बुडोली ग्राम, पन्द्रोला, टाट तथा तैला ग्रामों में गर्मियों में गम्भीर पेयजल संकट पैदा हो जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वहां पर जो पानी की पाइप लाइन है वह टूटी पड़ी हैं इन पाइप लाइनों में पानी चालू करने का प्रयास नहीं किया जाता है। वहाँ की जनता पेयजल के लिए त्राहि–त्राहि कर रही है। आश्चर्य तो इस बात का है कि कोई भी अधिकारी इस बात की सुध नहीं लेता है कई बार कहने के बावजूद भी।

मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि पानी की ऐसी व्यवस्था है पानी के बिना आदमी जी नहीं सकता है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जहाँ–जहाँ पर पेयजल संकट है वहाँ पर जनता को पेयजल की सुविधा मुहैया करायी जाये। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि अधिकारी अपने कार्यालय में न बैठकर कम से कम 10–15 दिन क्षेत्रों का भ्रमण करें। अगर आप ऐसी व्यवस्था नहीं करते हैं तो आप जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। मान्यवर, यह लोक महत्व का प्रश्न है तात्कालिक है अविलम्बनीय है जनता परेशान है आप अधिकारियों, कर्मचारियों को निदेश दे दें कि जहाँ–जहाँ पानी की सुविधायें ठीक नहीं हैं वहां पर पानी की सुविधा दे दी जाये।

पेयजल मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)–

मान्यवर, नियम 56 के अन्तर्गत माननीय सदस्य ने जो बात कहीं वह सत्य नहीं है वास्तव में ऐसी स्थिति नहीं है। माननीय विधायक जी ने जैसा कि सदन को अवगत कराया कि अधिकारी अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं तो इस सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूँ कि अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गये हैं कि जहाँ कहीं भी इस प्रकार की सूचना मिले उसे 24 घण्टे के अन्दर मौके पर जाकर निस्तारण करें। जहां तक तल्ला नागपुर की बात है इस सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूँ कि विगत वर्ष इस योजना को 62 गांवों में चलाया गया तथा जिन जगहों पर पानी नहीं पहुंचता था उन जगहों पर पानी पहुंचने लगा। पिछले वर्ष 62 गांवों में से 59 गांवों में पानी पहुंचा है। तीन गांवों में अन्तिम रूप से चलाया गया, यह भी अवगत करना है

कि टेल के गांव की वास्तव में दूरी बहुत अधिक है जिन गांवों की दूरी बहुत अधिक है उन 17 गांवों के लिए एक 1.20 रु0 की नई योजना प्रस्तावित है। जिन गांवों में पानी के स्रोत हैं और उन गांवों में यदि पानी नहीं पहुंच रहा है तो हमारे अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश है कि उन गाँवों को हर हालत में पानी पहुँचाया जाए। यदि वहां कोई कमी नजर आती है तो उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि जो बात मैंने कही है वह सत्य नहीं है। मान्यवर, मैं क्षेत्र भ्रमण करता रहता हूं मैंने वहां जाकर स्वयं इस स्थिति को देखा है। माननीय मंत्री जी गांवों में नहीं गये होंगे। अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर ही अपने को सीमित रखते हैं। अगर मैंने कोई बात सदन में रखी है तो वह तथ्यों के आधार पर ही रखी होगी, उन तथ्यों की जानकारी माननीय मंत्री जी को ले लेनी चाहिए थी। अगर मैंने बात सत्य नहीं कही है तो मुझे दण्डित किया जा सकता है और यदि अधिकारी ने गलत रिपोर्ट दी है तो अधिकारी को दण्डित करना चाहिए। कई स्थानों में भीषण पेयजल संकट है जो योजनाएं बनाई गई उन पर पैसा खर्च कर दिया गया है किन्तु लोगों को पेयजल की समस्या से निदान नहीं मिला। आरस्यू पेयजल योजना के अन्तर्गत पिछले वर्ष पैसा मिला था किन्तु उससे भी ग्रामवासियों को कोई लाभ नहीं मिला। जिस दिन मैं पानी देखने के लिये गया उस दिन पानी चला दिया गया सरकार को इस बात को बहुत गम्भीरता से लेना चाहिए। माननीय मंत्री जी मुझे संतुष्ट करने के लिए उत्तर न दें बल्कि वास्तविकता को देखें अपने को संतुष्ट करें।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि आप प्रश्न की गहराई तक जायें, जो रिपोर्ट आपको अधिकारी देते हैं आप उस पर विश्वास कर लेते हैं और जो सदस्य कह रहा है, उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह एक गम्भीर बात है कि सरकार उत्तर नहीं दे रही है, जबकि विधायक शपथ–पत्र देने को भी तैयार है।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि मैंने पढ़कर कोई उत्तर नहीं दिया है। मैंने तल्ला नागपुर के बारे में कोई असत्य बात नहीं कही है, मैं इस सम्बन्ध में शपथ–पत्र देने को तैयार हूँ। मान्यवर, मैं तुंगनाथ से रुद्रप्रयाग तक जो 65 किलोमीटर पेयजल योजना है, यह 62 गांवों को जोड़ती है। अप्रैल माह में इसमें शिकायत आयी थी, इसके बाद मैंने क्षेत्र का दौरा किया और 15 दिन के अन्दर पानी गांवों तक पहुंचाया तथा 17 गांवों की एक अलग से योजना भी बनायी। मान्यवर, जल की कमी हो सकती है, 3 दिन के अन्दर इस योजना की स्पष्ट जानकारी दी जायेगी।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं पुनः अनुरोध करना चाहूँगा, यह सदन जनता के लिए है हमारे लिए नहीं है। हम यहां पर बैठे हैं क्षेत्र की जनता की समस्याओं के निदान के लिए। हमें अधिकार है हम क्षेत्र की समस्या को देखें हम कभी–कभी बहुत दुःखी होते हैं, जब हमारे प्रश्न का जवाब सही नहीं आता है। मान्यवर, आज आप वहां बैठे हैं, कल इधर भी बैठ सकते हैं। हमारा निवेदन है कि सरकार जनता की समस्याओं को गम्भीरता से सुनें।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, जो बात मैंने कही, वह सत्य है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि सदन को सही जानकारी दें। मान्यवर, माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं, इसलिए मैं सदन का बहिर्गमन करता हूँ।

(श्री मातबर सिंह कण्डारी के साथ भा0ज0पा0 के समस्त सदस्यों द्वारा सदन का बहिर्गमन किया गया)

श्री अध्यक्ष–

श्री मातबर सिंह कण्डारी तथा माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

*श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, सम्बन्धित कर के विरोध में जो उत्तरांचल राज्य बन्द है, मैं उस विषय पर कार्यस्थगन पर चर्चा करने की माँग करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी जानकारी में होगा कि दो दिन से उत्तरांचल राज्य पूरे तरीके से बन्द है जिसकी वजह से यहां की जनता और व्यापारी परेशान हैं। मान्यवर, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पूरी तरीके से अस्त–व्यस्त है। मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि इस पर बहस हो। इस पर राज्य सरकार का क्या दृष्टिकोण है। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो संस्थायें हैं, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की जो संस्थायें हैं क्या राज्य सरकार ने बात की है या नहीं की। इस पर मैं सरकार का रूख जानना चाहता हूँ।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, यह गम्भीर मामला है। उत्तरांचल के इतिहास में पहली बार 2 दिन तक उत्तरांचल बन्द का आह्‌वान किया गया। मान्यवर, कल पूरे दिन उत्तरांचल में चाय तक की दुकानें बंद रहीं और आज भी वही स्थिति बनी है। मान्यवर, सरकार का व्यापार कर आय का मुख्य स्रोत है और पूरे प्रदेश की आय का अधिक भाग व्यापार कर के माध्यम से आता है। परन्तु यह सरकार व्यापार कर के मामले में बिल्कुल भी गम्भीर नहीं है और जिस प्रकार से इस आय के मुख्य स्रोत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है निश्चित रूप से कभी भी इस प्रदेश में बहुत बड़ा संकट आ सकता है।

मान्यवर, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि व्यापार कर के अधिकारी और यह सरकार व्यापारी की भावनाओं का ध्यान नहीं रखेगी तो निश्चित रूप से जो धन वृद्धि हुई है वह आने वाले समय में एक गम्भीर रूप धारण कर सकती है। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि 31 मार्च और 1 अप्रैल, 2003 को बन्द का आह्‌वान व्यापार उद्योग की यहां की संस्थाओं ने किया था, तो सरकार ने इस पर क्या विचार किया? क्या सरकार ने उन प्रतिनिधियों से बात–चीत की? जो व्यापार कर की वसूली रुक रही है वह न रुके। इस पर सरकार ने गम्भीरता से विचार किया है? मान्यवर, वैट के संबंध में वर्तमान सरकार की उत्तरांचल के परिप्रेक्ष्य में क्या नीति है? क्या सरकार वैट लागू करेगी या नहीं करेगी? यह स्पष्ट बात सरकार की ओर से आनी चाहिए।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मेरा मत यह है कि सरकार को व्यापार के प्रतिनिधियों से बातचीत करनी चाहिए और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे नियम 56 पर बोलने का अवसर दिया है। मान्यवर, वास्तव में 2 दिनों से जो अभूतपूर्व बन्द उत्तरांचल में हुआ, यदि एक–आध अवसरों को छोड़ दिया जाए तो ऐसा कभी नहीं हुआ। वास्तव में यहाँ के व्यापारी बहुत परेशान हैं कि सरकार अपना वक्तव्य क्यों नहीं दे रही है, मान्यवर, अभी जब माननीय मंत्री की तरफ से जवाब आएगा तो यह बात निश्चित ही आएगी कि यह केन्द्र सरकार से सम्बन्धित बात है।

मान्यवर, केन्द्र–सरकार की बात जरूर है, "वैट" कर निर्धारण वहीं से लागू करने की बात कही जा रही है, लेकिन इसके लिए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार ने पूर्व में भारत के वित्त मंत्रियों की बैठक बुलाई थी और इससे पूर्ववर्ती सरकार में जो वित्त मंत्री थे उन्होंने इस बैठक में भाग लिया था और उसमें केन्द्र सरकार ने यह कहा था कि आप कर लगाने, न लगाने के सम्बन्ध में वहाँ की कर की स्थिति के बारे में विश्लेषण कर लें, इस कार्य हेतु एक साल का समय देते हैं आप अपना निचोड़ निकाल लीजिए। मान्यवर, इसका लब्बोलुआब यह था कि आपका स्टेट, कर लगाने में सक्षम है या नहीं, इसका परीक्षण करा लें। तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कमेटी बैठायी? कोई प्रयत्न किया और अपना कोई मत बनाया। यह एक बहुत ही अहम् बात है। मान्यवर, केन्द्रीय वित्त मंत्री ने उसी बैठक में कहा था कि यदि कहीं कोई घाटा होता है तो उसकी प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार करेगी। मान्यवर, इतना कुछ होने के बाद भी यदि सरकार ने कुछ नहीं किया तो सरकार का नकारापन और क्या हो सकता है, आज तक सरकार अपना कोई मत (व्यू), नहीं दे पायी और सरकार का एक ही काम था कि केन्द्र की ओर गेंद उछाल दी जाए, जब कि पूरी लाइबिलिटी आज स्टेट की है। क्योंकि सेल टैक्स राज्य का विषय है। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपने कोई बैठक कर ली, कोई व्यू निकाल लिया। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से पूरा प्रदेश जल रहा है, व्यापारी जल रहा है, इस पर सरकार अपना जवाब दे तथा इस विषय पर आज सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाए।

श्री अध्यक्ष–

श्री अनुसूया प्रसाद मैखुरी।

(मा0 अध्यक्ष जी द्वारा श्री अनुसूया प्रसाद मैखुरी का नाम पुकारे जाने पर घोर व्यवधान)

डॉ0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

मान्यवर, वास्तव में यह जो वैट का मामला है यह एक गंभीर मसला है। जिसका मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। मान्यवर, इसमें यह है कि अगर कोई व्यापारी देहरादून का, वह अपनी वस्तु को प्राफिट के साथ 100 रु0 में बेचता है तो उससे 12.5% टैक्स वसूला जायेगा। अगर वही व्यापारी उसी वस्तु को ऋषिकेश में बेचता है तो उसको अपने

प्राफिट के साथ–साथ जैसे 130 रु० में बेचता है तो उसको प्राफिट का 12.5% यानि 2.15 पै० देना पड़ता है और यही व्यापारी अगर टिहरी में 150 रु० में बेचता है तो उसको भी मुनाफे का 12.5% अर्थात् 2.50 पैसे टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। इससे छोटे–छोटे व्यापारियों को अपना हिसाब–किताब रखना पड़ेगा। मान्यवर, वास्तव में यह जो व्यवस्था है यह केन्द्र सरकार की है और केन्द्र सरकार विकसित देशों के दबाव में आकर राज्य सरकारों पर यह अधिनियम थोप रही है जिससे कि व्यापारी वर्ग में बड़ा असन्तोष है।

(घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, सभी सदस्यों को दो–दो मिनट के लिए बोलने का समय दे दिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं हमेशा आपको संरक्षण देता रहा हूँ।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, कृपया आप हमें संरक्षण दें।

लोक निर्माण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, यह सही है कि वैट के वैल्यू एडिट टैक्स को लेकर देश भर के व्यापारियों के संगठन ने 2 दिन के बंद का आह्वान किया है और इस टैक्स को लागू करने का विरोध किया है। मान्यवर, मेरी जानकारी के अनुसार इस राज्य के जो व्यापारी हैं उन्होंने भारतवर्ष के व्यापारिक संगठनों के आह्वान पर 2 दिन का बंद किया है। यह बंद वैट के विरोध में किया गया है मान्यवर, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक हुई है और उसमें राष्ट्रीय स्तर पर विचार किया गया था। इसमें यह निर्णय लिया गया कि व्यापार कर प्रणाली के स्थान पर वैट कर प्रणाली लागू की जायेगी। इसके लिए सभी राज्यों के माननीय वित्त मंत्रियों की एक इम्पावर्ड कमेटी गठित की गई है। 8 तारीख को इसकी बैठक होने वाली है।

वैट के संबंध में व्यापारियों का क्या दृष्टिकोण है, यह दो दिन के बंद से स्पष्ट हो गया है। जो हमारे राज्य के व्यापारी संगठन हैं वे हमसे बातचीत कर रहे हैं, हम उनके सम्मेलनों में भी जाते हैं। व्यापारी संगठनों से हमारी वार्ता हो रही है। हमने व्यापारी संगठनों से कहा है कि आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता कर लें। परसों ही उनका फोन आया था और उन्होंने वार्ता के लिए समय मांगा है। व्यापारी संगठनों को वार्ता के लिए समय दे दिया जायेगा।

हमारी कैबिनेट में भी इसके पक्ष और विपक्ष में चर्चा हुई व्यापारियों के आक्रोश और वैट प्रणाली में उनके सुझावों पर विचार के लिए हमने अपनी मंत्रिपरिषद् की कमेटी

भी गठित की है। उसकी बैठक हो रही है। कल भी एक बैठक है जिसमें जितने भी सुझाव हमें प्राप्त हुए हैं व्यापारियों के, जानकार लोगों के, विशेषज्ञों के, उद्योग–व्यापार से जुड़े लोगों के उन पर बातचीत करने जा रहे हैं। उसके बाद चूँकि देश के व्यापारियों में असंतोष है, राज्य के व्यापारियों में भी असंतोष है, इसलिए हम जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने के पक्ष में नहीं है।

मान्यवर, वैट प्रणाली को एक अप्रैल से लागू करने के निर्देश थे और यह भी सही है कि 1 अप्रैल से फिलहाल किसी भी राज्य में लागू नहीं हुआ है। केन्द्रीय वित्त मंत्री जी ने संकेत दिया है कि राज्य सरकारों द्वारा राज्यों में यदि यह प्रणाली लागू कर दी जाती है तो केन्द्र द्वारा लगाया जाने वाला सैल्स टैक्स समाप्त कर देंगे। और उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि यदि इससे कोई हानि होती है तो उसकी भरपाई भी की जायेगी। तो अगर इसे लागू कर दिया जाये तो कोई नुकसान भी नहीं हैं अगर इसे सतही दृष्टि से देखें तो। परन्तु यह दृष्टिकोण ठीक भी नहीं है क्योंकि कभी भी कोई नियम थोपना नहीं चाहिए उसे लागू करने के लिए जनमानस की राय लेनी अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि यह हमारा प्रजातांत्रिक ढांचा है और जनमत का अनादर प्रजातंत्र में नहीं किया जा सकता है।

व्यापारियों द्वारा दो दिन का बंद किया है हमें उनका भी पक्ष देखना है और उनके माध्यम से जो प्रतिवेदन आये हैं, उन्हें भी देखना है। जिस पर राज्य सरकारें भी विरोध कर रही हैं और हम उसे उत्तरांचल में लागू कर दें तो यह उचित नहीं होगा अभी हमारी मंत्रिपरिषद् की बैठक 8 तारीख को होने जा रही है उसमें हमारे मंत्रिगण अपने सुझाव इस संबंध में देंगे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो वित्त मंत्री भी है उनके द्वारा उस पर निर्णय लिया जा सकेगा और हमारे मुख्यमंत्री जी तो दुनिया के वित्त विशेषज्ञ हैं वे गम्भीरता से उसे ले रहे हैं और वे वित्त मंत्रियों की एम्पावर्ट कमेटी में जायेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। यह बैठक अभी नई दिल्ली में होनी है, जो महत्वपूर्ण बैठक है और इसमें हमारे प्रदेश का प्रतिनिधित्व वित्त विशेषज्ञ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। हमारी जो मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है उसमें हम प्रयास करेंगे कि उसमें व्यापारिक प्रतिनिधियों को भी बुलाया जाय और उन्हें सुना जाय और कहीं पर यदि जानकारी के अभाव में कोई परेशानी हो गई हो तो उसे भी दूर किया जा सकेगा। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी वहां जा रहे हैं उन्हें सारी वित्तीय व्यवस्थाओं का ज्ञान है वहां जाकर वे बतायेंगे कि इन–इन दृष्टियों से यह सही है या गलत है और वहीं पर इस पर निर्णय लिया जा सकेगा। यह सामान्य बात है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मंत्री जी ने काफी बातें कह दी हैं। लेकिन जैसा कि अभी बात आयी थी, एक माननीय सदस्य ने कहा था कि केन्द्र सरकार ने अमेरिका आदि के दबाव में आकर यह प्रणाली लागू की है। लेकिन मान्यवर, मैं यह बता दूं कि जितनी भी उदारवादी व्यवस्थाएं हैं चाहे वैट हो या गैट हो यह सब तत्कालीन वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह जी की देन है जिसे सारा देश भुगत रहा है।

(व्यवधान)

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, यह व्यापार से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। मैं इस संबन्ध में सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस मसले को सुलझाने के लिए सरकार कोई सर्वदलीय मीटिंग बुलाने पर विचार कर रही है?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, सरकार सर्वदलीय मीटिंग करने के लिए तैयार है। आप जब भी चाहेंगे इस विषय पर बात हो जाएगी। इस सम्बन्ध में जो भी मीटिंग होगी उसमें आपको विशेष रूप से बुलाया जाएगा।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, यह सरकार न तो व्यापारियों और व्यापार कर के प्रति गंभीर है और न ही इस प्रदेश की आय के मुख्य स्रोत की ओर गंभीर है। यदि सरकार व्यापारियों के प्रतिनिधियों से बात करती तो मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि उत्तरांचल राज्य जो दो दिन से बन्द है, उसकी नौबत नहीं आती।

(सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर–व्यवधान)

राज्य मंत्री (श्री किशोर उपाध्याय)–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। (व्यवधान)

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, यह विषय तात्कालिक, अविलम्बनीय और लोक महत्व का है, इसलिए मेरा अनुरोध है कि बहुत से माननीय सदस्य अपनी बात कहना चाहते हैं, उन्हें भी इस विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया जाए। मान्यवर, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यदि हमारे प्रदेश की कुल आय एक हजार करोड़ रुपया है, तो उसमें से 450 करोड़ रुपया केवल व्यापार कर से ही प्राप्त होता है। इस प्रकार यह हमारी आय का प्रमुख स्रोत है। मान्यवर, यह एक गंभीर विषय है कि व्यापार कर का कोई भी कार्यालय अपनी भूमि पर नहीं बना है। व्यापार कर से सम्बन्धित अधिकारियों और कर्मचारियों के आवास यहाँ पर नहीं बने हैं। इसके अतिरिक्त जब कर दाता व्यापारी, व्यापार कर कार्यालय में जाते हैं तो उनके बैठने के लिए वहां पर कोई स्थान नहीं है, उनके पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। सरकार इस विषय पर कतई गंभीर नहीं है। इसी का यह नतीजा है कि सारे कर दाता आज हड़ताल पर हैं। मान्यवर, हमारी मांग है कि सदन के सारे कार्य रोक कर इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करायी जाय, ताकि सभी का पक्ष इस विषय पर आ सके।

श्री अध्यक्ष–

माननीय हरबंस कपूर, श्री अजय भट्ट, श्री नारायण पाल और माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

*श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, आपने मेरे कार्यस्थगन की सूचना पर ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया इस पर मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, 15 अगस्त, 2000 को जनपद पिथौरागढ़ में जिला क्षेत्र में एक बेनाप भूमि नगर पालिका द्वारा प्रस्ताव किया गया कि इसमें एक वन लगाया जाय और उस समर्थित वन को लगाने के लिए इकोवन टास्कफोर्स की मदद की जाय और स्वाधीनता के अवसर पर जिला प्रशासन, नगरपालिका परिषद् और स्थानीय बुद्धिजीवियों द्वारा 200 वृक्ष जिसमें छायादार वृक्ष कुछ फलदार वृक्ष भी थे उन्हें आरोपित किया उसके अलावा 25 वृक्ष और लगाये गये। केवल मात्र तीन वर्षों में इनकी लम्बाई 15–20 फिट हुई थी कि 29 मार्च को शनिवार की रात को 10 बजे के बाद जब जनता की आवा–जाही बन्द हो जाती है उस समय उन सभी वृक्षों को काट लिया उसकी लकड़ी और पत्तियों तक को उठाकर वहां से किसी अज्ञात जगह ले गये। पुलिस को इस बात की भनक तक नहीं लगी। जब सुबह को आवाजाही हुई तो जनता को पता चला ये वन कारगिल शहीदों की याद में लगाया गया था।

मान्यवर, 30 मार्च को श्री गोबिन्द सिंह काफिलिया ने इसकी रिपोर्ट स्थानीय कोतवाली में दर्ज करायी, अभी तक उस पर कार्यवाही नहीं हुई शक की सुई नगर–पालिका परिषद् की ओर जाती है। बार–बार समाचार पत्रों के माध्यम से ये बात छन कर आ रही कि वहां पर नगरपालिका परिषद् किसी व्यवसायिक स्थल का निर्माण करने जा रही है। उस हरे भरे वन को अभी मात्र 3 वर्ष हो रहे थे कि उन वृक्षों को काट करके व्यवसायिक स्थल का निर्माण करने जा रही है। उस भूमि पर अवैध कब्जा करने का विचार है। मैं इस प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर जहां सरकार एक ओर पर्यावरण संरक्षण की बात करती है वहां एक ही रात में 225 वृक्षों को काट दिया जाये। इस महत्वपूर्ण विषय पर सभी मा0 सदस्य अपनी स्पष्ट भावनायें प्रकट करें और इस संवेदनशील विषय पर आज के दिन सदन की कार्यवाही स्थगित कर इस पर चर्चा करायें। मैं अपने कार्यस्थगन के प्रस्ताव पर बल देता हूं और आपसे संरक्षण की मांग करता हूं।

वन मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, वृक्षों का बिना अनुमति के काटा जाना एक गम्भीर अपराध है और निश्चित बात है कि ऐसे प्रकरण में हम पूरी जांच और कठोर कार्यवाही के लिए प्रतिबद्ध हैं। माननीय सदस्य मेरी जानकारी के अनुसार शायद उसी शहर के निवासी हैं उसी शहर का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। जो सूचना माननीय सदस्य ने दी है उस सूचना में यह बात लिखी गई है कि नगरपालिका परिषद्, पिथौरागढ़ द्वारा अवैध रूप से हरे वृक्ष काट डाले गये जो कि बहुत गम्भीर बात है और वहां पर व्यवसायिक प्रतिष्ठान बनाकर व्यक्तिगत लाभ दिए जाने का उद्देश्य है। मान्यवर, उस घटनास्थल की जांच की गई जिसमें यह पाया गया कि 113 वृक्षों को काटा गया। काटे गये अधिकांश पेड़ों की गोलाई 0 से 10 से0मी0 की थी।

प्रकरण में वन विभाग द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट 7103 दिनांक 30 मार्च, 2003 को अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध कर दी गई है। वृक्षारोपण की भूमि नजूल की भूमि है जो नगरपालिका के प्रबन्ध की है। नगरपालिका द्वारा उक्त पेड़ों को नहीं काटा गया है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, इस भूमि का वृक्षारोपण वर्ष 2001 में किया गया इसका प्रमाण उपलब्ध नहीं है और न ही इस बात का प्रमाण है कि इन पेडों को कारगिल शहीदों की स्मृति में लगाया गया था लेकिन इसके भी कोई अभिलेख नहीं मिले क्योंकि अगर इस तरह की घटना होती कि शहीदों के नाम पर जो वृक्षारोपण किया गया था उन पेड़ों को काटा गया है तो जनभावनाएं आहत होती। उल्लेखनीय है कि उक्त भूमि पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत संगठिक विकास योजना के अन्तर्गत व्यवसायिक काम्प्लेक्स का निर्माण किया जाना प्रस्तावित था जिसके अन्तर्गत इन पौधों को कहीं अन्यत्र शिफ्ट करने का प्रस्ताव था किन्तु जन विरोध को देखते हुए यह प्रकरण स्थगित कर दिया गया। किन्हीं अज्ञात लोगों द्वारा इस बीच उन पौधों को नष्ट कर दिया गया।

मान्यवर, घटना को हमने गम्भीर माना है किन परिस्थितियों में ये पेड़ काटे गये, काटे गये पौधे फलदार श्रेणी के नहीं थे। पौधों की औसत गोलाई 0–10, 10–20 तथा 20–30 सें0मी0 थी।

मान्यवर, निश्चित रूप से जांच करेंगे। (विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर व्यवधान) मान्यवर, हम यह विश्वास दिलाते हैं, कि इसमें जो भी दोषी पाये जायेंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करेंगे।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जो एफ0आई0आर0 दर्ज की गयी है, वह गलत लोगों के खिलाफ दर्ज की गयी है। माननीय मंत्री जी के उत्तर से शक की सुई नगरपालिका परिषद् की ओर इसलिए जाती है कि नगरपालिका को कोई धनराशि मिली है। मान्यवर, मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, जनता को कोई आपत्ति नहीं होती, यदि उन वृक्षों को काटने के कानूनी आदेश लिये जाते। मान्यवर, कानून के खिलाफ जाने का अधिकार किसी को भी नहीं है। मान्यवर, क्या आवश्यकता थी वृक्षों को काटने की। रात के अंधेरे में दो गाड़ियां देखी गयीं। यह लकड़ी कहां गयी। इन सारी बातों पर चर्चा होनी चाहिए इसलिए मैं कार्य स्थगन के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, 28 मार्च को केन्द्र सरकार से अनुमति मिली तथा 29 मार्च को पालन हो गया है। मान्यवर, एफ0आई0आर0 दर्ज हो गयी है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, तीन दिन व्यतीत हो गये हैं, 225 पेड़ों की लकड़ी कहाँ गायब हो गयी है।

श्री अध्यक्ष–

श्री प्रकाश पन्त और मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार विधेयक, 2003

परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार विधेयक, 2003 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

अब हम 3.00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(भोजनावकाश)

(सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के उपरान्त अपराह्न 3.00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार विधेयक, 2003 (क्रमागत)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संशोधन प्रस्तुत करता हूँ कि "उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार विधेयक, 2003 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर प्रस्तुत करें।"

मान्यवर, माननीय परिवहन मंत्री जी द्वारा यह विधेयक जिसे सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। मान्यवर, इस विधेयक में ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें विस्तृत विचार–विमर्श नहीं हो पाया और कई कमियां इसमें रह गयी हैं, इसलिए इसे सदन के माननीय सदस्यों के माध्यम से सदन के सम्मुख प्रस्ताव रखना चाहूंगा कि इसे एक प्रवर समिति को सौंपा जाए जिससे विधिवत् विचार–विमर्श हो, क्योंकि यह उत्तरांचल की परिवहन व्यवस्था से जुड़ा हुआ अहम् विषय है। मान्यवर, मैं कुछ बिन्दुओं की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मान्यवर, इस विधेयक में जो माल–वाहनों पर अतिरिक्त कर का प्रावधान किया गया है, उसके आधार पर मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (12) के अधीन स्वीकृत राष्ट्रीय परमिट के अधीन संचालित माल–वाहन के मामले में, तृतीय अनुसूची का भाग "ख" जोड़ा गया है। मान्यवर, इसमें जो यह प्राविधानित किया गया है कि जो सामान्य दरें इसकी निर्धारित की गयी हैं उसके अतिरिक्त यह कि निम्नलिखित वर्गों के स्वामियों के सिवाय पेट्रोल/डीजल से चलने वाले समस्त मोटरयानों के सम्बन्ध में कर की दरें इस भाग के प्रस्तर एक, दो और तीन के सामने विनिर्दिष्ट दरों की दुगुनी होंगी। मान्यवर, इस पर निश्चित रूप से विचार किया जाना चाहिए कि क्या जो एकल व्यक्ति हैं उनके द्वारा क्रय किए जाने वाले वाहन पर जो सामान्य रूप से कर होता है वह दुगना होगा या कितनी दर तय की जानी चाहिए।

मान्यवर, इसमें नगरपालिका परिषद्, नगर निगम, जिला पंचायत, नगर पंचायत या क्षेत्र पंचायत, किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित विश्वविद्यालय, कोई मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था, कोई सार्वजनिक पूर्त न्यास, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट लोक प्रयोजनों के लिए मोटरयानों का उपयोग करने वाले किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति भी हैं। मान्यवर, इसका मतलब इन सबको जो कर निर्धारित किया जाएगा, उसकी दुगनी कर अदायगी करनी होगी।

मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि इसमें जो धारा–4 के भाग–ग में पेट्रोल/डीजल दोनों का एक ही प्राविधान किया गया है इस पर भी अन्य राज्यों ने क्या प्राविधान किया है क्या वहाँ पेट्रोल, डीजल के लिए एक ही व्यवस्था है या अलग–अलग व्यवस्था है यह विचार इसमें होना चाहिए। मान्यवर, मैं इस पर ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि अन्य सदस्य भी इस पर बोलना चाहते हैं। मान्यवर, धारा–4 की उपधारा (1) भाग–"ख" में जो दरों का निर्धारण है। इसमें मान्यवर मुख्य रूप से मेरा यह आग्रह है कि इसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाए और वह अपना निर्णय एक महीने में दें। मान्यवर, दरों का निर्धारण जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप और राज्य के हित में होना चाहिए। मान्यवर, छूट देने की शक्ति, इस पर भी विचार होना चाहिए। मान्यवर, इसमें जो कर आरोपण की व्यवस्था है इस पर भी विचार होना चाहिए। मान्यवर, मैं इस प्रस्ताव पर बल देते हुए यह आग्रह करना चाहता हूँ कि सरकार स्वेच्छा से इस विधेयक को वापस ले ले। अगर नहीं ले सकती तो इसे प्रवर समिति को सौंप दे ताकि वह व्यवस्था हो जो उत्तरांचल राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली हो।

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से व माननीय श्री प्रकाश पंत की बात पर बल देते हुए यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। मान्यवर, मुझे लगता है कि यह जल्दबाजी में कर दिया गया है। कई चीजें ऐसी हैं जिनको घुमाफिराकर दिखाया गया है। हम छूट देने की शक्ति पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। मान्यवर, इसमें पूर्णतया या अंशकालिक आया है इसमें यह क्लियर नहीं है कि शिक्षा के क्षेत्र या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में जो एम्बुलेंस प्रयोग में लायी जाती है उन पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लेंगे। मान्यवर, धारा–2 में परिभाषाऐं है इसमें भाग–"ग" में यात्रियों का तात्पर्य दिया गया है। जिसमें संचालक, ड्राइवर व कण्डक्टर यात्री के रूप में नहीं आते। यह चीज समझ में नहीं आती है।

माननीय मंत्री जी ने दुर्घटना राहत निधि की बात कही है। इस निधि में यह कहा गया है कि किसी सार्वजनिक सेवायान के दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त होने से पीड़ित यात्रियों या अन्य व्यक्तियों को या ऐसे यात्रियों का अन्य व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को राहत देने के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार एक निधि स्थापित करेगी जो "उत्तरांचल सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि" कही जायेगी। इसमें यात्रियों शब्द में ड्राईवर, संचालक व कण्डक्टर की व्यवस्था नहीं है। जबकि इनकी व्यवस्था इसमें होनी चाहिए क्योंकि जब कहीं कोई दुर्घटना होती है तो ये भी उससे प्रभावित होते हैं तो क्या अन्य व्यक्तियों की श्रेणी में इनको भी ला रहे हैं?

मान्यवर, आप तिमाही टैक्स लेने वाले हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो वार्षिक टैक्स देना चाहेंगे तो क्या वार्षिक टैक्स देने वालों को टैक्स में कुछ छूट दी जायेगी। इसका प्राविधान नहीं किया गया है। मान्यवर, उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार विधेयक, 2003 की धारा–10 की उपधारा (4) में बिना परमिट के उत्तरांचल राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों पर कर लगाने की बात कही गई है। इसमें भी विसंगतियां हैं। बिना परमिट के जो वाहन उत्तरांचल में पकड़े जायेंगे उनसे दोगुना टैक्स लिया जायेगा। मान्यवर, मान लीजिए कोई टैक्सी चण्डीगढ़ से जोशीमठ बिना परमिट के जाती है तो उस टैक्सी की बुकिंग 10,000 रुपये में हुई होगी और आप उससे 600 रुपये टैक्स लेकर छोड़

देंगे। उस पर भी टैक्सी चालक यह प्रयास करेगा कि 200–300 रुपये देकर गाड़ी को छुड़वा लिया जाये। मान्यवर, इस प्रकार की घटनाएं पूर्व में भी होती रही हैं। दोगुने टैक्स से कोई विशेष फायदा होने वाला नहीं है। पंजाब और हरियाणा में बगैर परमिट के वाहनों से पांच गुना टैक्स वसूला जाता है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि इस विधेयक में अभी बहुत सी बातें नहीं आ पाई हैं। हमारे उत्तरांचल में अलग–अलग संस्थाओं के प्रतिनिधियों की बहुत सी सिफारिशें आई हैं, उनकी राय भी इसमें रखी जाये। मैं इस बात को भी मानता हूँ कि आगे भी जब हम नीति बनाएं तो उनके हितों को ध्यान में रख कर बनाएं। यदि बाहर के वाहन स्वामियों के वाहनों को मात्र दो गुना टैक्स लेकर हम छोड़ते रहेंगे तो इससे उत्तरांचल के वाहन स्वामियों का भला होने वाला नहीं है। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक पर विचार करने के लिए विधान सभा की एक विधायी समिति बनाई जाये जो इस पर विचार करे। धन्यवाद।

*श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं माननीय प्रकाश पंत जी के संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूँ। हमने उत्तरांचल राज्य की कल्पना इसलिए की थी क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल की भौगोलिक स्थिति बिल्कुल अलग है। यहाँ पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक नहीं बनाया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश के विधेयक की ज्यादातर धाराओं को रखा गया है और जो परिवर्तन इसमें किया भी गया है वह भी तर्कसंगत और युक्तिसंगत नहीं है।

मान्यवर, इसमें जो तीस धारायें हैं उसकी धारा 8 दुर्घटना राहत राशि के रूप में है, इसमें कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है कि दुर्घटना होने पर कितनी सहायता दी जायेगी वह राहत राशि 1,000 रुपया होगी या 10,000 रुपया होगी इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसी प्रकार से इसमें शैक्षिक आदि लोक प्रयोजन के कार्यों में छूट की शक्ति कितनी रहेगी इसका भी विधेयक में कोई उल्लेख नहीं किया गया है इसमें तो 100 प्रतिशत की छूट मिलनी चाहिए क्योंकि यह एक सेंसटिव विषय है।

इसमें एक महत्वपूर्ण विषय को फिर छोड़ दिया गया है कि जब हम उत्तरांचल से दूसरे राज्यों में जाते हैं तो वहां पर टैक्स इतने ज्यादा हैं कि यहां हमारे प्रदेश का टैक्सी वाला दिल्ली जाने से पहले सोचता है कि वहाँ जाये या नहीं। इस संबंध में इसमें स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि कितना टैक्स बाहरी राज्यों की गाड़ी से लिया जायेगा ताकि जो लोग बाहरी राज्यों से आयें वे यहां की गाड़ियों का प्रयोग करें।

मान्यवर, इस विधेयक में जो 30 धारायें हैं उनमें कहीं न कहीं विसंगतियां हैं और ये विसंगतियां उत्तरांचल की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए ठीक नहीं हैं। मैं माननीय सदस्य प्रकाश पंत जी की बात का समर्थन करता हूँ और यह मांग करता हूँ कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो एक माह के अन्दर रिपोर्ट प्रस्तुत करे और उसके बाद ही यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाय।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, सबसे पहले मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि वे आज विधेयक लाये तो, क्योंकि आज तक तो परिवहन मंत्री जी ही खाली थे। अभी जो प्रस्ताव माननीय

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रकाश पंत जी द्वारा रखा गया मैं उस पर बल देता हूँ और मांग करता हूँ कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वे इतना महत्वपूर्ण विधेयक सदन में लाये। इसमें पैट्रोल और डीजल के वाहनों में जो ढाई प्रतिशत रजिस्ट्रेशन शुल्क की व्यवस्था की गई है वह स्वागत योग्य है। यह शुल्क दिल्ली तथा हरियाणा प्रदेश में 1 प्रतिशत भी है यदि इस शुल्क को और कम कर दिया जाये तो अच्छा होगा।

मान्यवर, इसके अलावा जो स्कूली बसों में त्रैमासिक शुल्क की व्यवस्था की गई है छोटे वाहनों में 3600 तथा बड़े वाहनों में 4500 रुपया उसमें भी कुछ कमी होनी चाहिए। हमारे निकटवर्ती तथा पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में यह दर बड़े वाहनों के लिए 1800 रुपया तथा छोटे वाहनों के लिए 1200 हैं। मेरा अनुरोध है कि इसे कम किया जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रकाश पंत जी ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है, मैं उस पर बल देता हूँ। मान्यवर, अगर देखा जाए तो परिवहन हमारे उत्तरांचल राज्य की अर्थ–व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और उत्तरांचल के अधिकांश लोग परिवहन निगम में रोजगार प्राप्त करते हैं। हमारी कुछ बसें और छोटी गाड़ियां भी चलती हैं। अगर टैक्स की व्यवस्था ठीक नहीं होगी, तो हमारी परिवहन व्यवस्था गड़बड़ा सकती है। मान्यवर, मेरा एक निवेदन है कि यात्री व्यवस्था यदि ऋषिकेश से संचालित कर दें, तो बड़ी मेहरबानी होगी। ऐसा करने से यहाँ से स्थानीय लोगों को रोजगार मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बाहर की जो बसें आती हैं, उनसे हैवी टैक्स न लिया जाय। यदि उनसे हैवी टैक्स लिया जाएगा तो वह बसें यहाँ पर नहीं आएंगी, इस प्रकार हमारे यहां यात्री कम आएंगे।

***स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलक राज बेहड)–**

मान्यवर, अभी आप ही के दल के एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि उन पर हैवी टैक्स लगाया जाय।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर–व्यवधान)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, यह मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। हमारे जो बस मालिक हैं, उन पर पहले से ही इतना टैक्स लगाया जाता है कि वह उसको देने में असमर्थ हैं और बहुत से लोग अपने परमिट को टैक्स अधिक होने की वजह से सरेंडर कर देते हैं। मेरा कहना यह है कि टैक्स इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि उन्हें अपना परमिट सरेंडर करना पड़े।

मान्यवर, एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ यह अव्यवस्था है कि जिस रूट पर हमारी बसें चल रही हैं, उसी रूट पर टैक्सियां भी चल रही हैं और ट्रक भी उसी रूट पर चल रहे हैं। कभी–कभी यह भी देखने में आता है कि ट्रक पर तो 10–12 आदमी बैठकर जा रहे हैं और हमारी बसें खाली जा रही हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इसके लिए कोई रणनीति बनाएगी कि बसों में ही यात्री सफर करें और

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ट्रकों का इस्तेमाल केवल सामान ढोने के लिए किया जाय। हमारा कहना यह है कि उत्तरांचल की परिवहन नीति ठोस होनी चाहिए और परिवहन ही क्यों हमारे यहां हर विभाग की नीति उत्तरांचल के अनुरूप होनी चाहिए। हम यह चाहते हैं कि माननीय मंत्रीगण पढ़ाई हुई या लिखी हुई नीति को यहाँ सदन में न रखें बल्कि स्वयं चिन्तन करके नीति को बनाएं, जिससे उत्तरांचल का हित हो सके। इसलिए माननीय प्रकाश पंत जी ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ और चाहता हूँ कि सरकार इस विधेयक को वापस ले ले या प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं श्री प्रकाश पंत जी द्वारा रखे गये प्रस्ताव पर बल देता हूँ। अक्सर यह देखा गया है जिन स्टेटों में रजिस्ट्रेशन टैक्स कम होता है, व्यवसायी गाड़ी दूसरे स्टेट से खरीदता है और रजिस्ट्रेशन वहाँ पर करता है। इससे नुकसान उन स्टेटों को होता है जो ज्यादा टैक्स लेते हैं। मान्यवर, जो रजिस्ट्रेशन टैक्स रखा गया है उस पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। इससे जहां प्रदेश को लाभ पहुंचेगा वहीं व्यवसायी को भी लाभ पहुँचेगा, अगर व्यवसाय चलेगा तो प्रदेश में पैसा आयेगा। इसका औद्योगिक व्यवसाय पर बहुत असर पड़ता है। मान्यवर, डीजल के रेट भी बहुत बढ़ गये हैं, जिससे ट्रान्सपोर्ट धन्धा बन्द सा हो गया है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि हमें टैक्स के मामले में पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र में भिन्नता रखनी चाहिए क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में छोटी बसें चलती हैं और मैदानी क्षेत्र में बड़ी बसें चलती हैं, इन सभी चीजों पर हमें मंथन करना होगा। मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि इस प्रस्ताव को वापस लेकर ऐसी नीति बनायी जाय जो कि हमारे प्रदेश के अनुरूप हो वह ज्यादा अच्छा होगा।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं श्री प्रकाश पंत जी के द्वारा रखे गये प्रस्ताव पर बल देती हूँ। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि हमें पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए हमें इस अधिनियम को बनाना चाहिए। क्योंकि जो व्यवस्था मैदानी क्षेत्र में है उसके ठीक विपरीत पर्वतीय क्षेत्र में है। यहाँ पर रोज दुर्घटनायें होती रहती हैं, जो भी यहाँ पर बसें चलती हैं खस्ता हालत में हैं, उसके लिए हमें एक आवश्यक नीति बनानी चाहिए जिससे कि यह दुर्घटनायें रोकी जा सकें। इसके अलावा मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूँगी कि यहां पर कुछ सड़कों पर यात्री यात्रा करते हैं, जितनी सीट की बस है उतने ही यात्री यात्रा करें। यहां पर जीपों में भी लोग छतों में बैठक कर यात्रा करते हैं जिससे कि आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं। इसके अलावा भी मैं कहना चाहूँगी कि इसके नियंत्रण के लिए ऐसी नीति बनायी जाये कि जिससे कि इस पर नियंत्रण लगाया जा सके।

मान्यवर, उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार विधेयक, 2003 पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाए क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में हर महीने दो–चार दुर्घटनाएं होती रहती हैं इसके लिए जो हमारी चारधाम यात्रा है उसके बारे में मैं यह चाहूँगी कि कुछ लोग इस यात्रा को दो पहिया वाहनों के माध्यम से कर लेते हैं जिससे वहां पर दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं इस विधेयक में यह प्राविधान किया जाना चाहिए कि दो पहिया वाहनों से वे चारधाम की यात्राएं न करें। इसी के साथ मैं माननीय प्रकाश पंत जी द्वारा उत्तरांचल मोटरयान कराधान

सुधार विधेयक, 2003 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया, के प्रस्ताव पर बल देती हूँ और चाहती हूँ कि इसमें सुधार किया जाए।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं समझता हूँ हमारे माननीय सदस्य श्री प्रकाश पंत, श्री अजय भट्ट, श्री मातबर सिंह कण्डारी, काजी निजामुद्दीन तथा श्रीमती विजय बड़थ्वाल जी द्वारा जो बातें कहीं गई वे बातें एक साथ तो पूरी नहीं हो सकती। हमारा उद्देश्य तो यह था कि नवगठित उत्तरांचल राज्य की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए यहाँ पर कराधान नीति को बनाने पर विचार किया गया और यह विधेयक लाया गया और मोटरयानों पर लगने वाले करों को युक्ति संगत बनाने के लिए यह विधेयक लाया गया है। एक बात मैं नहीं समझ पाया कि रजिस्ट्रेशन टैक्स कम किया जाना चाहिये।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूं कि हमने अपने पड़ोसी राज्यों से रजिस्ट्रेशन टैक्स कम रखा है जिससे ऐसा न हों कि वे रजिस्ट्रेशन हमारे पड़ोसी राज्यों से करा लें और गाड़ी यहां पर चलायें जिससे राजस्व की हानि हो इस विधेयक के माध्यम से यह दर 2.5 प्रतिशत रखी गई, पूर्व में यह 5 प्रतिशत थी। सभी ने इसका स्वागत किया। चूँकि, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल राज्य बनने के बाद मैदानी क्षेत्र का दायरा कम हो गया जिस कारण हमने माल वाहनों पर मैदानी मार्गों में देय अतिरिक्त कर 110 रुपये प्रति मैट्रिक टन प्रति त्रैमाह से कम कर 85 रुपये कर दिया गया है।

मान्यवर, जो टैक्स हमने लगाये हैं, उससे हमें अनुमानित एक करोड़ रुपया की रेवेन्यू आय होगी। लेकिन हम इतना ज्यादा टैक्स भी नहीं लगाना चाहते हैं, जिससे हमारे राज्य की स्थिति खराब हो जाय। मान्यवर, हमने प्रतिदिन के हिसाब से प्रति सीट टैक्स निर्धारित किया है। उत्तर प्रदेश की तरह नहीं। मान्यवर, हमने कुछ अलग नीति बनायी है, जिससे जनता को लगे कि हम उत्तर प्रदेश के पिछलग्गू नहीं बने हुए हैं। मान्यवर, जितने भी सुझाव आये थे उसी के अनुरूप हमने इस कार्य को अंजाम दिया है। मान्यवर, हमने साधारण वाहन पर, 30 रु0 प्रति सीट प्रति दिन, डीलक्स वाहन पर 40 रु0 प्रति दिन प्रति सीट तथा ए0सी0 गाड़ियों पर 45 रु0 प्रति दिन प्रति सीट के हिसाब से टैक्स लगाया है तथा हल्के वाहनों पर, वर्तमान में त्रैमासिक दरें–टैक्सी परी 900/–, मैक्सी 5100/– तथा बस पर 1500/ रु0 लगाया है। मान्यवर, इससे हमें जो आय होगी, इसका उपयोग हम यदि किसी जिले में कोई दुर्घटना होती है तो जिलाधिकारी के माध्यम से पीड़ितों के लिए भी करेंगे।

मान्यवर, कुछ वाहन चालक गाड़ियों को बहुत तेजी के साथ चलाते हैं, इन पर नियंत्रण के लिए हमने इंटर सैप्टेड लगा रहे हैं, इससे 15 किलोमीटर पहले ही हमें सूचना मिल जायेगी कि गाड़ी की गति क्या है?

मान्यवर, अस्पतालों में स्थित एम्बूलेंस पर किसी प्रकार का टैक्स नही है। मान्यवर, स्कूली बसों पर जो कर लगाया गया है वह ऐसी बसों पर है जो प्राइवेट व्यक्तियों की हैं, जो अनुबंध के आधार पर चल रही हैं। मान्यवर, ठेका परमिट की मैक्सी कैब व बसों पर जो कि उत्तरांचल की हैं, उन पर अतिरिक्त कर को कम किया गया है।

मान्यवर, शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए पहले से ही सख्त नियम हैं, चप्पल पहनकर गाड़ी नहीं चलायेगा। मान्यवर, धारा 10 (4) में कर व अतिरिक्त कर दोनों का

प्राविधान किया गया है। जहाँ तक दोगुना से सातगुना करने का प्रश्न है यह ज्यादा महत्वपूर्ण है कि दण्ड वसूली प्रभावी तरह से की जाये। मान्यवर, कराधान का यह मतलब नहीं कि जनता पर टैक्स थोपा जाये। मान्यवर, मैं माननीय श्री प्रकाश पंत जी से आग्रह करूंगा कि वे अपने प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। मान्यवर, आपने दुर्घटना लाभ की बात कही उसमें जो प्राविधान किया गया है वह यह है कि यात्री को लाभ मिलेगा, लेकिन उसमें चलने वाला ड्राइवर, क्लीनर, मालिक अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो उस को लाभ नहीं मिलेगा। मान्यवर, इसकी परिभाषा में लिखा है कि किसी सार्वजनिक सेवा यान के संबंध में "यात्री" का तात्पर्य किसी सार्वजनिक सेवा यान में यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति से है, किन्तु इसके अन्तर्गत सार्वजनिक सेवा यान से संसक्त अपने कर्तव्यों के सद्भावपूर्ण निर्वहन में यात्रा करने वाले सार्वजनिक सेवा यान के संचालक, ड्राइवर, कण्डक्टर या संचालक का कोई कर्मचारी नहीं आता है। मान्यवर, धारा 8 दुर्घटना राहत निधि में किसी सार्वजनिक सेवा यान के दुर्घटना में अन्तर्गस्त होने से पीड़ित यात्रियों या अन्य व्यक्तियों को या ऐसे यात्रियों या अन्य व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को राहत देने के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार एक निधि स्थापित करेगी जो "उत्तरांचल सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि" कही जायेगी। तो इसमें कहीं भी ड्राइवर, क्लीनर, मालिक को दुर्घटनाग्रस्त होने पर लाभ देने की बात नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको प्रवर समिति के समक्ष सौंप दिया जाये।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, अन्य व्यक्तियों में ड्राइवर, कण्डक्टर, मालिक सभी सम्मिलित हैं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार विधेयक, 2003 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार विधेयक, 2003 पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–30 तक, अनुसूची 1 से 6, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार विधेयक, 2003

राज्य में मोटरयानों पर आरोपित करों में सुधार करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौवन्नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

उद्देश्य और कारण–दिनांक 09–11–2000 को उत्तरांचल राज्य की स्थापना के पश्चात राज्य में मोटरयानों पर लगने वाले करों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (पूर्व संशोधनों सहित) प्रवृत्त रहा। नवगठित उत्तरांचल राज्य की भौगोलिक एवं अन्य परिस्थितियों को देखते हुए तथा मोटरयानों पर लगने वाले करों को युक्तिसंगत बनाने के लिए एक प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मंत्रिपरिषद् ने इस विषयक के वित्तीय, प्रशासनिक एवं अन्य प्रासंगिक पहलुओं पर विचार करके अपनी संस्तुतियां देने हेतु मंत्रिपरिषद् की एक समिति का गठन किया।

मंत्रिपरिषद् की समिति की संस्तुतियों पर सम्यक् विचारोपरान्त यह विनिश्चय किया गया है कि मोटरयानों पर समस्त करों के उद्ग्रहण एवं संग्रहण के लिए एक संहत विधि बनाकर मोटरयानों पर लगने वाले करों को सुव्यवस्थित करते हुए उसके प्रशासन में सुधार करते हुए सरल, कारगर एवं युक्तियुक्त बनाया जाये।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ–

(1) यह अधिनियम उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे और विभिन्न उपबंधों के लिये विभिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

2. परिभाषायें– इस अधिनियम में–

(क) "अतिरिक्त कर" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन आरोपित कर के अतिरिक्त, धारा 5 या धारा 6 के अधीन आरोपित कर से है;

(ख) "अपील प्राधिकारी" का तात्पर्य परिवहन आयुक्त, उत्तरांचल या राज्य सरकार द्वारा अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किसी अन्य अधिकारी से है;

(ग) "रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र" का तात्पर्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये इस आशय के प्रमाण–पत्र से है कि मोटरयान को मोटरयान अधिनियम, 1988, या मोटरयानों के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि, के उपबंधों के अनुसार सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत कर दिया गया है;

(घ) "माल वाहन" का तात्पर्य किसी ऐसे मोटरयान से है जो माल ढोने के लिये पूर्णतः या अंशतः उपयोग में लाये जाने के लिये निर्मित या अनुकूलित हो या ऐसे किसी मोटरयान से है जो इस प्रकार निर्मित या अनुकूलित न हो जब वह केवल माल ढोने या यात्रियों के साथ–साथ माल ढोने के लिये उपयोग में लाया जाये और इसके अन्तर्गत ट्रेलर भी है किन्तु इसके अन्तर्गत कोई मोटर टैक्सी या बड़ी टैक्सी, या कोई ठेकागाड़ी या कोई मंजिली गाड़ी नहीं है जब ऐसी ठेकागाड़ी या मंजिली गाड़ी परिसीमित मात्रा में ढोने के लिये प्राधिकृत हो;

(ङ) "परिसीमित मात्रा का भार" का तात्पर्य परिवहन आयुक्त, उत्तरांचल द्वारा अवधारित सीमा से अनधिक भार के ऐसे परिमाण से है जैसा रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी किसी यान के संबंध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र में विनिर्दिष्ट करें;

(च) "पुराना मोटरयान" का तात्पर्य परिवहनयान से भिन्न ऐसे मोटरयान से है जो मोटरयान अधिनियम, 1939 के उपबंधों के अधीन 5 फरवरी, 1988 के पूर्व रजिस्ट्रीकृत हो;

(छ) किसी परिवहन यान के संबंध में "संचालक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसका नाम परमिट में या पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1976 (यथा उत्तरांचल में लागू) के अधीन जारी किये गये किसी प्राधिकार प्रमाण–पत्र में हो, और जब ऐसा न हो, वहां उसका तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसका नाम ऐसे यान के संबंध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र में दर्ज हो, और जहां परिवहनयान किसी अवक्रय करार के अधीन हो वहां उसका तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसका उस यान पर करार के अधीन कब्जा हो, और जहां ऐसा व्यक्ति अवयस्क हो वहां उसका तात्पर्य ऐसे अवस्यक के संरक्षक से है;

(ज) किसी मोटरयान के संबंध में "स्वामी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसका नाम ऐसे यान के संबंध में जारी किये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र में दर्ज हो और जहां ऐसा यान किसी अवक्रय करार या पट्टे या आडमान के अधीन हो वहां उसका तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसका यान पर उस करार के अधीन कब्जा हो और जहां ऐसा व्यक्ति अवयस्क हो वहां उसका तात्पर्य ऐसे अवयस्क के संरक्षक से है;

(झ) किसी सार्वजनिक सेवायान के संबंध में "यात्री" का तात्पर्य किसी सार्वजनिक सेवायान में यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति से है, किन्तु इसके अन्तर्गत सार्वजनिक सेवायान से संसक्त अपने कर्तव्यों के सद्भावपूर्ण निर्वहन में यात्रा करने वाले सार्वजनिक सेवायान के संचालक, ड्राइवर, कण्डक्टर या संचालक का कोई कर्मचारी नहीं आता है।

(ञ) "तिमाही" का तात्पर्य तीन कलेण्डर मास की ऐसी अवधि से है जो मार्च, जून, सितम्बर या दिसम्बर के अन्तिम दिन को समाप्त होती है;

(ट) "सम्भाग" का तात्पर्य मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 68 की उपधारा (1) के अधीन सम्भाग के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र से है और इसके अन्तर्गत कोई उप सम्भाग भी है, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जाय;

(ठ) "कर" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन उद्गृहीत किसी कर से है;

(ड) "कराधान अधिकारी" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त किसी अधिकारी से है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा अन्य अधिकारी भी है जिसे राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा कराधान अधिकारी की सभी या कोई शक्ति प्रदान की जाय;

(ढ) "परिवहन यान" का तात्पर्य किसी माल वाहन या सार्वजनिक सेवायान से है;

(ण) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और मोटरयान अधिनियम, 1988 में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में क्रमशः उनके लिये दिये गये हैं।

3. छूट देने की शक्ति–

(1) राज्य सरकार नियम या अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन रखते हुए और ऐसी अवधि के लिये जैसी विनिर्दिष्ट की जाय किसी शैक्षिक, चैकित्सिक, परोपकारी या अन्य लोक प्रयोजन को अग्रसर करने में चलने वाले किसी मोटरयान या मोटरयानों के किसी वर्ग को पूर्णतः या अंशतः निम्नलिखित से छूट दे सकती है :–

(क) इस अधिनियम या इसके किसी उपबंध के प्रवर्तन से, या

(ख) इस अधिनियम के अधीन किसी कर के भुगतान से।

(2) उपधारा (1) के अधीन दी गयी छूट या छूट के लिये आरोपित शर्त भूतलक्षी दिनांक से जो वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के दिनांक से पहले का न हो, प्रभावी की जा सकती है।

(3) राज्य सरकार इसी तरह उपधारा (1) के अधीन दी गयी कोई छूट वापस ले सकती है किन्तु ऐसी छूट की वापसी भूतलक्षी प्रभाव से प्रवर्तित नहीं होगी।

4. कर का आरोपण–

(1) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, परिवहनयान से भिन्न किसी मोटरयान का उपयोग उत्तरांचल में किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे मोटरयान के संबंध में लागू दर पर एक बार देय कर का, जैसा कि प्रथम अनुसूची के भाग "ख" में विनिर्दिष्ट है, भुगतान न कर दिया गया हो;

"परन्तु जहां किसी ऐसे मोटरयान के सम्बन्ध में एक बार देय कर का भुगतान उ0प्र0 मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2000 (यथा उत्तरांचल में लागू) के प्रारम्भ होने के पूर्व किया जा चुका है और धारा 12 की उपधारा 5 के अधीन ऐसे कर की वापसी नहीं की गयी हो, वहां ऐसे प्रारम्भ के पश्चात उसके सम्बन्ध में इस उपधारा के अधीन कोई कर देय नहीं होगा।

परन्तु यह और कि किसी पुराने मोटरयान के संबंध में, एक बार देय कर का भुगतान करने के बजाय ऐसे मोटरयान पर लागू दर पर वार्षिक कर, जैसा कि प्रथम अनुसूची के भाग "ग" में विनिर्दिष्ट है, भुगतान किया जा सकता है।

(2) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी परिवहनयान का उपयोग उत्तरांचल में किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जायेगा, जब तक कि ऐसे मोटरयान के संबंध में लागू दर पर कर का, जैसा कि प्रथम अनुसूची के भाग "घ" में विनिर्दिष्ट है, भुगतान न कर दिया गया हो।

(3) जहां परिवहनयान से भिन्न कोई मोटरयान जिसके संबंध में एक बार देय कर का भुगतान कर दिया गया हो, परिवहनयान के रूप में चलाई जाय वहाँ ऐसे परिवहनयान पर इस अधिनियम के अधीन देय कर देय होगा।

(4) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, प्रथम अनुसूची के भाग–ख, भाग–ग या भाग–घ में विनिर्दिष्ट कर की दरों में वृद्धि, जो पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, कर सकती है।

5. माल वाहनों पर अतिरिक्त कर–

(1) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कोई माल वाहन उत्तरांचल में किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं चलाया जायेगा जब तक कि उसके संबंध में, धारा 4 के अधीन देय कर के अतिरिक्त, यथास्थिति–

(क) उत्तरांचल के भीतर अधिकारिता युक्त, प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत परमिटों के अधीन चलाये जाने वाले माल वाहन के मामले में, तृतीय अनुसूची, या

(ख) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (12) के अधीन स्वीकृत राष्ट्रीय परमिट के अधीन संचालित माल वाहन के मामले में, तृतीय अनुसूची का भाग "ख";

(ग) उत्तरांचल में अंशतः पड़ने वाले अन्तर्राज्यीय मार्ग के लिये उत्तरांचल के बाहर अधिकारितायुक्त प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत परमिटों के अधीन चलाये जाने वाले माल वाहन के मामले में, छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे माल वाहन के संबंध में लागू दर पर अतिरिक्त कर का भुगतान न कर दिया गया हो;

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उक्त अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त कर की दरों में वृद्धि जो पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, कर सकती है।

(2) जहां सड़क द्वारा ले जाये जाने वाले माल के कराधान से संबंधित कोई पारस्परिक करार उत्तरांचल सरकार और किसी अन्य राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के मध्य किया जाय, वहां उपधारा (1) के अधीन अतिरिक्त कर का उद्ग्रहण, उक्त उपधारा में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे करार के निबंधनों और शर्तों के अनुसार होगा;

परन्तु इस प्रकार उदगृहीत अतिरिक्त कर उस अतिरिक्त कर से अधिक नहीं होगा जो इस अधिनियम के अधीन अन्यथा उदगृहीत होता।

6. सार्वजनिक सेवायान पर अतिरिक्त कर–

(1) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, राज्य परिवहन उपक्रम के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन से भिन्न कोई सार्वजनिक सेवायान के अधीन धारा 4 के अन्तर्गत देय कर के अतिरिक्त चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे सार्वजनिक सेवायान के संबंध में लागू दर पर अतिरिक्त कर का भुगतान न कर दिया गया हो, सार्वजनिक मार्गों पर संचालित नहीं किया जायेगा।

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त कर की दरों में वृद्धि जो पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, कर सकती है।

(2) उत्तरांचल राज्य के परिवहन उपक्रम के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सार्वजनिक सेवायान के संबंध में अतिरिक्त कर उदग्रहण और भुगतान पांचवी अनुसूची में विनिर्दिष्ट फार्मूला के अनुसार किया जायेगा।

(3) उत्तरांचल में अंशतः पड़ने वाले अन्तर्राज्यीय मार्ग के लिये उत्तरांचल के बाहर अधिकारितायुक्त प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत परमिटों के अधीन चलाये जाने वाले सार्वजनिक सेवायान के मामले में, छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे सार्वजनिक सेवायान के संबंध में लागू दर पर अतिरिक्त कर का भुगतान न कर दिया गया हो;

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उक्त अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त कर की दरों में वृद्धि जो पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, कर सकती है।

(4) जहां सार्वजनिक सेवायान के कराधान से संबंधित कोई पारस्परिक करार उत्तरांचल सरकार और किसी अन्य राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के मध्य किया जाय, वहां उपधारा (3) के अधीन अतिरिक्त कर का उदग्रहण, उक्त उपधारा में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे करार के निबंधनों और शर्तों के अनुसार होगा, परन्तु इस प्रकार उदगृहीत अतिरिक्त कर उस अतिरिक्त कर से अधिक नहीं होगा जो इस अधिनियम के अधीन अन्यथा उदगृहीत होता।

(5) जहां किसी सार्वजनिक सेवायान को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अतिरिक्त कर के भुगतान से पूर्णतः या अंशतः छूट दी गयी हो, वहां धारा 8 के अधीन स्थापित निधि के प्रयोजन के लिये उसके संचालक पर उस अतिरिक्त कर के, जो ऐसे यान पर देय होता यदि उसे इस प्रकार की छूट न दी गई होती, पांच प्रतिशत की दर से अधिभार का उदग्रहण किया जायेगा और ऐसी धनराशि उक्त निधि में जमा की जायेगी।

7. कर या अतिरिक्त कर का अवधारण करने के लिए मार्गों का वर्गीकरण–

प्रथम अनुसूची के अधीन परिवहन यानों के संबंध में देय कर की धनराशि का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए या चतुर्थ अनुसूची के अधीन देय अतिरिक्त कर का अवधारण करने के लिए उत्तरांचल में समस्त मार्गों का वर्गीकरण ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाय, विहित प्राधिकारी द्वारा ''क–वर्ग'' के मार्गों या ''ख–वर्ग'' के मार्गों के रूप में किया जायेगा।

8. दुर्घटना राहत निधि–

(1) किसी सार्वजनिक सेवायान से दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त होने से पीड़ित यात्रियों या अन्य व्यक्तियों को या ऐसे यात्रियों या अन्य व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को राहत देने के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार एक निधि स्थापित करेगी जो "उत्तरांचल सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि" कही जायेगी। धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन उद्ग्रहीत अधिभार, और धारा 6 की उपधारा (1) और (2) के अधीन उद्ग्रहीत अतिरिक्त कर के इक्कीसवें भाग के समतुल्य धनराशि, उक्त निधि में जमा की जायेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन स्थापित निधि का प्रशासन और उपयोग ऐसी रीति से किया जायेगा, जैसा विहित किया जाय।

9. कर और शास्ति का भुगतान–

(1) धारा 11 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए–

(एक) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन देय कर का भुगतान मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन यान के रजिस्ट्रीकरण के समय किया जायेगा;

परन्तु किसी पुराने मोटरयान के सम्बन्ध में कर प्रत्येक वर्ष जनवरी के पन्द्रहवें दिन को या उसके पूर्व अग्रिम रूप में देय होगा;

(दो) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन देय कर मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन यान के रजिस्ट्रीकरण के समय प्रत्येक तिमाही के लिये और तत्पश्चात प्रत्येक वर्ष जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के पन्द्रहवें दिन का या उसके पूर्व अग्रिम रूप में देय होगा;

(तीन) धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन देय अतिरिक्त कर प्रत्येक वर्ष जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के पन्द्रहवें दिन का या उसके पूर्व अग्रिम रूप देय होगा;

(चार) (क) धारा 6 के अधीन देय अतिरिक्त कर (उस मामले से भिन्न जिस पर उपखण्ड (ख) लगा होता है) चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर की एक–तिहाई दर से प्रत्येक कलेण्डर माह के पन्द्रहवें दिन का या उसके पूर्व अग्रिम रूप में देय होगा;

(ख) मेला और धार्मिक समाओं जैसे विशेष अवसरों पर यात्रियों को वहां ले जाने और वहां से लाने, या बारात, पर्यटक पार्टी या ऐसी अन्य रिजर्व पार्टी की सवारी के लिये जारी किये जाने वाले अस्थायी परमिट के अन्तर्गत आने वाले यानों के संबंध में धारा 6 के अधीन देय अतिरिक्त कर का भुगतान ऐसे अस्थायी परमिट के जारी किये जाने के समय किया जायेगा।

(2) जब कोई व्यक्ति अपने नाम से रजिस्ट्रीकृत किसी मोटरयान को किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित करता है, तब इस संबंध में अन्तरक के दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अन्तरिती मोटरयान के अन्तरण के दिनांक को या उसके पूर्व इस प्रकार अन्तरित मोटरयान के संबंध में देय कर या अतिरिक्त कर और शास्ति, यदि कोई हो, के बकाये का इस प्रकार देनदार होगा, मानों अन्तरिती उस अवधि के दौरान जिसके लिए ऐसा कर, अतिरिक्त कर या शास्ति देय हो, उक्त मोटरयान का स्वामी था।

(3) जहां किसी मोटरयान के संबंध में कर या अतिरिक्त कर का भुगतान उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर न किया जाय, वहां देय कर का अतिरिक्त कर के अतिरिक्त देय धनराशि के पच्चीस प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर जैसी विहित की जाय, शास्ति देय होगी जिसके लिये स्वामी और संचालक, यदि कोई हो, संयुक्त रूप से और पृथक-पृथक देनदार होंगे।

(4) इस अधिनियम के अधीन कर, अतिरिक्त कर या शास्ति की धनराशि की संगणना करने में, धनराशि को निकटतम रुपये तक पूर्णांकित किया जायेगा, अर्थात एक रुपये के भाग को जो पचास पैसे या उससे अधिक हो, अगले उच्चतर रुपये तक पूर्णांकित किया जायेगा और पचास पैसे से कम किसी भाग को छोड़ दिया जायेगा।

10. कर भुगतान किये बिना उत्तरांचल में यानों का उपयोग नहीं किया जायेगा–

(1) धारा 9 में किसी बात के होते हुए भी;

(क) किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसकी अधिकारिता उत्तरांचल से बाहर हो, मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन दिये गये अस्थायी/स्थायी परमिट के अधीन कोई परिवहन यान उत्तरांचल में नहीं चलाया जायेगा, जब तक कि उसके सम्बन्ध में–

(एक) उत्तरांचल में उसके उपयोग या ठहरने के सप्ताहों के लिए, धारा 4 के अधीन कर का, जिसकी गणना प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट समुचित दर से और उपधारा (2) में दी गई रीति से की जायेगी, भुगतान न कर दिया गया हो;

(दो) यथास्थिति भार वाहन की दशा में धारा 5 या ठेका वाहन की दशा में धारा 6 के अधीन अतिरिक्त कर का भुगतान न कर दिया गया हो।

(तीन) अन्तर्राज्यीय यात्री मार्गों पर दो राज्यों के करार अनुसार अनुमत मंजिली परमिट के वाहन की दशा में धारा 6 के अनुसार उत्तरांचल राज्य में वाहन का अतिरिक्त कर न जमा कराया जा रहा हो।

(ख) किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसकी अधिकारिता उत्तरांचल के बाहर हो, उक्त अधिनियम की धारा 88 की उपधारा 12 के अधीन दिये गये किसी राष्ट्रीय परमिट के अधीन कोई माल वाहन उत्तरांचल में नहीं चलायेगा जब तक कि उसके सम्बन्ध में धारा 5 के अधीन अतिरिक्त कर का जिसकी गणना तृतीय अनुसूची में खण्ड–ख में विनिर्दिष्ट दर से की जाएगी, भुगतान विहित रीति से न कर दिया गया हो।

(ग) किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसकी अधिकारिता उत्तरांचल के बाहर हो, मोटर व्हीकिल्स (आल इण्डिया परमिट फार टूरिस्ट ट्रांस्पोर्ट आपरेटर्स) रूल्स 1993 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 88 की उपधारा 9 के अधीन दिये गये परमिट के अधीन कोई सार्वजनिक सेवायान उत्तरांचल राज्य में नहीं चलाया जाएगा जब तक कि उसके सम्बन्ध में धारा 6 के अधीन अतिरिक्त कर का भुगतान विहित रीति से चतुर्थ अनुसूची के प्रस्तर–दो के उपखण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट दर से न कर दिया गया हो।

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उक्त अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट, यथास्थिति कर या अतिरिक्त कर की दर में वृद्धि, जो पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, कर सकती है।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) के अधीन कर के उद्धरण और भुगतान के प्रयोजना के लिए, किन्हीं दो सप्ताह या उसके भाग के लिए देय कर प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट कर का 2/13 वां भाग होगा।

(3) अन्य राज्यों से प्राप्त अस्थायी/स्थायी परमिटों से आच्छादित वाहनों को उत्तरांचल राज्य में बिना देय कर व अतिरिक्त कर के संचालित पाये जाने की दशा में प्रत्येक देय कर व अतिरिक्त कर के साथ इनकी राशि के दो गुना के बराबर शास्ति देय होगी।

(4) बिना परमिट उत्तरांचल में प्रवेश कर संचालित पाये जाने वाले ऐसे वाहनों पर कर (मार्गकर) निम्नलिखित दर पर वसूला जायेगा जो निम्नवत् होगा–

(एक)	मोटर कैब	600.00
(दो)	मैक्सी कैब	750.00
(तीन)	ओमनी बस	3000.00
(चार)	भार वाहन	3000.00

तथा,

ऐसे वाहनों से अतिरिक्त कर की मासिक दर निम्नवत् होगी, जिसके साथ 25 प्रतिशत शास्ति देय होगी (अतिरिक्त कर के अलावा) :–

(एक)	मोटर कैब–	धारा 88 (9) के अन्तर्गत का दो गुना
(दो)	मैक्सी कैब–	धारा 88 (9) के अन्तर्गत का दो गुना
(तीन)	ओमनी बस–	धारा 88 (9) के अन्तर्गत का दो गुना
(चार)	भार वाहन–	देय मासिक अतिरिक्त कर का दो गुना लेकिन न्यूनतम रु० 2000.00

(5) निजी वाहन एवं प्राइवेट सर्विस वाहनों के व्यवसायिक वाहनों के रूप में संचालित पाये जाने पर इन वाहनों पर देय कर/अतिरिक्त कर (प्रत्येक बार पकड़े जाने पर)–

क्रम संख्या	अनाधिकृत संचालन का स्वरूप	देय मार्गकर (रुपये में)	देय अतिरिक्त कर (रुपये में)
(एक)	टैक्सी/मोटर कैब के रूप में	1500.00	2000.00
(दो)	मैक्सी कैब के रूप में	2000.00	4000.000
(तीन)	प्राइवेट सर्विस वाहन में किराये की सवारी ले जाते पाये जाने पर	3000.00	6000.00
(चार)	ट्रैक्टर (ट्रेलर संलग्न)	2000.00	4000.00

11. प्रथम कर के दायित्व पर देय धनराशि–

जब किसी परिवहन यान के संबंध में कर या अतिरिक्त कर किसी तिमाही के प्रारम्भ के पश्चात प्रथम बार देय हो, तब यथास्थिति, धारा 4 या धारा 5 या धारा 6 के अधीन देय कर या अतिरिक्त कर प्रत्येक कलेण्डर मास या उसके भाग के लिए जिसके संबंध में कर या अतिरिक्त कर देय हो, समुचित तिमाही कर का एक तिहाई होगा।

12. यान का अनुपयोग और कर का वापस करना (धारा 4, 5 व 6 में समान रूप से प्रभावी) :–

(1) जब कोई व्यक्ति जिसने किसी परिवहन यान के संबंध में कर का भुगतान कर दिया है, कराधान अधिकारी के संतोषानुसार विहित रीति से यह सिद्ध कर दे कि मोटरयान का जिसके संबंध में ऐसे कर का भुगतान कर दिया गया है अन्तिम बार कर का भुगतान करने के समय से एक मास या उससे अधिक की लगातार अवधि में उपयोग नहीं किया गया है तो वह उतनी धनराशि के वापसी का हकदार होगा जितनी वह ऐसे यान के संबंध में ऐसी अवधि के प्रत्येक (तीस दिन) के लिए जिसके लिये भुगतान किया गया हो, देय तिमाही कर की दर के एक तिहाई के बराबर हो;

परन्तु ऐसी वापसी तब तक अनुमन्य नहीं होगी जब तक कि ऐसा व्यक्ति, उस अवधि के पूर्व जिसके लिए ऐसी वापसी का दावा किया गया हो, कराधान अधिकारी के पास यान के संबंध में जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र, टोकन यदि कोई हो और परमिट अभ्यर्पित न कर दे।

(2) जहां किसी मोटरयान का, यथास्थिति संचालक या स्वामी एक मास या उससे अधिक की अवधि के लिये अपने यान का उपयोग नहीं करना चाहता है वहां वह यथास्थिति, कर या अतिरिक्त कर के देय दिनांक के पूर्व उस सम्भाग के कराधान अधिकारी के पास जहां कर या अतिरिक्त कर का अन्तिम बार भुगतान किया गया हो, मोटरयान के संबंध में जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र, टोकन, यदि कोई हो और परमिट यदि कोई हो, अभ्यर्पित करेगा और ऐसे अभ्यर्पण पर ऐसे यान के संबंध में प्रत्येक पूर्ण कलेण्डर मास की उस अवधि के लिये जिसके दौरान यान उपयोग में न रहे और उपर्युक्त दस्तावेज कराधान अधिकारी के पास अभ्यर्पित रहे इस अधिनियम के अधीन कोई कर या अतिरिक्त कर देय नहीं होगा;

परन्तु यदि ऐसा यान उस अवधि के दौरान जब इस उपधारा में यथा उल्लिखित उसके दस्तावेज कराधान अधिकारी के पास अभ्यर्पित रहें, चलाया जाता हुआ पाया जाय, तो ऐसे यान का यथास्थिति, स्वामी या संचालक कर का देनदार होगा मानों उक्त दस्तावेज अभ्यर्पित नहीं किये गये थे और धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन देय शास्ति का भी देनदार होगा।

(3) जहां परिवहन यान से भिन्न ऐसे मोटरयान जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन एक बार देय कर का भुगतान कर दिया गया हो, का स्वामी कराधान अधिकारी के संतोषानुसार विहित रीति से यह सिद्ध कर दे कि ऐसे मोटरयान का एक मास या इससे अधिक की लगातार अवधि में उपयोग नहीं किया गया है, वहां वह उक्त अवधि के लिये द्वितीय अनुसूची के भाग "क" में विनिर्दिष्ट दरों पर ऐसे कर की वापसी का हकदार होगा;

परन्तु ऐसी वापसी तब तक अनुमन्य नहीं होगी जब तक कि यान के संबंध में जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र और टोकन, यदि कोई हो, स्वामी द्वारा कराधान अधिकारी को अभ्यर्पित न कर दिया जाय;

परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन वापस की जाने वाली कुल धनराशि इस अधिनियम के अधीन भुगतान किये गये एक बार देय कर से अधिक नहीं होगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन वापसी की धनराशि की गणना करने में, उस अवधि के किसी भाग को जो एक कलेण्डर मास से कम हो, छोड़ दिया जायेगा।

(5) किसी परिवहन यान से भिन्न ऐसे मोटरयान जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन एक बार देय कर का भुगतान कर दिया गया है, का स्वामी द्वितीय अनुसूची के भाग "ख" में विनिर्दिष्ट दरों पर ऐसे कर को वापस पाने का इस आधार पर हकदार होगा कि उसने ऐसे कर के भुगतान के पश्चात ऐसे यान को स्थायी रूप से किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में लाने के फलस्वरूप ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में मोटर–यानों पर कर संबंधी किसी अन्य अधिनियमित के अधीन ऐसे यान के संबंध में कर का भुगतान कर दिया है या ऐसे मोटरयान को परिवहन यान के रूप में परिवर्तित किया गया है या ऐसे मोटरयान का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया है।

(6) जहां ऐसा कोई व्यक्ति जिसने किसी पुराने मोटरयान के संबंध में एक बार देय कर से भिन्न कर का भुगतान कर दिया हो, कराधान अधिकारी के संतोषानुसार यह सिद्ध कर दे कि ऐसे मोटरयान जिसके संबंध में ऐसे कर का भुगतान कर दिया गया है, का उपयोग ऐसे कर या किस्त का अन्तिम बार भुगतान करने के समय से एक कलेण्डर मास या इससे अधिक की लगातार अवधि तक नहीं किया गया है, वहां वह उतनी धनराशि वापस पाने का हकदार होगा जितनी ऐसी अवधि जिसके लिये ऐसे कर का भुगतान कर दिया गया है, के प्रत्येक पूर्ण कलेण्डर मास के लिए ऐसे यान के संबंध में देय वार्षिक कर की दर के बारहवें भाग के बराबर हो,

परन्तु ऐसी वापसी तब तक अनुमन्य नहीं होगी जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने कराधान अधिकारी के पास यान के संबंध में जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र और टोकन, यदि कोई हो, उस अवधि के पूर्व जिसके लिए ऐसे वापसी का दावा किया जाए, अभ्यर्पित न कर दिया हो।

(7) किसी परिवहन यान का कोई संचालक जो उपधारा (1) के अधीन कर वापस पाने का हकदार हो, यथास्थिति धारा 5 या 6 के अधीन भुगतान किये गये अतिरिक्त कर के ऐसे भाग को जो उक्त अवधि के लिए आरोप्य हो उपधारा (1) के अधीन वापस पाने का हकदार होगा और ऐसी वापस की गई धनराशि की गणना उन्हीं सिद्धांतों पर की जायेगी जैसा उक्त उपधारा में निर्धारित है।

(8) जहां किसी मोटरयान का यथास्थिति संचालक या स्वामी अपने मोटरयान का उस यान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण उपयोग करने में असमर्थ है और उस यान के संबंध में जारी किये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र, टोकन, यदि कोई हो, और परमिट यदि कोई हो, प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति के साथ उस यान के दुर्घटनाग्रस्त होने के दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कराधान अधिकारी को अभ्यर्पित कर दिये जाते हैं, तो वह अभ्यर्पण दुर्घटना के दिनांक को किया गया समझा जायेगा।

(9) किसी यात्री अथवा माल वाहन के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने अथवा वाहन को किसी अधिनियम के अन्तर्गत निरूद्ध किये जाने की दशा में सक्षम कर अधिकारी की संस्तुति के पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की दशा में इस हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष साक्ष्य के साथ आवेदन प्रस्तुत करने पर किसी भी पूर्ण कलेण्डर माह की अवधि के लिए वाहन का अप्रयोग स्वीकार किया जा सकेगा जिसके हेतु कर की देयता अनुसार सक्षम अधिकारी निम्नवत् होंगे–

रु0 10,000.00 तक सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी।

रु0 10,000.00 से 20,000.00 तक संभागीय परिवहन अधिकारी।

रु0 20,000.00 से 30,000.00 तक परिवहन आयुक्त द्वारा नामित उप–परिवहन आयुक्त (यात्रीकर) एवं अपर परिवहन आयुक्त।

रु0 30,000.00 से अधिक राशि हेतु परिवहन आयुक्त सक्षम होंगे तथा सम्यक जांचोपरांत सक्षम अधिकारी द्वारा कर/अतिरिक्त कर परिहार किया जायेगा।

13. यान को उपयोगार्थ रखने वाले व्यक्ति द्वारा घोषणा–

(1) प्रत्येक मोटरयान या स्वामी का संचालक विहित प्रपत्र में उसके संबंध में एक घोषणा करेगा और विहित समय के भीतर कराधान अधिकारी को देगा और उसे इस अधिनियम की अपेक्षानुसार या उसके अधीन कर या अतिरिक्त कर जिसका वह ऐसे यान के संबंध में ऐसी घोषणा द्वारा देनदार प्रतीत होता हो, भुगतान करेगा।

(2) जहां किसी मोटरयान में इस प्रकार परिवर्तन किया जाय कि उसका स्वामी या संचालक धारा 14 के अधीन बढ़े हुए कर या अतिरिक्त कर का देनदार हो जाय, वहां ऐसा स्वामी या संचालक विहित समय के भीतर विहित प्रपत्र में किये गये परिवर्तन की प्रकृति को दर्शाते हुए एक अतिरिक्त घोषणा करेगा और घोषणा कराधान अधिकारी को देगा और उसे धारा 14 के अधीन देय कर या अतिरिक्त कर में अन्तर का भुगतान करेगा।

14. कर में अन्तर का भुगतान–

जहां किसी ऐसे मोटरयान में जिसके संबंध में कर या अतिरिक्त कर का भुगतान कर दिया गया हो, इस प्रकार परिवर्तन किया जाय कि वह यान ऐसा यान हो जाये जिसके संबंध में अपेक्षाकृत ऊंची दर से कर या अतिरिक्त कर देय हो वहां उसका स्वामी या संचालक ऐसे यान के संबंध में इस प्रकार परिवर्तन करने के पश्चात संयुक्त रूप से और पृथक–पृथक देय कर या अतिरिक्त कर की धनराशि के अन्तर का देनदार होगा।

15. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र में कर के भुगतान का अभिलेखन और टोकन का दिया जाना–

(1) कराधान अधिकारी मोटरयान के संबंध में दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र में कर का भुगतान अभिलिखित करेगा और किसी परिवहन यान के मामले में विहित प्रपत्र में टोकन भी जारी करेगा।

(2) कराधान अधिकारी इस निमित्त विहित प्रमाण–पत्र में जो उसके द्वारा जारी किया जायेगा, यथास्थिति, धारा 5 या 6 के अधीन अतिरिक्त कर का भुगतान अभिलिखित करेगा।

16. यान को रोकने और प्रवेश करने की शक्ति–

कराधान अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा अपेक्षा किये जाने पर मोटरयान का ड्राइवर यान को रोकेगा और रोक कर रखेगा जिससे कि वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य का पालन कर सके और ऐसा करने के लिये ऐसा प्राधिकारी या अन्य अधिकारी यान में प्रवेश कर सकता है और उसमें यात्रा भी कर सकता है।

17. समय–सारिणी का दिया जाना–

(1) प्रत्येक मंजिली गाड़ी का संचालक ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, कराधान अधिकारी को अपनी मंजिली गाड़ी के आगमन और प्रस्थान करने के समय को विनियमित करने वाली एक सारणी के साथ एक तिमाही में किये गये एकल यात्राओं की संख्या और अपने कारोबार से संबंधित ऐसे अन्य विवरण देगा जैसा कराधान अधिकारी समय–समय पर आदेश द्वारा अपेक्षा करे।

(2) उपधारा (1) निर्दिष्ट समयमापनों या विवरण में किसी परिवर्तन की सूचना संचालक द्वारा कराधान अधिकारी को ऐसे परिवर्तन के प्रभावी होने के पन्द्रह दिन के भीतर दी जायेगी।

18. अपील–

(1) धारा 12 के अधीन कराधान अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की प्राप्ति के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकता है।

(2) अपील प्राधिकारी अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश दे सकता है जैसा वह उचित समझे।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी अपील में अपील प्राधिकारी द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा।

19. अपराधों का दण्ड–

जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है वह जुर्माने से जो पांच सौ रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा और द्वितीय या अनुवर्ती तत्सदृश अपराध के लिये जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा,

परन्तु कोई न्यायालय ऐसे कारणों के सिवाय जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे किसी ऐसे द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये पांच सौ रुपये से कम का जुर्माना आरोपित नहीं करेगा।

20. कर की वसूली–

(1) इस अधिनियम के अधीन देय किसी कर या अतिरिक्त कर या शास्ति का बकाया भू–राजस्व के बकाये की भांति वसूलीय होगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन देय कर, अतिरिक्त कर और शास्ति मोटरयान जिसमें उसके उप साधन भी हैं, पर जिसके संबंध में वह देय हो, प्रथम भार होगा।

21. साक्षियों आदि को हाजिर होने को प्रवृत्त करने की शक्ति–

अपील प्राधिकारी या इस अधिनियम के अधीन कोई जांच करने वाले कराधान अधिकारी को निम्नलिखित के संबंध में ऐसी सभी शक्तियां होंगी जो किसी सिविल न्यायालय में किसी सिविल वाद की सुनवाई के समय निहित होती है :–

(क) साक्षियों को समन करना और हाजिर कराना और शपथ या प्रतिज्ञान पर या अन्यथा उनकी परीक्षा करना और साक्षियों की परीक्षा के लिये कमीशन जारी करना या अनुरोध करना;

(ख) किसी व्यक्ति को कोई दस्तावेज पेश करने के लिये बाध्य करना; और

(ग) पूर्ववर्ती खण्डों में निर्दिष्ट ऐसी शक्तियों का प्रयोग करके जारी किये गये आदेशों की अवज्ञा करने वाले दोषी व्यक्तियों को दण्डित करना।

22. कर का भुगतान न करने की दशा में परिवहन यान को निरुद्ध करना–

(1) जहां राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यक्ति द्वारा कर, अतिरिक्त कर या शास्ति, यदि कोई हो, का भुगतान किये बिना किसी परिवहन यान का उपयोग किया गया है या किया जा रहा है, वहां ऐसा अधिकारी परिवहन यान को अभिग्रहीत और निरुद्ध कर सकता है और इस प्रयोजन के लिये ऐसे कार्यवाही कर सकता है या करा सकता है जिसे वह परिवहन यान के ड्राइवर से उसे निकटतम पुलिस थाने या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य स्थान तक पहुंचने की अपेक्षा कर सकता है। जहां पुलिस अभिरक्षा में वाहन को लिया जाना अनिवार्य होगा तथा तब तक अपनी अभिरक्षा में रखेगी जब तक सक्षम अधिकारी का वाहन मुक्त करने का आदेश पारित न हो जाए।

परन्तु यान को अभिग्रहीत करने वाला अधिकारी ऐसे अभिग्रहण के अड़तालीस घंटे के भीतर संबंधित कराधान अधिकारी को ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट भेजेगा।

(2) इस धारा के अधीन अभिग्रहीत या निरुद्ध किसी परिवहन यान को, कर, अतिरिक्त कर, शास्ति या अन्य देयों जिनका भुगतान न करने के कारण यान इस प्रकार अभिग्रहीत या निरुद्ध किया गया था, का भुगतान करने पर, कराधान अधिकारी द्वारा तुरन्त छोड़ दिया जायेगा।

(3) जहां कर अतिरिक्त कर शास्ति या अन्य देय धनराशि का भुगतान, जिनका भुगतान न करने के कारण किसी परिवहन यान को इस धारा के अधीन अधिग्रहीत या निरुद्ध किया गया हो, यान के अधिग्रहण या निरुद्ध के दिनांक से 90 दिवस की अवधि के भीतर उपधारा (2) के अधीन राजकीय कोष में जमा न कर दिया जाये, वहां परिवहन आयुक्त किसी समय, ऐसी अन्य कार्यवाही पर, जो इस अधिनियम के अधीन की जा सकती है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विहित रीति से यान की सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री करा सकता है और ऐसे यान के विक्रय से प्राप्त राशि से ऐसे यान के सम्बन्ध में देय कर, शास्ति या अन्य धनराशि और ऐसी नीलामी का व्यय, यदि कोई हो, के प्रति समायोजित कर लिया जायेगा और इतिशेष को यदि कोई हो, यान के स्वामी/संचालक को वापस कर दिया जायेगा।

23. न्यायालयों की अधिकारिता पर रोक–

इस अधिनियम के अध्यधीन राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा अपने कृत्यों के संबंध में प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में किये गये किसी कार्य या की गयी किसी कार्यवाही या जारी किये गये किसी आदेश या निदेश के बारे में किसी सिविल न्यायालय को कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी।

24. अपराधों का प्रशमन–

(1) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जैसी विहित की जाय, कराधान अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा सशक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या उसके पश्चात् इस अधिनियम के अधीन ऐसे अपराध के लिये उपबंधित अधिकतम जुर्माने के पचास प्रतिशत के समतुल्य धनराशि की वसूली पर शमन किया जा सकेगा।

(2) जब किसी अपराध का इस प्रकार शमन–

(एक) अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाय, तब अपराधी ऐसे अपराध के लिये अभियोजन का उत्तरदायी नहीं होगा;

(दो) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाय, तब शमन का प्रभाव अपराधी की दोषमुक्ति का होगा और उस व्यक्ति के विरुद्ध उसी अपराध के लिये कोई अग्रेतर कार्यवाही नहीं की जायेगी।

25. अपराध का संज्ञान–

कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान कराधान अधिकारी की ऐसे अपराध को बनाने वाले तथ्यों की लिखित रिपोर्ट पर के सिवाय नहीं करेगा।

26. कम्पनियों द्वारा अपराध–

(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी है तो वह कम्पनी और अपराध किये जाने के समय उसके कार्य संचालन के लिए कम्पनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्डित किया जा सकेगा;

परन्तु इस उपधारा की कोई बात से ऐसा व्यक्ति दण्डनीय नहीं होगा यदि वह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध को रोकने के लिये सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुये भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध उस कम्पनी के किसी सचिव, निदेशक, प्रबंधक, या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुमति से किया गया है, या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ है, तो कम्पनी का ऐसा सचिव, निदेशक, प्रबंधक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्ड दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिये–

(क) ''कम्पनी'' का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और उसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम भी है, और

(ख) किसी फर्म के संबंध में ''निदेशक'' का तात्पर्य फर्म के भागीदार से है।

27. सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण–

इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या दिये किसी आदेश या निदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्ण की गयी या की जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये राज्य सरकार या उसके किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

28. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति–

(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित, करने के लिये नियम बना सकती है।

(2) विशेषतः और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार निम्नलिखित समस्त या किन्हीं प्रयोजनों के लिये नियम बना सकती है, अर्थात्–

(क) वह रीति जिसके अनुसार और प्रपत्र जिसमें और प्राधिकारी जिसे इस अधिनियम के अधीन कर या अतिरिक्त कर के भुगतान के लिये आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा, विहित करना;

(ख) किसी प्रमाण–पत्र, घोषणा, नोटिस, रसीद या टोकन का प्रपत्र और उसमें उल्लिखित किये जाने वाले विवरण और किसी मोटरयान पर टोकन प्रदर्शित करने की रीति, विहित करना;

(ग) वह रीति जिसके अनुसार फीस, जिसका भुगतान करने पर इस अधिनियम के अधीन टोकन या प्रमाण–पत्र दिया या अन्तरित किया जा सकता है, विहित करना;

(घ) सामान्य रूप से ऐसे प्राधिकारियों को जिनके द्वारा और ऐसी रीति जिसके अनुसार इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के संबंध में या उसमें आनुषंगिक किसी कर्तव्य का पालन किया जा सके, विहित करना;

(ङ) कर, अतिरिक्त कर और शास्ति के भुगतान और उनकी वसूली की रीति को विनियमित करना;

(च) वह रीति विनियमित करना जिसके अनुसार कर या अतिरिक्त कर से छूट और वापस की जाने वाली धनराशि का दावा किया जा सके और उसे स्वीकृत किया जा सके;

(छ) अपील के लिये फीस विहित करना और ऐसी रीति विनियमित करना जिसके अनुसार अपील संस्थित की जा सके और उनकी सुनवाई की जा सके;

(ज) इस अधिनियम के अधीन पारित आदेशों या जारी नोटिसों की तामीली की रीति विहित करना;

(झ) धारा 17 के अधीन समय–सारणी और अन्य विवरण प्रस्तुत करने का समय और रीति विहित करना;

(ञ) वह रीति विहित करना जिसमें मार्गों को वर्गीकृत किया जाना है;

(ट) वह रीति विहित करना जिसमें उत्तरांचल सड़क परिवहन दुर्घटना सहायता निधि प्रशासित की जायेगी और उसका उपयोग किया जायेगा;

(ठ) कोई अन्य विषय जिसके लिये नियम बनाया जाना हो या बनाया जा सकता है।

29. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति–

(1) राज्य सरकार, किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनों के लिये, अधिसूचित आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबंध ऐसी अवधि के दौरान जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुये चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हो जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे प्रभावी होगा,

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश यथाशक्य शीघ्र राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जायेगा और पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (यथा उत्तरांचल में लागू) की धारा 23–क की उपधारा (1) के उपबंध जैसे वे किसी पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के संबंध में लागू होते थे, लागू होंगे।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश किसी न्यायालय में इस आधार पर विवादग्रस्त नहीं किया जायेगा कि उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट कोई कठिनाई नहीं थी या उसे दूर करना अपेक्षित नहीं था।

30. निरसन और अपवाद–

(1) उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (यथा उत्तरांचल में लागू) को एतद्द्वारा उत्तरांचल राज्य की सीमा के भीतर निरसित किया जाता है।

(2) उत्तरांचल गठन से पूर्व उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (यथा उत्तरांचल में लागू) की धारा 6 की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियमितियों के निरसन का कोई प्रभाव ऐसे निरसन के दिनांक के पूर्व उपगत किसी दायित्व पर और किसी सक्षम प्राधिकारी या न्यायालय के समक्ष उक्त दिनांक को ऐसी अधिनियमितियों के अधीन लम्बित कार्यवाहियों पर नहीं पड़ेगा और इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् संस्थित उपर्युक्त किसी ऐसे दायित्व से संबंधित समस्त कार्यवाहियां जारी रहेंगी और उनका निस्तारण इस प्रकार किया जायेगा मानों यह अधिनियम प्रवृत्त नहीं हुआ हो।

प्रथम अनुसूची

(धारा–4 देखिये)

भाग–''क''

परिवहन यानों से भिन्न यानों का वर्गीकरण जिनके संदर्भ में इस अनुसूची के भाग ''ख'' और ''ग'' और द्वितीय अनुसूची के भाग ''क'' और ''ख'' में दरें विहित की गयी हैं।

यानों का विवरण

प्रस्तर एक–मोटर साइकिल (जिसके अन्तर्गत स्कूटर और मोपेड भी है)

(1) वजन में 80 किलोग्राम से अनधिक लदान रहित;

(2) वजन में 80 किलोग्राम से अधिक, किन्तु 500 किलोग्राम से अनधिक लदान रहित;

प्रस्तर दो– (1) केवल व्यक्तियों और हल्का वैयक्तिक सामान ले जाने के लिये बनाये गये और उपयोग में लाये जाने वाले यान जो मोटर साइकिल न हों और जिसमें ड्राइवर को छोड़कर छः से अनधिक व्यक्तियों के बैठने का स्थान हो।

(2) इस प्रस्तर के अन्तर्गत आने वाले यानों द्वारा खीचें जाने वाले ट्रेलर।

प्रस्तर तीन–ड्राइवर को छोड़कर छः से अधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिये बनाये गये या उपयोग के लिये अपनाये गये 500 किलोग्राम से अधिक वजन वाले लदान रहित यान, जिसके अन्तर्गत मोटर साइकिलें भी हैं–

(1) (क) वजन में 2000 किलोग्राम से अनधिक लदान रहित;

(ख) वजन में 2000 किलोग्राम से अधिक किन्तु 3000 किलोग्राम से अनधिक लदान रहित;

(ग) वजन में 3000 किलोग्राम से अधिक किन्तु 4000 किलोग्राम से अनधिक लदान रहित;

(घ) वजन में 4000 किलोग्राम से अधिक किन्तु 5000 किलोग्राम से अनधिक लदान रहित;

(ङ) वजन में 5000 किलोग्राम से अधिक लदान रहित;

(2) इस प्रस्तर के अन्तर्गत आने वाले यानों द्वारा खीचें जाने वाले ट्रेलर।

भाग "ख"

धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन डीजल/पैट्रोल चालित यानों पर एक बार देय कर की दरें

एक बार देयकर की दर रुपयों में

क्र. सं.	भाग "क" के प्रवर्ग के अनुसार मोटरयान	09-11-98 को या उसके पश्चात् रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1997 में और दिनांक 1.1.98 को या उसके पश्चात् दिनांक 8.11.98 तक रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1996 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1995 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1994 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1993 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1992 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1991 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1990 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1989 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1988 में रजिस्ट्रीकृत	वर्ष 1987 में या उसके पूर्व रजिस्ट्रीकृत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	एक(1)	600.00	634.00	475.00	316.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00	158.00
2.	एक(2)	1500.00	1350.00	1200.00	1050.00	900.00	750.00	600.00	450.00	300.00	163.00	163.00	165.00
3.	दो(1)	वाहन के मूल्य का 2.5% अथवा न्यूनतम 5,600.00	4588.00	4180.00	3770.00	3361.00	2950.00	2539.00	2130.00	1720.00	1311.00	900.00	489.00
4.	दो(2)	605.00	557.00	508.00	460.00	411.00	363.00	315.00	266.00	218.00	169.00	121.00	73.00
5.	तीन(i)(a)	वाहन के मूल्य का 2.5%	5324.00	4840.00	4356.00	3872.00	3388.00	2904.00	2420.00	1936.00	1452.00	968.00	484.00
6.	तीन(i)(b)	वाहन के मूल्य का 2.5%	7560.00	6873.00	6195.00	5516.00	4840.00	4162.00	3485.00	2807.00	2130.00	1452.00	774.00
7.	तीन(i)(C)	वाहन के मूल्य का 2.5%	10430.00	9486.00	8543.00	7599.00	6655.00	5711.00	4767.00	3824.00	2880.00	1936.00	992.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.	तीन(i)(d)	वाहन के मूल्य का 2.5%	12209.00	11108.00	10007.00	8906.00	7805.00	6703.00	5602.00	4501.00	3400.00	2299.00	1198.00
9.	तीन(i)(e)	वाहन के मूल्य का 2.5% और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए 5324.00	12209.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए 4888.00	11108.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए 4453.00	10007.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए 4017.00	8906.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए 3582.00	7805.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए 3146.00	6703.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए 2710.00	5602.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए 2275.00	4501.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए 1839.00	3400.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए 1404.00	2299.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए 968.00	1198.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए 532.00
10	तीन (2)	1210.00	1113.00	1016.00	920.00	823.00	726.00	629.00	532.00	436.00	339.00	242.00	145.00

परन्तु यह कि निम्नलिखित वर्गों के स्वामियों के सिवाय पेट्रोल/डीजल से चलने वाले समस्त मोटरयानों के सम्बन्ध में कर की दरें इस भाग के प्रस्तर एक, दो और तीन के सामने विनिर्दिष्ट दरों की दुगुनी होंगी, अर्थात :—

(क) एकल व्यक्ति,

(ख) नगरपालिका परिषद्, नगर निगम, जिला पंचायत, नगर पंचायत या क्षेत्र पंचायत,

(ग) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित विश्वविद्यालय,

(घ) कोई मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था,

(ङ) कोई सार्वजनिक पूर्त न्यास,

(च) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट लोक प्रयोजनों के लिए मोटरयानों का उपयोग करने वाले किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति,

भाग "ग"

धारा 4 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन (एक बार देय कर से अभिन्न) कर की दरें

क्रम संख्या	भाग "क" के प्रस्तर के अनुसार यान	कर की वार्षिक दर (रुपये में)
1	2	3
1.	एक (1)	90.00
2.	एक (2)	150.00
3.	दो (1)	500.00
4.	दो (2)	55.00
5.	तीन (1) (क)	528.00
6.	तीन (1) (ख)	748.00
7.	तीन (1) (ग)	1034.00
8.	तीन (1) (घ)	1210.00
9.	तीन (1) (ङ)	1210.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये 484.00 रुपये
10.	तीन (2)	110.00

परन्तु यह कि निम्नलिखित वर्गों के स्वामियों के सिवाय पेट्रोल/डीजल से चलने वाले समस्त मोटरयानों के संबंध में कर की दरें इस भाग के प्रस्तर एक, दो और तीन के सामने विनिर्दिष्ट दरों की दुगुनी होंगी, अर्थात–

(क) एकल व्यक्ति,

(ख) नगरपालिका परिषद्, नगर निगम, जिला पंचायत, नगर पंचायत या क्षेत्र पंचायत,

(ग) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित विश्वविद्यालय,

(घ) कोई मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था,

(ङ) कोई सार्वजनिक पूर्त न्यास,

(च) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट लोक प्रयोजनों के लिये मोटरयानों का उपयोग करने वाले किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति

भाग ''घ''

धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन परिवहन यानों पर कर की दरें

प्रस्तर	यान का विवरण	कर की त्रैमासिक दरें
1	2	3
एक	यात्रियों के सवारी के लिए और यात्रियों के हल्के वैयक्तिक सामान को ले जाने के लिये चलने वाले यान–	
	(1) जिसमें ड्राइवर को छोड़कर तीन से अनधिक व्यक्तियों के बैठने का स्थान हो;	95.00
	(2) जिसमें ड्राइवर को छोड़कर चार व्यक्तियों के बैठने का स्थान हो	185.00
	(3) जिसमें ड्राइवर को छोड़कर चार से अधिक किन्तु छः से अनधिक व्यक्तियों के बैठने का स्थान हो;	
	(क) तीन पहियों वाले	185.00
	(ख) अन्य	230.00
	(4) जिसमें ड्राइवर को छोड़कर छः से अधिक किन्तु बारह से अनधिक व्यक्तियों के बैठने का स्थान हो;	
	(क) यदि ''क–वर्ग'' के मार्गों पर उपयोग के लिये आशयित हो	350.00
	(ख) यदि ''ख–वर्ग'' के मार्ग पर उपयोग के लिये आशयित हो	201.00
	(5) जिसमें ड्राइवर को छोड़कर बारह से अधिक किन्तु बीस से अनधिक व्यक्तियों को बैठने का स्थान हो;	
	(क) यदि ''क–वर्ग'' के मार्गों पर उपयोग के लिये आशयित हो	
	(एक) प्रथम बारह सीटों के लिये	350.00
	(दो) प्रत्येक अतिरिक्त सीट के लिये	30.00
	(ख) यदि ''ख–वर्ग'' के मार्ग पर उपयोग के लिये आशयित हो	
	(एक) प्रथम बारह सीटों के लिये	201.00
	(दो) प्रत्येक अतिरिक्त सीट के लिये	8.00
	(6) जिसमें ड्राइवर को छोड़कर बीस से अधिक किन्तु पैंतिस से अनधिक व्यक्तियों के बैठने का स्थान हो–	
	(क) यदि ''क–वर्ग'' के मार्ग पर उपयोग के लिये आशयित हो	
	(एक) प्रथम बीस सीटों के लिये	590.00
	(दो) प्रत्येक अतिरिक्त सीट के लिये	35.00

	(ख) यदि "ख–वर्ग" के मार्ग पर उपयोग के लिये आशयित हो	
	(एक) प्रथम बीस सीटों के लिये	265.00
	(दो) प्रत्येक अतिरिक्त सीट के लिये	11.50
	(7) जिसमें ड्राइवर को छोड़कर पैंतीस से अधिक व्यक्तियों के बैठने का स्थान हो–	
	(क) यदि "क–वर्ग" के मार्ग पर उपयोग के लिये आशयित हो	1115.00 और पैंतीस से अधिक प्रत्येक स्थान के लिये 45.00 रुपया
	(ख) यदि "ख–वर्ग" के मार्ग पर उपयोग के लिये आशयित हो	438.00 और पैंतीस से अधिक प्रत्येक स्थान के लिये 17.00 रुपया
	स्पष्टीकरण–इस प्रस्तर के प्रयोजन के लिये खड़े रहने की स्वीकृत क्षमता यदि कोई हो, का पचास प्रतिशत अतिरिक्त बैठने की क्षमता के रूप में गिना जाएगा।	
दो	सीमित संख्या में यात्रियों के सवारी के लिये और यात्रियों के वैयक्तिक माल के परिसिमित मात्रा का परिवहन करने के लिये भाड़े पर चलने वाले यान, यात्रियों के सीटों की प्राधिकृत संख्या के संबंध में प्रस्तर एक के अधीन देय कर के अतिरिक्त यान के (सकल यान भार) के प्रत्येक मीट्रिक टन उसके भाग के लिये (मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 2 उपधारा (13) में परिभाषित माल की स्वीकृति पंजीयन/परमिट अनुसार)	45.00
तीन	केवल माल के परिवहन के लिये चलाये जाने वाले यानों जिसके अन्तर्गत ट्रेक्टरों से संलग्न ऐसे ट्रेलर नहीं हैं जिनका उपयोग केवल कृषि प्रयोजनों के लिये किया जाता है, के (सकल यान भार) के प्रत्येक मीट्रिक टन या उनके भाग के लिये–	
	(एक) एक सम्भाग के लिये	70.00
	(दो) एक से अधिक सम्भाग के लिये	85.00
चार	ट्रेक्टर जिसके द्वारा ट्रेलर खींचा जाता है और जिसका उपयोग कृषि प्रयोजनों से भिन्न किन्हीं प्रयोजनों के लिये किया जाता है–	
	उसके द्वारा खींचे जाने वाले ट्रेलर या ट्रेलरों के संबंध में भुगतान किये गये कर के अतिरिक्त कर।	45.00

स्पष्टीकरण :-

(एक) जहां पर किसी मोटरयान का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिये या ऐसी रीति से, किया जाता है जिससे कि वह इस अनुसूची के एक से अधिक प्रस्तरों के अधीन कर योग्य हो जाय, वहां देर कर सबसे ऊंची समुचित दर पर होगी।

(दो) जहां कोई मोटरयान शयनयान से सज्जित हो, वहां प्रत्येक शयनयान को इस भाग के प्रस्तर एक और दो प्रयोजनों के लिये दो यात्री सीट के बराबर समझा जायेगा।

(तीन) किसी मोटरयान से संलग्न या उसके द्वारा खींचा जाने वाला प्रत्येक ट्रेलर जो इस भाग के प्रस्तर दो, तीन और चार में से किन्हीं के अधीन कर-योग्य हो, पृथक मोटरयान समझा जायेगा जिस पर उक्त प्रस्तर में यथा विनिर्दिष्ट समुचित कर लगेगा।

द्वितीय अनुसूची
(धारा 12 देखिये)

भाग "क"

धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन एक बार कर की वापसी की दरें

क्रम संख्या	भाग अनुसूची "क" के प्रस्तर के अनुसार यान	मोटरयान के उपयोग न किये जाने के प्रत्येक मास के लिये वापस की जाने वाली धनराशि (रुपये में)
1	2	3
1.	एक (1)	3.00
2.	एक (2)	5.00
3.	दो (1)	20.00
4.	दो (2)	2.00
5.	तीन (1) (क)	24.00
6.	तीन (1) (ख)	34.00
7.	तीन (1) (ग)	47.00
8.	तीन (1) (घ)	55.00
9.	तीन (1) (ङ)	55.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिये 22.00 रुपये
10.	तीन (2)	5.00

परन्तु यह कि ऐसे समस्त मोटरयानों जिनके संबंध में प्रथम अनुसूची के भाग "ख" के परन्तुक के अधीन दोगुनी दर पर कर का भुगतान कर दिया गया हो, के संबंध में वापसी की दरें उपर्युक्त विनिर्दिष्ट दरों की दो गुनी होगी।

भाग "ख"

धारा 12 की उपधारा (5) के अधीन एक बार कर की वापसी की दरें

क्रम सं0	प्रथम अनुसूची के खण्ड "क" के प्रस्तर के अनुसार यान	वापस की जाने वाली धनराशि (रुपये में) यदि यानों की आयु उसके मूल रजिस्ट्रीकरण के माह से एक वर्ष से अधिक न हो	एक वर्ष से अधिक किन्तु दो वर्ष से अधिक न हो	दो वर्ष से अधिक किन्तु तीन वर्ष से अधिक न हो	तीन वर्ष से अधिक किन्तु चार वर्ष से अधिक न हो	चार वर्ष से अधिक किन्तु पांच वर्ष से अधिक न हो	पांच वर्ष से अधिक किन्तु छः वर्ष से अधिक न हो	छः वर्ष से अधिक किन्तु सात वर्ष से अधिक न हो	सात वर्ष से अधिक किन्तु आठ वर्ष से अधिक न हो	आठ वर्ष से अधिक किन्तु नौ वर्ष से अधिक न हो	नौ वर्ष से अधिक किन्तु दस वर्ष से अधिक न हो	दस वर्ष से अधिक किन्तु ग्यारह वर्ष से अधिक न हो
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	एक(1)	475.00	317.00	158.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	एक(2)	1200.00	1050.00	900.00	750.00	600.00	450.00	300.00	150.00	शून्य	शून्य	शून्य
3	दो(1)	4180.00	3770.00	3361.00	2950.00	2539.00	2130.00	1720.00	1311.00	900.00	490.00	शून्य
4	दो(2)	508.00	460.00	411.00	363.00	315.00	266.00	218.00	169.00	121.00	73.00	शून्य
5	तीन(i)(क)	4840.00	4356.00	3872.00	3388.00	2904.00	2420.00	1936.00	1452.00	968.00	484.00	शून्य
6	तीन(i)(ख)	6873.00	6196.00	5518.00	4840.00	4162.00	3485.00	2807.00	2130.00	1452.00	774.00	शून्य
7	तीन(i)(ग)	9486.00	8543.00	7599.00	6655.00	5711.00	4767.00	3824.00	2880.00	1936.00	992.00	शून्य
8	तीन(i)(घ)	11108.00	10007.00	8906.00	7805.00	6703.00	5602.00	4501.00	3400.00	2299.00	1198.00	शून्य
9	तीन(i)(ङ)	11108.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए 4453.00	10007.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए 4017.00	8906.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए 3582.00	7805.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए 3146.00	6703.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए 2710.0	5602.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए 2275.00	4501.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए 1839.00	3400.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए 1404.00	2299.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए 968.00	1198.00 और 5000 किलोग्राम से अधिक प्रत्येक 1000 किलोग्राम या उसके भाग के लिए 532.00	शून्य शून्य
10	तीन(i)(2)	1016.00	920.00	823.00	726.00	629.00	532.00	436.00	339.00	242.00	145.00	शून्य

परन्तु यह कि वापसी की दरें उन समस्त यानों के सम्बन्ध में जिनके सम्बन्ध में प्रथम अनुसूची के भाग "ख" के परन्तुक के अधीन दो गुनी दर पर कर का भुगतान कर दिया गया हो, उपर्युक्त धनराशियों की दोगुनी होगी।

तृतीय अनुसूची

(धारा 5 देखिये)

माल वाहनों पर अतिरिक्त कर की दरें

(क) पर्वतीय मार्गों और मैदानी मार्गों पर संचालित माल वाहनों पर अतिरिक्त कर की दरें

प्रस्तर	संचालन क्षेत्र	प्रति तिमाही अतिरिक्त कर की दर
1	2	3
एक	पर्वतीय मार्ग	यान के प्रति मीट्रिक टन (सकल यान भार) या उसके भाग के लिये रुपये 210.00
दो	उत्तरांचल राज्य के मैदानी मार्ग	यान के प्रति मीट्रिक टन सकल यान भार या उसके भाग के लिए रुपये 85.00

परन्तु यह कि कृषि उपज, खनिज पदार्थ और पेट्रोलियम माल का अनन्य रूप से परिवहन करने वाले माल वाहनों के संबंध में देय अतिरिक्त कर की दर प्रस्तर एक और दो के सामने विनिर्दिष्ट दर की आधी होगी।

स्पष्टीकरण—

(1) जहां कोई मोटरयान इस अनुसूची के एक से अधिक प्रस्तर के अधीन कर योग्य हो, वहां अतिरिक्त कर सबसे ऊँची समुचित दर पर देय होगा।

(2) पद "पर्वतीय मार्ग" का तात्पर्य उन समस्त सड़कों से है जो पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चम्पावत, बागेश्वर, टिहरी गढ़वाल जिलों और देहरादून जिले की तहसील चकराता के भीतर पड़ते हैं, और नैनीताल, ऊधमसिंह नगर और पौड़ी गढ़वाल जिले के वे भाग जो तराई (बेस आफ दी फुट हिल्स) के उत्तर में है और पूर्व में टनकपुर से सीधे काठगोदाम, रामनगर, कोटद्वार होते हुये पश्चिम में लक्ष्मण झूला तक है और देहरादून नगर की नगरपालिका सीमा के बाहर की सभी सड़कें भी हैं जो मसूरी की ओर जाती हैं।

(ख) उत्तरांचल राज्य से भिन्न किसी अन्य राज्य द्वारा या किसी संघ राज्य क्षेत्र द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (12) के अधीन प्रदान की गई राष्ट्रीय परमिट के अधीन संचालित माल वाहनों पर प्रत्येक वर्ष या उसके किसी भाग के लिये अतिरिक्त कर 5000.00 रुपये होगा।

चतुर्थ अनुसूची

(धारा 6 देखिये)

मंजिली गाड़ी पर अतिरिक्त कर की दरें

प्रस्तर–एक

(क) प्रत्येक सीट पर अतिरिक्त कर की दरें :–

क्रम संख्या	एक तिमाही में तय की गयी दूरी (किमी0 में)	तिमाही अतिरिक्त कर की धनराशि (समस्त प्रकार के वर्गीकृत मार्गों की श्रेणी के लिए)
1	2	3
1.	4500 किमी तक	मैदानी मार्गों पर संचालन हेतु रुपये–154.00 प्रति सीट पर्वतीय मार्गों पर संचालन हेतु रुपये–146.00 प्रति सीट
2.	4500 किमी0 से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त किमी0 पर	रुपये–0.04 प्रति सीट प्रति किमी0 जो उपरोक्त (1) में जोड़ा जाएगा।

परन्तु यह कि नगर निगम या नगरपालिका की सीमा के भीतर संचालित मंजिली गाड़ी पर अतिरिक्त कर 4620.00 रुपये प्रति तिमाही ऐसी मंजिली गाड़ी के सम्बन्ध में जिसमें 35 सीट से अधिक सीट नहीं हैं और 66,00.00 रुपये प्रति तिमाही ऐसी मंजिली गाड़ी के सम्बन्ध में जिसमें 35 से अधिक सीट हैं, होगा।

(ख) विशेष अवसरों पर जैसे मेला और धार्मिक सभाओं में यात्रियों को वहां ले जाने और वहां से लाने और बारात, पर्यटक पार्टियां या ऐसी अन्य आरक्षित पार्टियों की सवारी के लिये, जारी किये गये अस्थाई परमिट के अन्तर्गत आने वाली मंजिली गाड़ी पर अतिरिक्त कर की दर–

एक– ऐसे यानों के लिये जिनमें ड्राइवर और कन्डक्टर को छोड़कर 42 व्यक्तियों से अधिक के बैठने का स्थान न हो।	उतने दिनों के लिये जितने दिन के लिए अस्थाई परमिट जारी किए जाए, प्रस्तर–एक के खण्ड (क) के अधीन देय कर के अतिरिक्त रुपये–200.00 प्रतिदिन।
दो– ऐसे यानों के लिये जिनमें ड्राइवर और कन्डक्टर को छोडकर 42 व्यक्तियों से अधिक के बैठने का स्थान हो।	उतने दिनों के लिये जितने दिन के लिए अस्थाई परमिट जारी किए जाए, प्रस्तर–एक के खण्ड (क) के अधीन देय कर के अतिरिक्त रुपये–225.00 प्रतिदिन।

परन्तु यह कि एक्सप्रेस, सेमीडीलक्स, डीलक्स और वातानुकूलित मंजिली गाड़ी पर अतिरिक्त कर की दरें निम्नलिखित होगी–

(एक) एक्सप्रेस प्रस्तर–एक के, यथास्थिति, खण्ड–(क) या खण्ड (ख) के अधीन देय करों से पांच प्रतिशत अधिक।

(दो) सेमी डीलक्स प्रस्तर–एक के, यथास्थिति, खण्ड–(क) या खण्ड (ख) के अधीन देय करों से आठ प्रतिशत अधिक।

(तीन) डीलक्स प्रस्तर–एक के, यथास्थिति, खण्ड–(क) या खण्ड (ख) के अधीन देय करों से बीस प्रतिशत अधिक।

(चार) वातानुकूलित प्रस्तर–एक के, यथास्थिति, खण्ड–(क) या खण्ड (ख) के अधीन देय करों से पचास प्रतिशत अधिक।

परन्तु यह और कि खण्ड (ख) के अन्तर्गत अतिरिक्त कर की गणना के लिये उतने दिनों की गणना नहीं की जाएगी जितने दिनों तक अस्थाई परमिट के अन्तर्गत आने वाली मंजिली गाड़ियां उत्तरांचल के बाहर संचालित की गयी हों।

प्रस्तर–दो

(क) उत्तरांचल प्रदेश के भीतर अधिकारिता रखने वाले प्राधिकरणों द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा, 74, 87 व 88 की धारा, 9 के अधीन जारी सभी प्रकार के ठेका परमिटों के अन्तर्गत जिनके पास किसी मार्ग के अस्थाई/स्थाई मंजिली वाहन का परमिट न हो।

उपखण्ड	वाहन का प्रकार	अतिरिक्त कर की दरें (प्रति सीट प्रति माह)
1	2	3
एक	चालक को छोड़कर 3 व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों के बैठने वाली मोटर टैक्सी	रुपये–30.00
एक–क	चालक को छोड़कर 3 व्यक्तियों से अधिक किन्तु 6 व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों के बैठने वाली तिपहिया मोटर टैक्सी	रुपये–30.00
एक–ख	उपखण्ड–एक और एक–क में विनिर्दिष्ट से भिन्न मोटर टैक्सी	रुपये–85.00
दो	बड़ी टैक्सी	रुपये–125.00
तीन	चालक और कन्डक्टर को छोड़कर 12 व्यक्तियों से अधिक किन्तु 20 व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों के बैठने वाली गाड़ियों के लिये	रुपये–160.00
चार	चालक और कन्डक्टर को छोड़कर 20 व्यक्तियों से अधिक किन्तु 41 व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों के बैठने वाली गाड़ियों के लिये	रुपये–160.00

1	2	3
पांच	चालक और कन्डक्टर को छोड़कर 42 व्यक्तियों या उससे अधिक के बैठने वाले यानों के लिए	रुपये–160.00
छः	सेमी डीलक्स बस के लिये	रुपये–200.00
सात	डीलक्स बस के लिये	रुपये–225.00
आठ	वातानुकूलित बस के लिये	रुपये–255.00

(ख) उत्तरांचल की अधिकारिता रखने वाले प्राधिकरणों से भिन्न अन्य प्राधिकरणों द्वारा मोटर मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (9) के अधीन जारी किये गये परमिट के अन्तर्गत ठेका गाड़ी के संबंध में :–

		तिमाही अतिरिक्त कर की दरें (रुपये में)
(एक)	मोटर कैब (टैक्सी)	900.00
(दो)	मैक्सी कैब	5100.00
(तीन)	ओमनी बस	15000.00

(42 सीट तक डीलक्स, वातानुकूलित का सम्मिलित करते हुये)

स्पष्टीकरण–(1) इस अनुसूची के अधीन किसी मंजिली गाड़ी पर देय कुल तिमाही कर उपर्युक्त प्रस्तर (एक), में दिये गये दरों की उतनी गुनी होगी जितनी मोटर–यान अधिनियम, 1988 के सुसंगत उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात सीटों की अधिकतम संख्या है। इस प्रयोजन के लिये किसी मंजिली गाड़ी के खड़े रहने की स्वीकृत क्षमता यदि कोई हो, के पचास प्रतिशत स्थान को अतिरिक्त बैठने की क्षमता माना जायेगा और किसी सीट के भाग की गणना एक सीट के रूप में की जायेगी।

(2) इस अनुसूची के प्रस्तर (एक) के उपप्रस्तर (क) के अधीन किसी मंजिली गाड़ी की एक तिमाही में तय की गई दूरी उतनी होगी जितनी एक तरफ के फेरों की ऐसी संख्या को जैसी परमिट की शर्तों के अधीन अनुज्ञा दी जाये ऐसे एक फेरे में अन्तर्ग्रस्त कुल किलोमीटर से गुणा करने पर प्राप्त हो।

(3) ऐसे समय तक जब तक कि यथास्थिति राज्य परिवहन प्राधिकारी या सम्भागीय परिवहन प्राधिकारी द्वारा सारणी समय मापनों और फेरों का निर्धारण नहीं कर दिया जाता है कोई संचालक इस अधिनियम के प्रवर्तन के पूर्व यान द्वारा संचालित फेरों के आधार पर प्राप्त तिमाही तय की गई दूरी पर अतिरिक्त कर का भुगतान करेगा।

(4) एक्सप्रेस मंजिली गाड़ी का तात्पर्य ऐसी मंजिली गाड़ी से है जो–

(क) ऐसे मार्ग पर संचालित हो उसकी लम्बाई 200 किलोमीटर से कम न हो और जो केवल जिला और तहसील मुख्यालय पर रुकती हो।

(ख) निम्नलिखित विनिर्दिष्टयों के अनुरूप हो–

(एक) प्रत्येक यात्री सीट–

(1) प्रत्येक सीट के सामने की ओर रेखा के साथ–साथ और समकोण बनाती हुई कम से कम 40 × 38.5 सेंटीमीटर माप की होनी चाहिए;

(2) कुशन 9 सेंटीमीटर मोटी होनी चाहिए;

(3) 2.5 सेंटीमीटर मोटे कुशन की 56 सेंटीमीटर ऊंची बैक रैस्ट वाली जिसमें 40 / 15.24 × 23 सेंटीमीटर सिरहाना होना चाहिए और जिस पर टेरीकाट रैक्सीन के कवर हों।

(दो) बैठने की व्यवस्था–सीटों का अभिन्यास इस प्रकार होना चाहिए कि एक ओर तीन सीटें तथा दूसरी ओर दो सीटें इस प्रकार लगी हों कि सभी सीटों का मुख सामने की ओर हो तथा दो सीटों के पार्श्व के मध्य कम से कम 66.2 सेंटीमीटर दूरी के साथ–साथ पैर रखने के लिए 28 सेंटीमीटर स्थान की व्यवस्था हो।

(तीन) खिड़कियां–केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 100 में दी गई विनिर्दिष्टियों के अनुरुप 113 सेंटीमीटर चौड़ी जिसमें सुरक्षा शीशे लगे हुए हों।

(चार) ड्राइवर केबिन–ड्राइवर का केबिन आधा विभाजित होना चाहिए।

(पांच) श्रवण प्रणाली और आंतरिक प्रतिदीप्ति शील ट्यूब प्रकाश की सुविधायें होनी चाहिए।

(5) "सेमी डीलक्स मंजिली गाड़ी" का तात्पर्य ऐसी मंजिली गाड़ी से है जो निम्नलिखित विशिष्टियों के अनुरुप हो–

(एक) प्रत्येक यात्री सीट–

(1) प्रत्येक सीट के सामने की ओर रेखा के साथ–साथ और समकोण बनाती हुई कम से कम 40 × 40 सेंटीमीटर माप की होनी चाहिए;

(2) कुशन 9 सेंटीमीटर मोटी होनी चाहिए;

(3) 5 सेंटीमीटर मोटे फोम के कुशन की रैक्सीन कवर के साथ 61 सेंटीमीटर ऊंची बैक रैस्ट वाली जिसमें 40 / 17.78 × 26.67 सेंटीमीटर सिरहाना होना चाहिए ।

(दो) बैठने की व्यवस्था–सीटों का अभिन्यास इस प्रकार होना चाहिए कि एक ओर तीन सीटें तथा दूसरी ओर दो सीटें इस प्रकार लगी हों कि सभी सीटों का मुख सामने की ओर हो तथा दो सीटों के पार्श्व के मध्य कम से कम 71.2 सेंटीमीटर दूरी के साथ–साथ पैर रखने के लिए 30 सेंटीमीटर स्थान की व्यवस्था हो।

(तीन) खिड़कियां–केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 100 में दी गई विनिर्दिष्टियों के अनुरुप 142.5 सेंटीमीटर चौड़ी जिसमें सुरक्षा शीशे लगे हुए हों।

(चार) ड्राइवर केबिन–ड्राइवर का केबिन आधा विभाजित होना चाहिए, और

(पांच) श्रवण प्रणाली और आंतरिक प्रतिदीप्ति शील ट्यूब प्रकाश की सुविधायें होनी चाहिए।

(6) "डीलक्स मंजिली गाड़ी" या "डीलक्स बस" का तात्पर्य ऐसी मंजिली गाड़ी से है जो निम्नलिखित विनिर्दिष्टियों के अनुरुप हो–

(एक) प्रत्येक यात्री सीट—

(1) प्रत्येक सीट के सामने की ओर रेखा के साथ–साथ और समकोण बनाती हुई कम से कम 45.8 × 45.8 सेंटीमीटर माप की होनी चाहिए;

(2) कुशन 10 सेंटीमीटर मोटी होनी चाहिए;

(3) 5 सेंटीमीटर मोटे की कुशन फोम रैक्सीन या टैपेस्ट्री कवर के साथ 71.2 सेंटीमीटर ऊंची बैक रैस्ट वाली जिसमें 40/17.78 × 26.67 सेंटीमीटर सिरहाना होना चाहिए।

(दो) बैठने की व्यवस्था–सीटों का अभिन्यास इस प्रकार होना चाहिए कि एक ओर तीन सीटें तथा दूसरी ओर दो सीटें इस प्रकार लगी हों कि सभी सीटों का मुख सामने की ओर हो तथा दो सीटों के पार्श्व के मध्य कम से कम 71.2 सेंटीमीटर दूरी के साथ–साथ पैर रखने के लिए 38 सेंटीमीटर स्थान की व्यवस्था हो।

(तीन) खिड़कियां–भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिये गये मानकों के अनुसार 142.5 सेंटीमीटर चौड़ी जिसमें फिल्मयुक्त सुरक्षा शीशे लगे हों।

(चार) ड्राइवर केबिन–ड्राइवर का केबिन आधा विभाजित होना चाहिए, और

(पांच) वीडियो प्रणाली और आंतरिक प्रतिदीप्ति शील ट्यूब प्रकाश की सुविधायें होनी चाहिए।

(7) इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए ड्राइवर और कन्डक्टर की सीट को सीट में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(8) जहां कोई मोटरयान इस अनुसूची के एक से अधिक प्रस्तरों के अधीन कर योग्य हो वहां देय अतिरिक्त कर सबसे ऊंची समुचित दर पर होगा।

(9) पर्वतीय क्षेत्र का तात्पर्य निम्नलिखित से है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी होंगे–

(क) पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चम्पावत, बागेश्वर, चमोली और टिहरी गढ़वाल के जिले;

(ख) जिला देहरादून की तहसील चकराता;

(ग) नैनीताल, ऊधमसिंह नगर और पौड़ी गढ़वाल जिले के वे भाग जो तराई (बेस आफ द फुट हिल्स) के उत्तर में हैं और पूर्व में टनकपुर से सीधे काठगोदाम, रामनगर, कोटद्वार होते हुए पश्चिम में लक्ष्मणझूला तक हैं; और

(घ) देहरादून की नगरपालिका सीमा के बाहर मसूरी की ओर पड़ने वाला क्षेत्र।

(10)–(अ) इस अनुसूची में "नगर निगम" और "नगरपालिका" का क्रमशः वही तात्पर्य होगा जो पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (यथा उत्तरांचल में लागू) और उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (यथा उत्तरांचल में लागू) में उनके लिये दिया गया है।

(अ) जो यात्री वाहन राज्य सीमा के भीतर औद्योगिक संस्थान/शिक्षण संस्थान के अन्तर्गत, अनुबंध के आधार पर संचालित होगी वे 35 सीट तक 4620/– रुपये प्रति त्रैमास तथा उससे अधिक सीट की वाहन पर 6600/– रुपये प्रति त्रैमास अतिरिक्त कर देय होगा। (सीटों की संख्या चालक सहित) यह वाहन संस्थान के स्टाफ व शिक्षा हेतु स्कूली बच्चों को लाने ले जाने हेतु यथा परमिट सीमा के भीतर प्रयुक्त हो सकेंगी।

पांचवीं अनुसूची

(धारा 6 देखिये)

धारा 6 के अधीन राज्य सड़क परिवहन उपक्रम द्वारा देय अतिरिक्त कर का फार्मूला–

$$\frac{छ \times 21}{121}$$

इस अनुसूची में "छ" का तात्पर्य किसी कलेण्डर मास के दौरान राज्य सड़क परिवहन उपक्रम द्वारा उत्तरांचल राज्य की सीमा के अन्तर्गत यात्री यातायात पर उपक्रम की सकल प्राप्तियों से है।

छठी अनुसूची

(धारा 10 देखिये)

उत्तरांचल से भिन्न प्राधिकरणों द्वारा जारी किये गये माल वाहन एवं ठेका यान के अस्थाई परमिटों की वाहनों पर धारा 10 के अधीन देय अतिरिक्त कर की दरें–

एक–माल वाहन

अस्थाई परमिट के अधीन उत्तरांचल में माल वाहन के संचालन के दिनों की संख्या के लिए–

1–हल्की माल वाहन	प्रतिदिन 50.00 रुपये।
2–मध्यम माल वाहन	प्रतिदिन 75.00 रुपये।
3–भारी माल वाहन	प्रतिदिन 100.00 रुपये।

दो–लोक सेवा यान (ठेका वाहन केवल)

ऐसी प्रत्येक वाहन के चालक सीट को छोड़कर प्रत्येक सीट प्रतिदिन परमिट अनुसार संचालन के लिये अतिरिक्त कर की दर–

(1) साधारण/सेमी डीलक्स श्रेणी की ठेका वाहन	रुपये–30.00 प्रति सीट प्रतिदिन
(2) डीलक्स बस	रुपये–40.00 प्रति सीट प्रतिदिन
(3) वातानुकूलित वाहन	रुपये–45.00 प्रति सीट प्रतिदिन

स्पष्टीकरणः–इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिये "डीलक्स बस" का वही तात्पर्य होगा जो चौथी अनुसूची के स्पष्टीकरण 6 में इसके लिये दिया गया है।

भुगतान किये गये अतिरिक्त कर की अधिक धनराशि का समायोजन–

(क) किसी यान के सम्बन्ध में, मूल अधिनियम के अधीन भुगतान किये गये अतिरिक्त कर की धनराशि जो इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर देय अतिरिक्त कर से अधिक होगी, वह यथास्थिति, अगली तिमाही या माह के लिए उस यान के सम्बन्ध में देय अतिरिक्त कर के प्रति समायोज्य होगी।

(ख) कर व अतिरिक्त कर का लेखा शीर्षक समान है, अतः समान वाहन स्वामी के आवेदन पर एक ही वाहन के कर व अतिरिक्त कर का यथा आवश्यकतानुसार समायोजन किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से खण्ड 30 तक, अनुसूची 1 से 6, खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार विधेयक, 2003 पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल मोटरयान कराधान सुधार विधेयक, 2003 पारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमागत)

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री भगत सिंह कोश्यारी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

सभी संशोधन प्रस्तुत माने जायें।

*नेता प्रतिपक्ष (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

माननीय अध्यक्ष जी महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर आपने विचार रखने और इसके अननुमोदन के लिए मेरे जो सुझाव और प्रस्ताव हैं, उन पर विचार करने के लिए आपने अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जब अपना अभिभाषण प्रस्तुत कर रहे थे तो मुझे यह विश्वास था कि राज्यपाल जी के अभिभाषण में जो पिछली बार इसी सरकार के वर्ष के प्रथम अधिवेशन में जो तत्कालीन महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण था, उस अभिभाषण पर भी सरकार ने ध्यान दिया होगा और उस अभिभाषण में जो–जो बातें कही गयीं, जो–जो वायदे किए गए, चूंकि यह राज्यपाल का अभिभाषण यह सरकार का एक नीति निर्देशक इस प्रकार का आलेख होता है। और मुझे लग रहा था कि निश्चित रूप से पिछली बार

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के अभिभाषण की बातों का परिपालन तो इसमें दिखाया ही जाएगा। मैंने जब पिछले अभिभाषण पर दृष्टि डाली तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार ने शायद अतीत को भूल जाने की और उसे विस्तृत करने की पूरी कोशिश की है।

मान्यवर, हमें लगता है कि ये लोग अपने अतीत को भूल गए हैं और उसको विस्मरण करने की पूरी कोशिश की है। पिछले वर्ष के राज्यपाल अभिभाषण में सरकार ने बहुत चीजों पर अनेक मुद्दों पर कहा कि हम तो यह सब तीन महीने में कर देंगे। वह चाहे स्वास्थ्य नीति हो, चाहे परिवहन निगम बनाने की बात हो, चाहे वह बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो। सारी जो नीतियां हैं उनके बारे में समय का बड़ा निश्चित रूप से उल्लेख किया गया है लेकिन जो पिछले चुनाव लड़े थे उसमें भी यह बड़ा अहम विषय था कि हम जो विकल्पधारी जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनको हम 40 दिन के अंदर और 24 घण्टे के अंदर बाहर भेजेंगे। उसकी हम यहां पर चर्चा नहीं करते लेकिन मान्यवर, मैं आपके ज्ञान में लाना चाहता हूं कि पिछले वर्ष महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ा गया तो उसमें बड़े भरोसे के साथ कहा गया कि हम उनका समाधान निकालेंगे और आज 13 महीने बीत गए। अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। परिसम्पत्तियों के बारे में हो या परिवहन निगम बनाने के बारे में। माननीय परिवहन मंत्री ही बड़े जोर शोर से बोल रहे थे जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ी भारी विजय पा ली हो। लेकिन आज स्थिति यह है कि अभी तक परिवहन निगम का गठन तक नहीं हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे कि उत्तर प्रदेश का जब बंटवारा हुआ था तो 5% के हिसाब से सारी अर्थ की जिम्मेदारी हमारी है। अगर अखबार की खबर को सही माने तो उस हिसाब से हमारी जो जिम्मेदारियां होंगी या देनदारियां होंगी वह 13.5% की होंगी। यह हमारे ऊपर बहुत बड़ी लायबेलिटी है। यह कैसे हो गया। आपने परिसम्पत्तियों को हल करने की बात की थी। इसमें भी कुछ छोटी समस्याएं हल हो सकती है लेकिन अभी भी तराई बीज विकास निगम या फिर परिवहन निगम जिससे उत्तरांचल को घाटा हो रहा है के बारे में कुछ नहीं किया गया है।

मान्यवर, हमारे जमाने में सिंचाई विभाग का लगभग सारा मामला हल हो गया था अगर 10 दिन बाद चुनाव हुए होते। लेकिन आज सिंचाई विभाग की सारी समस्याएं ज्यों की त्यों हैं। लेकिन आपने यह प्रयास भी नहीं किया कि विपक्ष के लोगों से परामर्श लें। अगर नहीं लेना चाहते तो उत्तरांचल में बहुत योग्य व्यक्ति हैं। रिटायर्ड लोग हैं जो इस बारे में अच्छी नॉलेज रखते हैं अच्छे-अच्छे राजनेता हैं उनसे परामर्श ले सकते हैं। लेकिन इन्होंने इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं है और न आपके मंत्रियों ने विपक्ष से परामर्श लेने की बात कही। हम जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यक्तित्व बहुत बड़ा है लेकिन वे अकेले क्या-क्या कर सकते हैं। वो तो बेचारे अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कभी माननीय अटल जी से मिलते हैं तो कभी वित्तमंत्री केन्द्र सरकार से भेंट करते हैं।

मान्यवर, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं गलती से शासन आ गया तो उस कारण से लोग अपनी गाड़ी चला रहे हैं। मान्यवर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के विकल्पधारी कार्मिकों को उत्तर प्रदेश भेजने की बात कही गई थी। 78 अध्यापकों को इन्होंने पिछले साल कार्यमुक्त कर दिया लेकिन, कहीं पर भी यह ध्यान नहीं रखा गया कि इसका परिणाम क्या होगा? अखबारों में छपवा दिया

गया कि 78 अध्यापकों को हमने उत्तर प्रदेश के लिए कार्यमुक्त कर दिया है। इसके एक साल बाद उन्हीं लोगों को पुनः उत्तरांचल में ज्वाईन कराया गया और बिना पढ़ाये इन अध्यापकों को एक वर्ष का वेतन भी देना पड़ा। (व्यवधान)

*शिक्षा मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)–

मान्यवर, हमारा यह भी निवेदन था कि आप इसमें हमारी मदद करें।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, 78 लोगों को आपने साल भर खाली रखा और बाद में उन्हें ज्वाईन कराया। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री एन0डी0 तिवारी जैसा व्यक्ति हो, उस प्रदेश का यह अभिभाषण दिखता नहीं। इन 78 लोगों की जिम्मेदारी किसकी है, किसके आदेश पर इन्हें कार्यमुक्त किया गया था, क्या उससे इनके साल भर के वेतन की कटौती की जायेगी।

मान्यवर, प्रदेश सरकार ने चाहे परिसम्पत्तियों का मामला हो या विकल्पधारियों को उत्तर प्रदेश भेजने का मामला हो। किसी भी मुद्दे पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया ही नहीं। ये विचार कहां से करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि इनको पता ही नहीं कि उत्तरांचल क्यों बना है। उत्तरांचल इसलिए बना क्योंकि उत्तर प्रदेश में रहते हुए हमारा विकास नहीं हो पा रहा था, हमारे नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पा रहा था, उत्तर प्रदेश में रहते हुए हमको लगता था कि बहुत दूर–दूर से लोग नौकरी करने आ रहे हैं और उनका मन नहीं लगता है। हम यह उम्मीद करते थे कि उत्तरांचल बनने पर भ्रष्टाचार नहीं होगा, विकास के काम जल्दी होंगे परन्तु, अगर आप विकास के आंकड़े देखें। कुमाऊँ में एक कहावत है कि "निर्बुद्धि राजा की काथै–काथ" विकास के मामले में सत्ता पक्ष के लोग पुतले फूंकते हैं कि हमको सहायता नहीं मिल रही है।

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि केन्द्र सरकार ने आपको सड़कों के लिए पैसा दिया था 60 करोड़ रुपये पिछले साल आया था और 137 करोड़ रुपया इस साल आया है।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैं आंकड़े सही बता दूँ 2 साल पहले 60 करोड़ आया था और अब 70 करोड़ आया है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मैं अपनी बात पूरी कर दूँ तो फिर माननीय मंत्री जी जवाब दें तो अच्छा होगा। इसमें जो 70 करोड़ रुपया है वह किस्त के रूप में आया है और पूर्व सरकार द्वारा इसमें 14–15 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया। मान्यवर, जो मंत्री जी ने बताये वे सरकारी आंकड़े हैं। अगर ये गलत हैं तो इनके अधिकारी झूठ बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हैं। परन्तु जो आधिकारिक रिपोर्ट है उसके अनुसार 70 करोड़ रुपये के अगेंस्ट 7 करोड़ रुपया भी खर्च नहीं किया गया है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कुछ दिनों पूर्व माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार नैनीताल आये थे और उन्होंने 5,000 आवासों की योजना दी थी लेकिन 5,000 आवासों में से मात्र 1,800 आवास बनाये गये हैं बाकी के 3,000 आवास कब बनाये जायेंगे?

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, प्रधानमंत्री जी द्वारा एक और योजना चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री सड़क योजना जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि पहाड़ों में 250 की आबादी तथा मैदानी क्षेत्रों में 500 की आबादी वाले क्षेत्रों में पक्की सड़क वर्ष 2007 तक अवश्यमेव पहुंचा दी जायेगी। यह जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है 60,000 करोड़ रुपये की उसके जरिये हर गांव को सड़क से जोड़ने की योजना प्रधानमंत्री जी द्वारा दी जा रही है परन्तु खेद की बात है कि हमारे प्रदेश में इस पैसे का भी यूटीलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। इस योजना में न तो कच्ची सड़क का प्रावधान है न एन0बी0आर0 का, सीधे पक्की सड़क दी जा रही है। और जब हम उसका पालन ही नहीं करेंगे तो वह पैसा वापस चला जायेगा और आगे आने वाले समय में उसमें कटौती कर दी जायेगी। तब तक तो आपकी सरकार का कार्यकाल समाप्त हो जायेगा, एक वर्ष तो हो ही चुका है। लेकिन आपकी सरकार को और हमको भी उत्तरांचल की जनता माफ नहीं करेगी। उत्तरांचल में कहीं पर सड़क नहीं बन रही है विकास कार्य नहीं हो रहे हैं।

माननीय मंत्री जी लोग पता नही कहां रहते हैं मैं जब कभी विधानसभा में आता हूँ तो लगता है कि यहां कोई है ही नहीं और क्षेत्रों में विकास कार्य भी नहीं करा रहे हैं तो फिर उत्तरांचल में हो क्या रहा है। अभी अगस्त माह में मैं क्षेत्रों में गया था तो मैंने जब वहां जनपदों में विकास खण्डों में मीटिंग लेने लगा तो सारे विकास कार्य मात्र कागजों में ही हो रहे हैं यही पता चला। और देखा गया कि विकास कार्यों के लिए केन्द्र से पैसा ही रिलीज नहीं हुआ था।

मान्यवर, जब मैंने बैठकें कीं, अखबारों में छपवाया, तब जाकर सितम्बर माह में केन्द्र से रिलीज हुआ है। उसके बाद भी आज की स्थिति यह है कि केन्द्र से जो पैसा आया था, उसमें आधे से कम खाद्यान्न प्रदेश में बांटा गया है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि इस सरकार में विकास के कार्य बिल्कुल ठप्प हैं। सारे मंत्रीगण सिर्फ दौरों पर ही ध्यान दे रहे हैं। इस प्रकार वह या तो यात्रा भत्ता प्राप्त कर रहे हैं या उनके बीच आपसी अन्तरद्वन्द चल रहा है। माननीय मंत्रियों के बयान इस प्रकार के आते हैं कि उससे सारे अधिकारियों तथा प्रदेश की जनता में यह संदेश जा रहा है कि हमारे माननीय मंत्रीगण आपस में ही लड़ते रहते हैं। मैंने कई बार माननीय मंत्रियों से कहा कि इस प्रकार न लड़ो, कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमा का तो लिहाज करो। जब 13–13 माननीय विधायक लिख कर दे देते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का यही कहना होता है–"मैं मायके चली जाऊंगी" या "अस्पताल में भर्ती हो जाऊंगा।" (हंसी) मान्यवर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जीवन बहुत कीमती है इसलिए मैं उनसे कहता हूँ कि आप पहले स्वास्थ्य लाभ करा लें।

मान्यवर, आपने अपने पिछले अभिभाषण में भी इस बात का जिक्र किया था कि हम इस प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश बनाएंगे, हमारा भी यही लक्ष्य था। इसीलिए जब माननीय तिवारी जी मुख्यमंत्री बन कर यहां पर आए तो मैंने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उनसे निवेदन किया था कि आप बिजली विभाग अपने पास रखें और मुझे इस बात का गर्व है कि उन्होंने मेरी बात का सम्मान किया। मुझे इस बात की खुशी है कि आपने एन0टी0पी0सी0 से दो बड़ी परियोजनाओं के लिए समझौता किया। मान्यवर, हम लोग मनेरी भाली योजना शुरू करना चाहते थे, लेकिन किसी कारण से नहीं कर पाए। इसके लिए आपने पावर कॉरपोरेशन फाइनेंस लिमिटेड से 800 करोड़ रुपये रिलीज करा

लिया लेकिन आज 6 महीने बाद भी कार्य शुरू नहीं हो सका है। इन 6 महीनों का ब्याज कितना अधिक बढ़ गया होगा। इस प्रकार आप इस प्रदेश को पावर स्टेट कैसे बना पाएंगे। यह देरी इसलिए हुई क्योंकि दो विभाग आपस में लड़ रहे थे। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि अब डंडा चलाए बिना काम नहीं चलेगा। मान्यवर, आज ऐसा लग रहा है कि हमारे प्रदेश में शासन नाम की कोई चीज ही नहीं है। मान्यवर, हमारे गांवों में जो छोटे-छोटे घराट हैं, उनके लिए 1-1 लाख रुपये अनुदान देने की बात हमने की थी, इन घराटों से जो बिजली पैदा होती, उससे गांवों को बिजली की दिक्कत न रह जाती। लेकिन वर्तमान सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। मान्यवर, हाइडिल की 7 योजनाओं को हमने केन्द्र को भेज दिया था लेकिन बाकी बची 7 योजनाओं को शुरू करने के लिए इस सरकार द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया।

मान्यवर, हमने कोशिश की कि एक मेगावाट से लेकर के 25 मेगावाट की योजना जो उत्तर प्रदेश से 6 वर्षों से लम्बित पड़ी थी, हमारे यहां पर आयोग नहीं था उसके बावजूद भी हमने हिमाचल की पॉलिसी को लागू किया। नई सरकार ने बिजली की पॉलिसी बना दी। एक-एक इन्टरप्रेनर के लिए एक मेगावाट बिजली पैदा करना चाहते हैं तो वह पांच लाख हमको देगा, 25 मेगावाट बिजली पैदा करना चाहता है तो एक करोड़ पच्चीस लाख हमको देगा, तब उसे अनुमति देगा। मान्यवर, इस तरह से यहाँ पर कोई प्राइवेट व्यवसायी नहीं आयेगा। यह हालत हमारे बिजली डिपार्टमेन्ट की है। अभी राज्यपाल अभिभाषण में कहा गया कि 800 गांवों का विद्युतीकरण करेंगे। 2002-2003 के लिए 589 गांवों का विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया था, अगर यह कह दें कि 2002-2003 में एक भी गांव को बिजली दी है तो मैं अपना भाषण यहीं पर समाप्त कर दूँगा। पैसे की कमी नहीं है, ए0पी0, डी0पी0 का पैसा मंजूर हुआ है उसका कहीं उपयोग नहीं हो पा रहा है। मैं जिस भी गाँव में जाता हूँ वहाँ के लोग कहते हैं कि वहाँ तार ही नहीं है। इसकी यहाँ किसी को चिन्ता ही नहीं है, पिछला लक्ष्य आपने पूरा नहीं किया है। आप 2007 तक पूरे गाँवों को बिजली देना चाहते हैं। अगर ऊर्जा विभाग ठीक से काम करे तो उन गांवों को 2005 तक बिजली दी जा सकती है। यह क्यों नहीं हो रहा है, यहां पर किसी को चिन्ता ही नहीं है।

मान्यवर, राज्यपाल जी का यह कैसा अभिभाषण मंत्री लोग अपने पुत्रों व पत्नियों के साथ घूम रहे हैं हाउस से उनको कोई मतलब नहीं। कुंवारा मंत्री कह रहा है कि मैं क्षेत्र में जाऊंगा ही नहीं ऐसे विकास कैसे होगा। मान्यवर, आपने टिहरी की बात कही यह बिजली का मामला है इसलिए इस पर मैं समय अधिक ले रहा हूँ बिजली उत्तरांचल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। मान्यवर, इस मार्च में टिहरी से बिजली पैदा होने वाली थी किन्तु ऐसा नहीं हुआ अब तो ऐसा लगता है कि अभिभाषण में हमें अप्रैल फूल बनाया गया है अच्छा होता इसे आप अप्रैल में रखते।

मान्यवर, आप तो जानते हैं कि जब उत्तरांचल का गठन हुआ उस समय कितनी समस्या थी फिर भी हमने जमीन की व्यवस्था की और भी बहुत सारे काम वहाँ पर उस वक्त हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी जब नैनीताल आए थे तो हमने उनसे टिहरी के लिए 2 लाख की जगह 5 लाख की मांग की थी उन्होंने हमारी बात मान ली थी वे उत्तरांचल के प्रति बहुत संवेदनशील हैं किन्तु सरकार बिजली व्यवस्था के लिए गम्भीर नहीं है आप अब भी जब कि अब हमारी सरकार नहीं है फिर भी यदि आप प्रधानमंत्री जी से राज्य के

लिए, विकास के लिए कुछ भी कहेंगे वे उसे सुनेंगे। अगर आज टिहरी से बिजली का उत्पादन प्रारम्भ हो जाता तो एक साल के अन्दर 100 करोड़ रुपये मिलता दो साल के अन्दर जब दूसरा हिस्सा पूरा हो जाता तो 100 करोड़ रुपये और मिलता लेकिन इस पर गम्भीरता से नहीं सोचा गया। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में एक कविता अन्त में पढ़ दी जाती है इससे इस राज्य को ऊर्जा प्रदेश नहीं बनाया जा सकता। हमें प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश बनाने के लिए गम्भीरता से सोचना होगा।

अब मैं दूसरी बात रोजगार की करता हूँ। मान्यवर, जब हमारी सरकार थी तो हमने राज्य में जितने लोगों को रोजगार दिया उतना आपकी सरकार ने अभी तक नहीं दिया है इसका आप तुलनात्मक अध्ययन कर लें आप कहेंगे पुलिस विभाग में नियुक्तियाँ की तो मैं कहना चाहूंगा उस पर भी मेरे हस्ताक्षर थे पी0सी0एस0 के पदों के लिए भी मेरे हस्ताक्षर थे, लेकिन आज क्या हो रहा है।

मान्यवर, अभी तक पी0सी0एस0 परीक्षा नहीं हुई है, जबकि दो साल होने को है। मान्यवर, यदि सरकार कोई समय सीमा निर्धारित करती है, तो परीक्षा समय पर हो सकती है। पिछली बार के राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सरकार ने दो (200000) लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। मान्यवर, अबकी बार सरकार ने बड़ी चालाकी के साथ दो लाख के स्थान पर सर्वाधिक रोजगार एवं आय के श्रोतों का सृजन की बात कही है। मान्यवर, मैं समझता हूँ उत्तरांचल की जनता भोली-भाली तो है, लेकिन बेवकूफ नहीं। जब हमने शिक्षक मित्र तथा शिक्षक बन्धु रखे थे तो उस पर बहुत ही हल्ला मचा था।

मान्यवर, मेरी सरकार ने प्रदेश के युवाओं से स्पष्ट कह दिया था, हम इतनी बड़ी तादाद में नियमित नियुक्ति नहीं दे सकते हैं। इस सरकार ने जनता को तथा युवाओं को भ्रमित करने का काम किया है। मान्यवर, मेरी सरकार ने बेरोजगार युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर दिलाने का प्रयास किया था। मान्यवर, मैं एक जिम्मेदार सदस्य हूँ इसलिए दो लाख लोगों को रोजगार देने की बात सरकार से नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आज स्थिति क्या है? मान्यवर, कम से कम यह सरकार 10 हजार, 20 हजार बेरोजगारों को तो नौकरी दिला सकते थे।

प्रदेश में पढ़े-लिखे मान्यवर, आप लोगों को रोजगार दें। मान्यवर, हमारे यहां इतने अच्छे युवक हैं, उन्हें नौकरी देने की कोई योजना बनायें। मान्यवर, 11 हजार से ऊपर शिक्षा विभाग में पद खाली हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप प्रति वर्ष 15-20 हजार लोगों को नौकरी पर रखें। मान्यवर, सभी जानते हैं कि नौकरी लगते ही एकदम से पक्की नहीं हो जाती हैं तो मैं चाहता हू कि आप प्रति वर्ष 15 हजार लोगों को कान्टेक्ट पर रखें तो भी वे युवक आने को तैयार हैं। क्या आपने इस पर कभी विचार किया है, आप इस प्रकार की कोई नई योजना क्यों नहीं करते। आप कहें कि इस साल आप 20 हजार लोगों को रोजगार दे रहे हैं, ठीक है उनको आप पहले आधा वेतन दीजिए बाद में वे पक्के हो जायेंगे। मान्यवर, लोक सेवा आयोग से पी0सी0एस0 की परीक्षा होती है। लेकिन, यहां छोटे-छोटे पदों के लिए भी लोक सेवा आयोग से परीक्षा ली जा रही है। मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि कम से कम 20 हजार नवयुवकों के लिए रोजगार देने के लिए बात-चीत करें।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में आपने कहा कि हम किसानों को लाभ देंगे। लेकिन, आज गन्ना किसानों का क्या हाल है, ये सभी जानते हैं। मान्यवर, अगर आप सोचते हैं आप 95–100 रुपया गन्ना किसानों को नहीं दे सकते हैं तो आप कोई अल्टरनेट योजना बना दीजिए। इसको महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण से पूरा हटा दिया गया है। मान्यवर, ये सत्तादल जो है वह तो बहुधा हाथी वालों से भी ज्यादा अनुसूचित जाति के लिए खैरख्वाह मानते हैं।

मान्यवर, हम लोगों ने अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, जनजाति आयोग बनाया। मान्यवर, आज उस आयोग को बने हुये 13–14 महीने हो गये हैं, आप कितना अनुसूचित जाति का ध्यान रखते हैं।

मान्यवर, कितना जनजाति का ध्यान रखते हैं, कितना ओ0बी0सी0 का ध्यान रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अब 50 वकील हो गए हैं, इसलिए यदि आप अलग आयोग बना दें तो यह भी ठीक ही है। मान्यवर, आयोग बना दिया। मान्यवर, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग का आयोग तो बना दिया लेकिन इन लोगों को तनख्वाह तो छोड़ दीजिए अन्य सुविधाएँ भी नहीं मुहैया करायी गयी हैं। मान्यवर, ये भी यहीं के लोग हैं ऐसा तो है नहीं कि ये पाकिस्तान से यहां ला दिए गए हैं। क्या सरकार के अन्दर एक भी संवेदनशील व्यक्ति नहीं रह गया है। इसके बाद मान्यवर, लोकायुक्त बना दिया आपने। ठीक है, अच्छा काम किया आपने उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन उनको एक टाइप करने वाला व्यक्ति भी नहीं दिया गया है, मान्यवर,यदि इसी प्रकार से विभेद किया जाएगा तो कैसे इस प्रदेश का विकास होगा।

मान्यवर, आज आपने इतने आयोग बना दिए हैं, कल को मान लीजिए आपकी सरकार नहीं रहेगी तो क्या ये आयोग समाप्त कर दिए जायेंगे। मान्यवर, आयोग तो यथावत् बने ही रहेंगे। मान्यवर, यह जो आयोग आपने बनाया है, इस आयोग को कोई स्टाफ नहीं मिला है, कोई सुविधा नहीं मिली है, कोई गाड़ी नहीं मिली है, इसके बारे में विचार करना चाहिए। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार यह कहते हैं कि आपके सहयोग से केन्द्र से सहयोग मिलता है, आप अपना सहयोग हाउस चलाने में दीजिए, किन्तु मान्यवर, हमारा दृष्टिकोण इतना छोटा हो गया है कि यदि आयोग में एक दूसरी पार्टी के व्यक्ति को रख दिया जाता है तो उसमें भी विवाद उत्पन्न हो जाता है।

मान्यवर, आप कहते हैं कि वक्फ बोर्ड बना दिया, कब बनाया आपने, मुझे तो पता नहीं। मान्यवर, इसमें हमारे माननीय सदस्य काजी जी का भी नाम नहीं है। काजी निजामुद्दीन जी की आप सब बड़ी प्रशंसा करते हैं और इन्दिरा जी तो इन्हें अपना बेटा ही मानती हैं, किन्तु पार्टी के कारण ऐसा भेद क्यों हो गया।

तो मान्यवर, इस प्रदेश की खुशहाली के लिए हमारे शहीदों ने, हमने जो सपना संजोया था, वह कैसे सच होगा। सबसे ऊपर मान्यवर, यह प्रदेश स्वच्छ, साफ होना चाहिए और विशेष करके इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो छवि है उसके अनुरूप होना चाहिए, लेकिन मान्यवर, हो क्या रहा है। ऐसा लगता है कि गंगा प्रदूषण का डेढ़ करोड़ का जो उपयोग होना था वह अभी तक नहीं हुआ। मान्यवर, कौन सा ऐसा दिन है कि सरकार का कोई न कोई घोटाला प्रकाश में न आता हो।

मान्यवर, कभी–कभी जब बाहर के लोग पढ़ते होंगे अखबार में तो क्या सोचते होंगे। क्या स्थिति होती होगी उत्तरांचल की? घोटालों की खबर रोज अखबार में आ रही है और हमारे मंत्री उसमें जवाब बड़ी आसानी से दे देते हैं। हमारे पूर्व मंत्री ने दवा घोटाले की बात उठायी। तो आपके मंत्री जी ने जवाब दिया कि कुछ कमी पहले से थी। मान्यवर, जब पहले से कमी थी तो अब इनके जमाने में कैसे आ गयी? मान्यवर, पहले नीचे के लोग खाते थे आपस में अब जब नयी सरकार आ गयी तो उन्होंने कहा कि ऊपर का भी हिस्सा चाहिए। जब ऊपर का हिस्सा कटने लगा तो चिल्लाने लगे, कि महा भ्रष्टाचार हो

रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मान्यवर रोज एक नये भ्रष्टाचार की कहानियां सामने आ रही हैं और यह हमारे प्रदेश के लिए घुन के रूप में है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको रोकने का प्रयास होना चाहिए। हम यह नहीं कहते कि एक दिन में खतम कर देंगे लेकिन फिर भी इसको रोकने का प्रयास होना चाहिए। अगर प्रयास नहीं किया गया तो यह भ्रष्टाचार का दावानल जब अपनी चरम सीमा पर पहुँचेगा तो उसमें जलने से कोई नहीं बचेगा। आखिर हमारा नया-नया प्रदेश है। अगर पैसे का सदुपयोग नहीं होगा तो उससे प्रदेश खत्म हो जायेगा और हमारी अगली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। गलत परम्पराएं कहां से आती हैं। मुझे किसी ने बताया कि प्राइवेट गाड़ियों में लाल बत्ती लग रही है अगर ऐसी स्थिति रही तो इससे यही लगता है कि हम लोगों ने सत्ता को सेवा के लिए नहीं भोग के लिए चुना है। मान्यवर, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें अगर हमारे सहयोग की जरूरत हो तो हम तैयार हैं।

मान्यवर, विधायक निधि इसमें भी जब विधायक निधि का पैसा विधायकों को दिया जाता है तो विधायक अपने दिल से पूछे कि उन्होंने ईमानदारी से इस पैसे का सदुपयोग किया है। क्या वास्तव में इसमें कुछ परसेन्ट घूस में जाता है या नहीं जाता है। यह दयनीय स्थिति है। आखिर कैसे अधिकारी हैं वे जो नीचे से ऊपर तक जब तक उनको कमीशन मिलता नहीं तब तक वे काम नहीं करते। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब विधायक मंत्री बन जाता है तो और ही मुश्किल होती है और तब। जब उनकी पत्नियां चुनाव लड़ती हैं।

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि जो बिन्दु मैंने उठाये हैं। उन पर विचार किया जाये। मान्यवर, मैं विज्ञापन के बारे में कहना चाहता हूं। पिछले दिनों मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि उड़ीसा के कलिंगा अखबार में उत्तरांचल के लोक निर्माण विभाग का एक टेण्डर प्रकाशित हुआ है। उन्होंने मुझे अखबार की प्रति भी दिखाई। अब उत्तरांचल के टेण्डर की खबर उड़ीसा में छपवाने का औचित्य मेरी समझ से परे है। मैं नहीं जानता कि वित्त विभाग ने इस पर कितनी रोक लगाई है। मान्यवर, विज्ञापन के लिए पहले आर्डर दिया जाता है और उसके बाद पेमेंट होता है। लेकिन मान्यवर, यहां पर तो एडवांस में 80 लाख का पेमेंट कर दिया गया। (शेम-शेम) मैंने वित्त विभाग से भी कहा कि आप इस पर रोक लगाइये। यदि इस तरह काम होगा तो प्रदेश का भला होने वाला नहीं है।

मान्यवर, मुझे बताया गया कि केन्द्र से पैसा मिला सड़क के लिए, अब जब काम नहीं हुआ तो पूछा गया कि काम क्यों नहीं हुआ? तो बताया गया कि ठेका नीति अभी बन रही है। फिर बड़ी मुश्किल से सड़क का ठेका हुआ तो टेण्डर अस्वीकृत हो गया। क्यों अस्वीकृत हुआ तो बताया गया कि यह बहुत कम का था, इट वाज टू लो। जब पुनः टेण्डर हुआ तो बताया गया कि इट वाज टू हाई। मान्यवर, होता यह है कि जब तक पर्टिकुलर व्यक्ति को टेण्डर नहीं हो जाता तब तक टेण्डर अस्वीकृत होता रहा है।

लोक निर्माण मंत्री श्रीमती इन्दिरा हृदयेश-

मान्यवर, वैसे मेरी बीच में टोकने की आदत नहीं है फिर भी मैं यह कहना चाहती हूँ कि ऐसा एक भी कार्य इस राज्य में लोक निर्माण विभाग में नहीं हुआ है। आप ऐसी किसी घटना का उदाहरण तो दें।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मेरा उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना कदापि नहीं है।

मैं आपसे बोल दूंगा माननीय मंत्री जी और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बोल दूंगा लेकिन किसी को भी नीचा दिखाने की मेरी मंशा नहीं है। मैं इस राज्य में पला बढ़ा हूँ तो मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां इस राज्य के प्रति बनती हैं। मेरी मंशा किसी को भी आरोपित करने की या नीचा दिखाने की नहीं हैं। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में आया है कि बिल एण्ड एकाउन्ट पास किया जायेगा मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता लेकिन इस सदन के अन्दर माननीय मंत्री जी ने कहा है कि अभी वार्षिक योजना का आकार प्रकार तय नहीं हो पाया है और हम काल्पनिक बजट नहीं लाना चाहते हमारे इतने अनुभवी मुख्यमंत्री जी हैं जिन्होंने केन्द्र एवं उत्तर प्रदेश में अब तक 9 बजट पेश किये हैं और उनके होते हम काल्पनिक बजट नहीं ला सकते हैं और अभी बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा भी प्राप्त नहीं हो पाई है उसके बगैर बजट कैसे पेश किया जा सकता है जैसे ही 12वें वित्त आयोग से अनुशंसा मिल जायेगी तो बजट का आकार स्वयं ही बन जायेगा और तब बजट प्रस्तुत कर दिया जायेगा। मान्यवर, मैं तो वित्त के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं रखता हूँ और इसमें यह भी है कि बिना बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के बगैर बजट कैसे रखा जा सकता है।

मान्यवर, मेरी जानकारी के अनुसार बारहवां वित्त आयोग जो 2005 से 2010 तक के लिए है और यह आयोग जो रिपोर्ट देगा वह शायद जनवरी या फरवरी, 2004 तक देगा तो क्या हम तब तक इंतजार करते रहें और आपकी सरकार तब तक लेखानुदान लाती रहेगी? और माननीया संसदीय कार्य मंत्री जी जो बार–बार कहती हैं कि उन्हें 28 वर्ष का लम्बा अनुभव है, जैसा कि मा0 मंत्री जी बताती हैं।

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ, क्या ऐसा, मैंने कहा?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मैंने कहा आपकी अनुपस्थिति में माननीया मंत्री जी ने कहा कि जब 12वां वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट दे देगा तब हम बजट पेश करेंगे। आप यह कह सकते थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है या हमारी योजना आयोग से बात चल रही है। यदि इस प्रकार का बयान कोई जिम्मेदार व्यक्ति देता है, तो उसी से यह पता चल जाता है कि वर्तमान सरकार इस प्रदेश के विषय में कितनी संवेदनशील है, इस प्रदेश के लिए कितना सोचती है और किस लाइन पर चल रही है। मान्यवर, मैंने तो बहुत कम कहा है अभी बहुत से माननीय सदस्यों के अच्छे–अच्छे सुझाव आएंगे। मेरा विश्वास है कि प्रजातन्त्र में विश्वास करने के कारण यदि माननीय मुख्यमंत्री जी को लगता हो कि प्रदेश के हित में हम लोगों का भी कोई योगदान हो तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप हमारे संशोधनों को स्वीकार करेंगे और महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को जनता की भावनाओं के अनुरूप बनाएंगे। इसी के साथ मैं अपने संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मान्यवर, मेरे नाम का रिफ्रेन्स आया है इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष की, मैं ही नहीं बल्कि हमारे सभी माननीय सदस्य इज्जत करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने हमारे माननीय सदस्य श्री फूल सिंह बिष्ट जी को बेचारे विधायक संबोधित करके हम लोगों को नीचे गिरा दिया है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मेरी किसी बात से यदि माननीय सदस्य को कष्ट हुआ हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप ही नहीं बहुत से माननीय सदस्य हमसे मिलते रहते हैं और अपनी बात हमसे कहते हैं। हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है और आपका नाम भी फूल सिंह है इसलिए मैं आपसे विशेष लगाव रखता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, यहां पर मैं दो बातें स्पष्ट कर दूँ। पहली तो यह कि विज्ञापन के लिए कोई भी पैसा एडवांस नहीं दिया गया और दूसरी यह कि यदि कोई महत्वपूर्ण टेण्डर आपके संज्ञान में हो, तो उससे हमें अवगत करा दें। विज्ञापनों के विषय में जब मुझे पता चला तो मैंने वित्त सचिव से बात की।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, हमने वित्त सचिव से बात की, ऐसा कुछ हो रहा है, उस पर सम्भवतः बाद में रोक लग जाये।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, आदेश ही नहीं हुआ था।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे नेता प्रतिपक्ष माननीय कोश्यारी जी ने, राज्यपाल के अभिभाषण पर जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उस पर बल देने के लिए अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, मैं 1991 से लेकर के आज तक लगातार राज्यपाल के अभिभाषण को सुनता रहा और पढ़ता रहा, लेकिन यह यकीन मानिये कि इतनी निराशा कभी पैदा नहीं हुई जितनी कि राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ और सुन कर। यह अभिभाषण उत्तरांचल के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है और सरकार की क्या नीति है उसमें कुछ दिखता नहीं है।

मान्यवर, इस अभिभाषण में न तो कोई नयी दिशा है न कोई सोच न ही कोई चिन्तन है। मेरा एक निवेदन है कि उत्तरांचल राज्य इसलिए बनाया था कि सबसे पहले हम उत्तरांचल राज्य की जनता को रोजगार प्रदान करें। वर्तमान सरकार कहीं पर भी रोजगार देने के लिए तैयार नहीं है। पहले सरकार ने कहा था कि दो लाख लोगों को रोजगार देंगे लेकिन साल भर व्यतीत हो गया है रोजगार नहीं मिला। मेरा सुझाव है कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर हर विभाग के बजट में स्वरोजगार योजना की व्यवस्था कर दें तो रोजगार हम दे पायेंगे, वन विभाग है, पी0डब्ल्यू0डी0, सिंचाई विभाग तथा जल

निगम में ऐसी व्यवस्था हम कर दें तो अच्छा होगा। प्रशासनिक व्यय की कटौती के लिए पिछले साल उल्लेख किया गया था 10 प्रतिशत, शायद यह कटौती नहीं हो पायी, अच्छा होता यदि सरकार यह व्यवस्था करती। पेट्रोल में, गाड़ी खरीद में हम कटौती करेंगे तो इस कटौती से जो पैसा बचेगा उसे हम विकास कार्य में लगाते तो अच्छा होता।

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण बिन्दु है कि बजट का आवंटन हो जाता है मगर उस बजट का सदुपयोग नहीं होता है, इस ओर कभी सरकार ने मुड़ कर नहीं देखा। इससे यह नतीजा निकलता है कि विकास कार्य धरातल पर नहीं होते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण को हमने पढ़ा, हैरानी की बात यह है कि लोकायुक्त की नियुक्ति की गई उसकी नियुक्ति से भ्रष्टाचार कम हो जायेगा। अभी दवाई घोटाला, कम्प्यूटर घोटाला सामने आया है। लोकायुक्त की नियुक्ति से भ्रष्टाचार कम नहीं होगा।

भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों पर नियंत्रण करना पड़ेगा तभी इस प्रदेश का भला होगा। दूसरी बात यह है कि राज्यपाल के अभिभाषण में कहीं पर भी कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरस्त करने का उल्लेख नहीं किया गया जब कि आए दिन हम देख रहे हैं, कि उत्तरांचल जैसे शान्तिप्रिय राज्य में चोरी, डकैती, हत्या तथा बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरस्त करने के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए। मान्यवर, सरकार ने विकल्पधारियों के बारे में कहा था कि 24 घण्टे के अंदर इन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाएगा किन्तु अभी तक कार्यमुक्त नहीं किया गया है यह चिंता का विषय है। ठोस आबकारी नीति आप नहीं बना पाए तथा आप एक ठोस खनन नीति भी नहीं बना पाएं हैं। खनन और आबकारी से राज्य को राजस्व मिलता है अगर आप चिंतन मनन करके एक ठोस आबकारी और खनन नीति बनाते तो उत्तरांचल का भला होता। सरकार को व्यवसायिक खेती पर भी ध्यान देना चाहिए फल पट्टी योजना लागू करनी चाहिए जिस प्रकार की योजना हिमांचल में लागू है उससे उत्तरांचल की जनता को फायदा होता। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में फल पट्टी योजना का उल्लेख नहीं है। मछली पालन व्यवसाय से उत्तरांचल की जनता की इन्कम होगी। साथ ही साथ पर्यटन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। उत्तरांचल में कृषि, उद्यान और पर्यटन तीन ऐसे बिन्दु हैं जो उत्तरांचल के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि वह इन विषयों को छात्रों के पाठ्यक्रम में शामिल करें जिससे छात्रों को इसकी विस्तृत जानकारी मिलेगी और इन उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।

मान्यवर, सबसे ज्यादा विचारणीय बिन्दु यह है कि राज्यपाल के अभिभाषण में कहीं पर भी अफसरशाही को नियंत्रित करने की बात नहीं कही है।

मान्यवर, आप अन्यथा न लें मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं समालोचना के रूप में अपनी बात यहां पर रख रहा हूँ। प्रदेश में अफसरशाही हावी है, विकास कार्य ठप्प पड़े हुए हैं, जनता का उत्पीड़न हो रहा है, जनता में सरकार के प्रति गम्भीर रोष व्याप्त है। मान्यवर, मैं पहले भी कह चुका हूँ सदन की व्यवस्था जनता के हित में हो। मान्यवर, यहां पर जनता के हित की ही बात होनी चाहिए। प्रजातंत्र में जनता सर्वोपरि है। सरकार को चाहिए, जनता के हित में कार्य करें। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का एक शब्द मुझे याद आ रहा है "बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय।" यदि मैं इस शब्द के स्थान पर

"सरकार हिताय, बहुजन दुःखाय" की बात कहूँ तो कोई अतिश्योक्ति न हो। आज चारों तरफ जनता दुःखी है, और हमसे कह रही है कि उत्तरांचल राज्य का गठन हमने जनता के विकास के लिए किया था, परन्तु आज कोई विकास नहीं हो रहा है। इसमें पहले जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी थे, उनको निकाल दिया। इस ओर मैं माननीय लोक निर्माण मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ जब बरसात होती है तो मार्ग बन्द हो जाते हैं, जब लोक निर्माण विभाग से हम कहते हैं तो वे कहते हैं हमारे पास पैसा और आदमी नहीं हैं।

मान्यवर, विद्युत विभाग कहता है हम 24 घंटे बिजली देते हैं, मगर पर्वतीय क्षेत्रों में बिजली का आलम यह है कि बिजली रात के एक बजे आती है। मान्यवर, जब बिजली की आवश्यकता 07 से 10 के बीच होती है, जो बच्चों की पढ़ाई का समय होता है, इस दौरान बिजली नहीं रहती है, बच्चे लालटेन पर पढ़ाई करते हैं। यदि कभी कभार बिजली रहती भी है तो बहुत लो वोल्टेज रहती है। मान्यवर, यह सरकार बड़े–बड़े अधिकारियों की बात तो सोचती है और सोचना भी चाहिए मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ मगर प्रदेश में जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, जो 18–19 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। ये कर्मचारी विद्युत विभाग, सिंचाई विभाग, जल संस्थान आदि विभागों में कार्य कर रहे हैं। इनका विनियमतीकरण नहीं हो रहा है, जोकि सरकार की रणनीति थी हम उनका विनियमतीकरण करेंगे।

मान्यवर, आज प्रदेश की जनता सरकार से दुःखी है और दुःखी इसलिए है कि प्रदेश में, पटवारी नियुक्ति में घोटाला, दवा खरीद में घोटाला, कम्प्यूटर खरीद में घोटाला तथा पुलिस भर्ती में घोटाला, मान्यवर सूचना विभाग में भर्ती की गयी मगर उनके लिए विज्ञापन नहीं निकाला गया।

(व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, कोई नियुक्ति नहीं की गई है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि कोई भर्ती नहीं हुई। पर मुझे जानकारी मिली है भर्ती हुई है, अगर ऐसा नहीं है तो बता दें।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, मेरे संज्ञान में नियुक्ति की बात आई, कुछ नियुक्तियां संविदा के आधार पर हुई हैं। जब मुझे पता चला तो मैंने कहा कि इसका विज्ञापन निकलवाना चाहिए था।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, आप इसकी पूरी जानकारी कर लें।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

ठीक है, जानकारी कर लेंगे।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, जब हम अपने क्षेत्र में जाते हैं तो जनता हमारे कुर्तों को फाड़ती है और कहती है कि कहाँ है पानी और टैक्स लिया जा रहा है। मान्यवर, आप विश्वास मानिये कि 90 प्रतिशत योजनाओं में पानी नहीं चल रहा है और जनता पानी के लिए तड़प रही है। मान्यवर, मैं चाहूँगा कि जनता को पानी दें। मान्यवर, मैं पी0डब्लू0डी0 के भवन में रह रहा हूँ, वहां पर 4 दिन से बिजली नहीं है, वहाँ की बिजली काट दी गई है। मान्यवर, विधायकगण जिस आवास में रह रहा हो और वहां पर 4 दिन से बिजली, पानी न हो तो बताइये मेरे ऊपर क्या गुजर रही होगी। मान्यवर, इस सदन में जितने गम्भीर माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उतना ही गम्भीर हम लोगों को होना चाहिए।

पेयजल मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी)–

मान्यवर, आपने 90 प्रतिशत पानी योजना की बात कही है। तो मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि विगत वर्ष में जिन पानी योजनाओं में नहीं चल रहा था उनमें करीब तीन सौ से अधिक योजनाओं में हमने पानी चलाया।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं शपथ के साथ कहता हूँ कि यदि 90 प्रतिशत योजनाओं में पानी बन्द नहीं होगा और मेरी बात असत्य पायी गयी तो मैं सदन से इस्तीफा दे दूँगा। आप भी पहले विधायक हैं और तब जाकर मंत्री हैं। मेरे ख्याल से अभी आप अपने क्षेत्र में नहीं गए हैं, जब अपने क्षेत्र में जायेंगे तो आपको भी यही आक्रोश झेलना पड़ेगा।

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि मार्च और अप्रैल के माह में मैं घूमा था तो यही सब मिला था जैसा कि आपने बताया क्योंकि विगत कई वर्षों से ये समस्याएं थीं और मैं फिर से कह रहा हूँ कि तल्ला नागपुर में 62 गांव में पानी चल रहा है, 59 गांवों में पूर्ण रूप से चल रहा है और 03 में आंशिक रूप से और यह पानी 65 किलोमीटर से आता है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, यदि आप मेरे पर यकीन करें तो माननीय मंत्री जी को जो रिपोर्ट मिली होगी वही मुझे मिलती है कि पानी चालू कर दिया गया है और बाद में जब मैं जाता हूँ तो पानी नहीं मिलता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपकी सरकार के हित में है, जनता के हित में है, और जब आपकी सरकार के हित में होगा तो हमारे हित में भी होगा, तो मान्यवर, जितने अधिकारी, कर्मचारी हैं उनको कहिए कि क्षेत्र में जायें और दुखी जनता के दर्द को सुनें और उनकी समस्याओं का निराकरण करें और एक ही शब्द होता है अधिकारियों, कर्मचारियों का वे कहते हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, मान्यवर, यह बड़ा ही दुखद उत्तर है। और मैं भी दुखी हूँ। मैं दुखी मंत्री रहा हूँ, क्योंकि पत्रकार बन्धुओं ने मुझे कहा कि मैं दुखी मंत्री हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि अधिकारी, कर्मचारी क्षेत्र में जाकर जनता के दुख–दर्द को सुनें, इसीलिए उनको तनख्वाह दी जाती है। मान्यवर, मैं माननीय पेयजल मंत्री से यह जानना चाहूँगा

कि क्या जल संस्थान, जल निगम का एकीकरण करेंगे, और आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

*डॉ0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। किसी भी सरकार के कार्यों की अभिव्यक्ति राज्यपाल के अभिभाषण में देखने को मिलती है और इस अभिभाषण में एक वर्ष के कार्य–कलाप हैं। मैं सबसे पहले औद्योगिक नीति के लिए जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर उत्तरांचल के लिए प्रस्तावित करायी है, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, बहुत जल्दी ही राज्य–सरकार भी एक औद्योगिक नीति बनाने जा रही है, उसमें कुछ बिन्दु विचारणीय हैं। मान्यवर, इसमें लोकल इन्टरपेनर्स कितने लाभान्वित होंगे, इस पर भी विचार किया जाए। मान्यवर, 3 करोड की इण्डस्ट्री साल में 2 से 3 करोड़ के प्रोडक्ट बनाएगी, बहुत ज्यादा एक्साइज ड्यूटी भी यूनिटों पर नहीं पड़ती। मान्यवर, हमारे यहां बाहर के निवेशक आयेंगे, कहीं ऐसा न हो कि हमारा प्रदेश एक स्टेट एसेम्बली बन कर रह जाए। इसके लिए हमें चौकस रहना होगा।

मान्यवर, कृषि पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और हमारी सरकार ने इसके लिए चार विभिन्न जैसे बासमती, लीची, फ्लोरीकल्चर व मेडीसीनियल प्लांट इसको चिन्हित किया है। हमारी सरकार द्वारा डी0पी0ई0बी0 की सुविधा दी जा रही है उससे कई लोकल उद्योग बहुत लाभान्वित होंगे अभी कल ही केन्द्र सरकार द्वारा घोषित एक्जिम पॉलिसी जिस पर हमारी सरकार द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। सरकार ने इस पर पहले ही कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है यह एक स्वागत योग्य कदम है। साथ में कृषि के लिए डी0पी0ई0बी0 की सुविधा दी जा रही है उससे हमारे लोकल उद्योग बहुत ही लाभान्वित होंगे और उसमें इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। इसमें भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। हमारी सरकार द्वारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स चिन्हित किया जा रहा है यह एक सराहनीय कदम है। एस0ई0जेड0 जो बाहर डी0टी0ए0 में उद्योग हैं अगर डी0टी0ए0 से एस0ई0जेड0 में माल लेने पर उन उद्योगों को लाभ मिलेगा जैसा कि सी0एस0टी0 उन पर टैक्सों की छूट होगी।

मान्यवर, हमारी जो औद्योगिक नीति है उसमें एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन की स्थापना की गयी है। जब कृषि की बात आती है तो यहां जो कृषि के लिए बीज बायो–टेक्नॉलाजी की बात जगह–जगह की जाती है तो हमारी सरकार ने पंतनगर विश्वविद्यालय में एक पूर्णकालिक विशेषज्ञ की नियुक्ति की जा चुकी है और लैब की स्थापना की जा रही है। हमारी सरकार द्वारा बायो–फर्टिलाइजर और नॉन कैमिकल प्रोडेक्ट की ओर ध्यान दिया जा रहा है। आज दिल्ली में एक सर्वे हुआ उसमें देखा कि जो हम सब्जी खा रहे हैं उसमें हैल्थ मैटेरियल हेल्थ के लिए हानिकारक है। हमारी सरकार ने बायो–फर्टिलाइजर पर ध्यान देना पहले से ही शुरू कर दिया है। मान्यवर, सन् 1998 में एक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जी0ओ0 जारी किया गया था जिसके अन्तर्गत मैदानी क्षेत्रों में ट्यूबवेल (नये) नहीं लग पायेंगे। मान्यवर, जो वह जी0ओ0 1998 का है जिसमें यह कहा गया है कि मैदानी क्षेत्रों में नये ट्यूबवेल के लिए पैसा नहीं है। इसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए नये ट्यूबवेल बनाने की अनुमति मिलनी चाहिए।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, हमारी सरकार द्वारा प्लास्टिक और कूड़ा-करकट के निस्तारण की बात कही गई है। आज नगरीय क्षेत्रों में प्लास्टिक एक प्रमुख समस्या बनती जा रही है। मैं चाहूंगा कि इस संबंध में सख्त कानून लागू किया जाये। कूड़ा-करकट निस्तारण संयंत्र लगाने की बात हमारी सरकार ने कही है। इसे शीघ्र लगाया जाये। मान्यवर, वित्तीय प्रबन्धन की बात हमारी सरकार ने कही है। एक सर्वे के अनुसार नगर निगम में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। सरकार द्वारा वित्तीय प्रबन्धन की जो बात कही गई है, वह स्वागत योग्य है। पुलिस के आधुनिकीकरण की बात कही गई है। इसके लिए केन्द्र सरकार ने भी काफी पैसा दिया है। पुलिस की व्यवस्था सुदृढ़ होगी तो अपराधों पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि कहीं यह पुलिस जो हमारी रक्षा के लिए बनी है यह रोड़ होल्डर न बन जाये। मान्यवर, पुलिस की ट्रेनिंग में कुछ दोष रह गया है जिसके कारण पुलिस रक्षक न होकर रोड़ होल्डर बनकर रह गई है।

स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना एक बहुत ही महत्त्वाकांक्षी योजना है और इसमें जैसा पिछले साल देखने को मिला था कि बैंकों से किसी तरह का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। बी0डी0ओ0 कहता है कि वहां सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं और बैंक कहता है कि कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसके लिए यदि संयुक्त निरीक्षण हो तो बहुत लाभकारी होगा। सर्व शिक्षा में हमारी सरकार ने काफी प्रगति की है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जा रहा है। मान्यवर, जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या का दबाव होता है वहां देखा जा रहा है कि बच्चे तो 500 हैं, लेकिन कमरे दो या तीन ही हैं। पिछड़े क्षेत्रों में मूलभूत आवश्यकताएं भी पूर्ण नहीं हैं। जहां तक विद्युतीकरण की बात है मेरा मानना है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष सुधार हुआ है। नियामक बोर्ड की स्थापना की गई है। इससे काफी सुधार आयेगा। इससे हमारे औद्योगिक क्षेत्रों को रिलीफ मिलेगा। मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

श्री नारायण पाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा करने का आपने मुझे अवसर दिया। मान्यवर, सरकार को आज 13 महीने हो चुके हैं और उत्तरांचल राज्य की जो एक अवधारणा थी मैं जब भी उसको देखता हूँ तो कहीं पर तो मुझे बड़ा सुखद अनुभव होता है और कहीं पर ऐसा लगता है कि जो हमारी अवधारणा थी उसमें कहीं पर कोई अवरोध उत्पन्न हो रहा है। पिछले सत्र में जब महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी तो उसमें 2 लाख लोगों को रोजगार देने की बात हो रही थी परन्तु यह आज तक साकार नहीं हो पाया है।

मान्यवर, इस राज्य का निर्माण करने के पीछे जो हमारी नौजवान शक्ति, मातृ शक्ति और जो इस आन्दोलन से जुड़े लोग थे उनकी एक ही अवधारणा थी कि नया राज्य बनेगा वहां पर सब लोगों को रोजगार मिलेगा नये उद्योग-धन्धे लगाये जायेंगे। उनकी जो परिकल्पनायें थी जो उनके सपने थे जो उनके द्वारा सोची गई आवश्यकतायें थी वे कहीं पर पूरी होती नजर नहीं आ रही हैं। अभी मैं माननीय कोश्यारी जी को सुन रहा था माननीय तिवारी जी को भी हम यहां पर सुनते हैं। उनके जैसा अनुभवी मुख्यमंत्री

और कोश्यारी जैसा अनुभवी नेता प्रतिपक्ष हमारे प्रदेश के पास है यह हमारे लिए गौरव की बात है। लेकिन इन सबके बावजूद उस नौजवान के सपने का क्रियान्वयन नहीं हो पाया कि उसे रोजगार मिलेगा, हम अलग इसलिए हुए क्योंकि उस प्रदेश में हमारी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही थी हमने सोचा था नई चीजों को क्रियान्वयन यहां पर किया जायेगा लेकिन कभी-कभी मैं यह देखता हूँ कि वे सपने जो हमने देखे थे वे पूरे नहीं हो रहे हैं इसका क्या कारण है? अभी कुछ दिनों पहले मैंने अखबार में पढ़ा था कि 78 शिक्षक यू0पी0 से वापस आ गये हैं और उनकी सैलरी भी एक साल से नहीं मिल पा रही है, उसमें रूकावट आ रही है।

मान्यवर, मैं प्रैक्टिकल चीजों पर बहस करता हूँ अभी हमने 70 लाख रुपया स्वीकृत कराया था पिछले साल। परन्तु अफसोस की बात है कि अभी तक उस कार्य हेतु टेन्डरिंग भी नहीं हुई है। अभी माननीय कोश्यारी जी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात कही थी तो मान्यवर, उस योजना के अन्तर्गत विधायकों से भी संस्तुति करायी जाती है। लेकिन उसके बाद भी काम में दिक्कतें आ रही हैं। कार्य नहीं हो रहे हैं सड़कें नहीं बन रही हैं। अधिकारी लोगों से सम्पर्क करने पर वे उपस्थित नहीं रहते हैं। मैंने कई बार प्रयास किया कि संबंधित अधिकारी से मिलकर कार्य की प्रगति के बारे में पूछूं परन्तु वे कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं।

मान्यवर, मैं कई बार देखता हूँ कि मेरे क्षेत्र में जो सड़कें बनायी जा रही हैं, दूसरे विभाग के लोग उनके नाम से पैसा ले रहे हैं, उस काम को कागजों में दिखाया जा रहा है। यह बहुत अफसोस की बात है। उत्तरांचल का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में बिजली की जो योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, उनमें से एक भी योजना आज तक शुरू नहीं हो सकी है। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने क्षेत्र में सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर लगाने के लिए अपनी विधायक निधि से 10 लाख रुपया दिया था किन्तु आज तक वहां पर एक भी पोल नहीं लगा है। अगर विकास का कार्य इसी तरह धीमी गति से चलता रहा तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, वास्तविकता के धरातल पर कुछ करके दिखाना होगा। बहुत से विभागों में संविदा पर कर्मचारियों की भर्ती हुई है, इन भर्तियों में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। कल जब ये भर्तियां नियमित हो जाएंगी तो आरक्षण का क्या होगा? एक अधिकारी ने 100 पेड़ काट लिए, मैंने बार-बार उसके खिलाफ जांच कराने की बात कही लेकिन आज तक उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इससे सिद्ध होता है कि एक अधिकारी के सामने विधायक की कोई वैल्यू नहीं है। यह बहुत अफसोस की बात है कि हम लोग एक-दूसरे को खुश करने की नीति पर चल रहे हैं।

आज हमारे उद्योगों की हालत अच्छी नहीं है। समाज कल्याण विभाग की जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, वह धरातल पर कितनी क्रियान्वित हो रही हैं, इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। हमारे लिए यह गौरव की बात है कि हम लोग माननीय तिवारी जी तथा माननीय कोश्यारी जी जैसे महान व्यक्तियों के साथ इस सदन में बैठे हैं। माननीया इन्दिरा हृदयेश जी हमारे लिए माँ के समान हैं तथा समय-समय पर हमारा मार्ग-दर्शन भी करती रहती हैं। इस प्रकार वे हमारी शिक्षिका भी हैं। लेकिन कभी-कभी मैं देखता हूँ कि लोगों ने जिस आशा के साथ हम लोगों को चुन कर यहां पर भेजा

है हम उन आशाओं को साकार रूप नहीं दे पा रहे हैं। स्वास्थ्य के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ, अभी माननीय बेहड़ जी यहां पर नहीं है। मान्यवर, सितारगंज और नानकमत्ता में जो अस्पताल हैं वहां पर सिर्फ एक–एक डाक्टर हैं। कागजों पर जो नीतियां बन गयी हैं, उनको देख–देख कर हम खुश हो रहे हैं। अधिकारी, माननीय मंत्रियों और विधायकों को मिस गाइड कर रहे हैं।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो 42 शहीद हुए हैं उनके आश्रितों को नौकरी दी जा चुकी है। पिछली बार में इस हाउस में बोल रहा था उस समय कहा गया था आश्रितों को नौकरी दी गई है। मैं जो बात यहाँ पर कह रहा हूँ वह एक नजीर बन जायेगी। हमारे क्षेत्र में जो बंगाली समाज है, थारू समाज है उनके उत्थान के लिए कभी–कभी यह समस्या आती है कि तराई के जिलों में स्थायी निवास सर्टिफिकेट नहीं बन रहे हैं। इससे जनता परेशान होती है। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि उत्तरांचल में एन0जी0ओ0 का जाल चल रहा है। मैं एक घटना बताना चाहता हूँ रुद्रपुर में हरियाणा का एक एन0जी0ओ0 लेकर आया था उसे वहाँ पर भारी मात्रा में जमीन उपलब्ध करायी गई और जब वहाँ की जनता ने उसका विरोध किया तो रातों–रात उसको पंतनगर में जमीन दे दी गई, जो बाहर के एन0जी0ओ0 हैं उनको इस तरह से पोषित किया जा रहा है। हमारा जो पैसा है वह कल्याणकारी योजनाओं में खर्च होना चाहिए वह नहीं हो पाया है। मैं एक कल्पना करता हूँ कि जब हमारे नाम से एक नजीर होगी कि वह लोग हाउस के मेम्बर थे।

माननीय कोश्यारी जी ने एक बात कही कि जो विकास कार्यों के लिए पैसा जाता है, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि कोई नेता इस सदन में बता दे कि विकास कार्यों में अधिकारी कमीशन नहीं खाता। मैं कहना चाहता हूँ कि क्या उत्तरांचल में कमीशन रुक सकता है। आज मैं देख रहा हूँ कि कुछ क्षेत्रों में विकास हो रहा है। मैं इन्दिरा हृदयेश जी का सम्मान करता हूँ कि उन्होंने हल्द्वानी में बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की है, सिर्फ हल्द्वानी से नहीं होगा या जहाँ से तिवारी जी जीत कर आये हैं उस क्षेत्र के विकास से नहीं होगा, हमें पूरे उत्तरांचल को देखना है पूरे उत्तरांचल का विकास करना है। माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। इस अभिभाषण को पढ़ने के बाद मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि जो रोजगार देने के स्वप्न पिछले राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में दिए गये थे उसी प्रकार के स्वप्न इस अभिभाषण में भी दिखाए गये हैं। उत्तरांचल के गठन के बाद यहाँ की जनता ने जो कल्पना की थी कि यहाँ पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, उद्योगों की स्थापना होगी तथा ऐसी कोई नीति बनेगी जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा लेकिन अफसोस की ऐसी कोई नीति नहीं बनी है जिससे युवाओं को रोजगार मिले पिछले 13 महीने के अंदर रोजगार देने की कोई कोशिश नहीं की गई और न ही इस प्रकार की कोई नीति बनाई गई।

मान्यवर, उत्तरांचल के अंदर नगरपालिकाओं के चुनाव सम्पन्न हुए चुने हुए उम्मीदवारों को मैं बधाई देता हूँ लेकिन चुनाव के समय परिसीमन का विवाद भी उठा। क्षेत्रों का परिसीमन प्रभावशाली व्यक्तियों के दबाव में आकर किया गया बहुत से स्थानों पर मतदान का बहिष्कार किया गया। मतगणना में भी धांधली हुई। अभिभाषण में कहा गया कि शहीदों के सम्मान के लिए स्मारक बनाये जायेंगे स्मारक बनने भी चाहिएं इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। लेकिन मात्र शहीद स्मारक बनने तथा श्रद्धा सुमन अर्पित करने से शहीदों के परिवार को कोई फायदा नहीं होगा उनके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी मिलनी चाहिए तभी उनके परिवारों की परेशानी दूर होगी उन्हें सरकारी सेवा में प्राथमिकता दी जाए किन्तु मुझे खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया और आंदोलनकारियों के सभी मुकदमें वापस लेने की हास्यास्पद बात कही जा रही है।

आज ही ऋषिकेश के सरोज डिमरी जी के घर में सम्मन आया वे आंदोलनकारी थे अनावश्यक रूप से सदन को गुमराह किया जा रहा है यह बात सही नहीं है। मान्यवर, अभिभाषण में नाम परिवर्तन की बात कही गई है यह ठीक है कि नाम का कोई भावनात्मक पक्ष हो सकता है लेकिन उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए इसके लिए एक अनावश्यक आंदोलन खड़ा हो यह स्थिति भी ठीक नहीं है। राजधानी का मुद्दा अनसुलझा है। माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में बैठे हैं इस सम्बन्ध में एक स्पष्ट घोषणा होनी चाहिए। आखिर हम कहाँ पैसा खर्च करना चाहते हैं राजधानी के नाम पर...

मान्यवर, इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मान्यवर, विभिन्न विभागों के निदेशालय विभिन्न स्थानों पर खोले जाने की मांग हुई थी। मान्यवर, कुछ मुद्दे ऐसे हैं, जिन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी इन मुद्दों का कोई उल्लेख नहीं है। सरकार के नीतिगत फैसले भी सार्वजनिक हो जाते हैं, मंत्रियों के झगड़े हो रहे हैं, पटवारी प्रकरण, पुलिस में भर्ती प्रकरण आदि ऐसे मामले हैं, जिनके प्रति जनता में घोर रोष व्याप्त है। रोजगार में भ्रष्टाचार हो रहा है, कभी भी प्रदेश के बेरोजगार आंदोलित हो सकते हैं। विकास खण्डों को कम्प्यूटर से जोड़ने की बात हुई है। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में तीन विकास खण्ड हैं घाट, पोखरी तथा कर्णप्रयाग तीनों में कम्प्यूटर नहीं है।

मान्यवर, तिवारी जी से प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बहुत उम्मीदें थी, सरकार द्वारा, छोटे–छोटे प्रोजेक्ट बनाये जाने चाहिए थे, जिससे लोगों को रोजगार मिलता नन्द प्रयाग में हिम प्रोजेक्ट है जिससे लोगों को रोजगार मिल सकता है। इसी तरह जड़ी–बूटी उद्योग की स्थापना के लिए भी प्रयास किये जाने चाहिए थे, जिससे क्षेत्र की जनता को रोजगार मिलता। हमारे क्षेत्र में आलू की अच्छी खेती होती है, मगर भण्डारण व्यवस्था अच्छी न होने के कारण, वह खराब हो जाता है। अनेक जगहों पर लकड़ी सड़ी पड़ी रहती है, इसके लिए कास्ट उद्योग की स्थापना की जानी चाहिए थी, परन्तु मान्यवर, इन बातों का महामहिम के अभिभाषण में उल्लेख नहीं है। मान्यवर, पी0डब्लू0डी0 विभाग की टेन्डर नीति के बारे में प्रदेश में रोष व्याप्त है। इस नीति से माननीय मंत्री के खास लोगों को ठेका मिलता है। मान्यवर, यदि आप चाहें तो मैं जो भारत सरकार की टेन्डर नीति के नार्म्स हैं, उनको पटल पर रख सकता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, उत्तरांचल सरकार की अपनी टेन्डर नीति है, हमने वही नीति अपनायी है।

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

मान्यवर, भारत सरकार की नीति के अनुसार ठेकेदार का वार्षिक टर्न ओवर निविदा के कार्य का 2.5 गुना होना चाहिए।

मान्यवर, सतपुली कोटद्वार में कार्य की लागत 13.5 करोड है। ठेकेदार का टर्न ओवर नियमानुसार एक वर्ष में कार्य का 2.5 गुना लगभग 33 करोड होना चाहिए, विभाग द्वारा शर्त बदल कर टर्न ओवर की शर्त 5 साल में 35 करोड़ मांगी गयी जो अनियमितता है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, अब भारत सरकार की नीति पढ़ रहे हैं, आप उत्तरांचल की टेन्डर नीति पढ़ें।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, माननीय सदस्य कुछ नीति के बारे में पढ़ रहे हैं अगर वह गलत है तो माननीय मंत्री जी बतायें कि यहाँ की नीति क्या है। कृपया बता दें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

ठीक है, हम बता देंगे।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, यह सदन का अधिकार है, अगर आपकी कोई नीति है तो बता दें।

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

मान्यवर, स्टैण्डर्ड कोड 4.5 बी (बी) के अनुसार 30 करोड़ तक के काम पर एक प्रोजेक्ट मैनेजर, साइट इन्जीनियर–1, प्लांट इन्जीनियर–1, स्वायल मैटिरियल इन्जी0–1, सर्वे इन्जीनियर–1, कुल 6 तकनीकी स्टॉफ होना चाहिए। लेकिन, विभाग द्वारा लगातार गुणवत्ता बनाने पर जोर दिया जा रहा है। किन्तु ठेकेदार को लाभ पहुंचाने हेतु तकनीकी स्टॉफ जिसमें गुणवत्ता नियंत्रण हेतु साइट इन्जी0, प्लांट इन्जीनियर, क्वांटिटी इन्जीनियर, स्वायल मैटिरियल इन्जीनियर, सर्वे इन्जीनियर की शर्त हटाकर सिर्फ। प्रोजेक्ट मैनेजर एवं अन्य लिखा है, जो कि बड़ी अनियमितता है। मान्यवर, विभाग द्वारा इसे टेन्डर से निकाल दिया गया है।

मान्यवर, कार्य की अधिकतम प्रगति के समय उसके पास तीन महीने का क्रेडिट कैश होना चाहिए और इसमें 13.5 करोड पूर्ण करने की अवधि एक वर्ष है और इसमें 4.5 करोड होनी चाहिए थी, पर विभाग द्वारा कैश क्रेडिट 4.5 करोड के स्थान पर लगभग 3 करोड़ किया गया, मान्यवर, यह भी किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचाने के लिए किया गया।

मान्यवर, एस0 आर0 एस0 डी0 योजना के अन्तर्गत 5.36 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी। मान्यवर, इसमें 52 कार्यों का निर्धारण हुआ है जिसके अनुसार 33 कार्य कुमायूँ क्षेत्र में एवं 19 कार्य गढ़वाल क्षेत्र में किये जायेंगे, अकेले हल्द्वानी क्षेत्र के लिए 10 योजनायें हैं। मान्यवर, बागेश्वर, चम्पावत, पिथौरागढ़ जनपदों को छोड़ दिया गया है। मान्यवर, पिछले बजट में निर्माण कार्यों के लिए 269 करोड़ का प्राविधान किया गया था, इसके अतिरिक्त मरम्मत के लिए 5 करोड़ तथा क्षतिग्रस्त पुलों के निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी। मान्यवर, 269 करोड़ में से अभी तक जिलों को 1 रुपया भी नहीं दिया गया, वह पैसा कहाँ गया इसकी जानकारी सदन को आनी चाहिए। मान्यवर, पौड़ी जनपद में कॉसर खेत में जो निर्माण कार्य हो रहा है उसमें पत्थर की आपूर्ति ज्वालापुर से हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या वे पत्थर पौड़ी में नहीं मिलता है। मुझे लगता है कि पत्थरों की आपूर्ति में अभियन्ता का हाथ है।

मान्यवर, क्या पौड़ी के अन्दर पत्थर भी नहीं हैं जो ज्वालापुर से पत्थर जायेंगे। मान्यवर, एक आदेश सभी जिलों के पी0डब्लू0डी0 के अधिकारियों को गया है कि अब प्रत्येक भूमि का पूजन एवं शिलान्यास स्वयं मंत्री जी करेंगी, लेकिन मान्यवर, इस तरह के लिखित आदेश स्वाभाविक रूप से किसी अधिकारी को देना उचित नहीं है। मान्यवर, ऐसा आदेश हुआ है आप अधिकारियों से प्राप्त कर सकते हैं। मान्यवर, विद्युतीकरण का विषय पूर्व में आया, लेकिन आज पूरे प्रदेश में विद्युतीकरण की स्थिति ठीक नहीं है।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्र द्वारा चयनित बेरोजगार युवकों को उद्योग चलाने हेतु बैंकों से ऋण दिलाये जाने की प्रक्रिया को सरल किये जाने के संबंध में नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि "इस सदन का सुविचारित मत है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्र द्वारा चयनित बेरोजगार युवकों को उद्योग चलाने हेतु बैंकों से ऋण दिलाने की प्रक्रिया को सरल किया जाए"।

श्री अध्यक्ष–

इस पर चर्चा जारी रहेगी।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 51 के अन्तर्गत 10 सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं जिसमें से श्री बिशन सिंह चुफाल जी की सूचना को नियम 51 के अन्तर्गत तथा श्रीमती विजय बड़थ्वाल जी की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूँ।

अब हम उठते हैं कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 06 बजकर 04 मिनट पर बुधवार 02 अप्रैल, 2003 को दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)।

देहरादून
दिनांक : 01 अप्रैल, 2003

महेश चन्द्र,
सचिव, विधान सभा,
उत्तरांचल।

नत्थी "क"

(देखिए अता0 प्र0 सं0–10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 24 पर)

श्रेणी	श्रेणीवार कुल पंजीकृत ठेकेदार	कार्य करने वाले ठेकेदारों की संख्या
1	2	3
श्रेणी 'ए'	35	6
श्रेणी 'बी'	06	1
श्रेणी 'सी'	84	6
श्रेणी 'डी'	458	297
योग	583	310

नत्थी "ख"

(देखिए अता0 प्र0 सं0–29 का उत्तर पीछे पृष्ठ 30 पर)

परिशिष्ट–क

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना

वित्तीय प्रगति (लाख रु0 में) फरवरी 2003

क्र0 सं0	जनपद	1.4.2002 को अवशेष			2002–03 का परिव्यय			2002–03 में अवमुक्त			अन्य प्राप्तियां	कुल उपलब्ध धनराशि (5+11+12)	गत वर्ष 1.4.02 के सापेक्ष व्यय		माह में व्यय	क्रमिक व्यय		
		केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल	केन्द्रांश	राज्यांश	कुल			केन्द्रांश	राज्यांश		केन्द्रांश	राज्यांश	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	देहरादून	36.605	4.65	41.25	45.32	15.11	60.43	32.55	10.85	43.40	—	84.65	36.61	4.65	16.23	59.39	18.57	77.96
2.	चमोली	49.94		49.94	43.50	14.50	58.00	48.88	10.42	59.30	3.09	112.33	49.94	—	12.44	92.67	10.42	103.09
3.	उत्तरकाशी	15.35	5.12	20.47	49.20	16.40	65.60	59.94	11.78	71.72	20.00	121.19	15.35	5.12	6.81	84.03	12.59	96.62
4.	पौड़ी	76.50	25.51	102.01	47.44	15.81	63.25	28.81	9.60	38.41		140.42	76.50	25.51	9.83	79.91	26.64	106.55
5.	रुद्रप्रयाग	0.86	8.06	8.92	23.32	7.77	31.09	42.96	6.54	49.50	4.61	63.03	0.86	8.06	3.58	32.37	10.13	42.50
6.	टिहरी	22.28		22.28	86.58	28.86	115.44	62.19	20.73	82.92		105.20	22.28	0.00	6.37	55.93	12.25	68.18
7.	हरिद्वार	89.02	24.16	113.18	33.04	11.01	44.05	23.73	13.41	37.14		150.32	44.99	12.16	7.09	57.66	17.67	75.33
	गढ़वाल मण्डल	290.56	67.50	358.05	328.40	109.47	437.87	299.06	83.33	382.39	36.70	777.14	246.53	55.50	63.16	461.96	108.27	570.23
1.	अल्मोड़ा	5.49		5.49	61.10	20.37	81.47	62.22	20.78	83.00		88.49	5.49		7.78	65.34	20.74	86.08
2.	ऊ0सिंह नगर	8.23	2.75	10.98	57.81	19.27	77.08	41.53	17.11	58.64		69.62	8.23	2.75	6.00	42.23	14.65	56.88
3.	बागेश्वर	4.98	3.12	8.10	23.02	7.67	30.69	25.34	5.51	30.85	1.86	40.81	4.98	3.12	3.73	26.19	6.96	33.15
4.	पिथौरागढ़	57.90	13.18	71.08	36.55	12.18	48.73	46.91	13.11	60.02		131.10	39.60	13.18	12.54	75.95	25.32	101.27
5.	नैनीताल	33.26		33.26	29.32	9.77	39.09	35.72	7.02	42.74	31.47	107.47	33.26		6.54	70.35	7.02	77.37
6.	चम्पावत	9.67		9.67	16.10	5.37	21.47	19.61	3.85	23.46		33.13	9.67		2.90	17.97	3.85	21.82
	कुमाऊँ मण्डल	119.53	19.05	138.58	223.90	74.63	298.53	231.33	67.38	298.71	33.33	470.62	101.23	19.05	39.49	298.03	78.54	376.57
	कुल योग	410.09	86.55	496.63	552.30	184.10	736.40	530.39	150.71	681.10	70.03	1247.76	347.76	74.55	102.65	759.99	186.81	946.80

नोट : जनपद रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, को गतवर्ष का केन्द्रांश रु0 11.66, 18.33 लाख वर्ष 2002–03 में प्राप्त हुआ, हरिद्वार, पिथौरागढ़, ऊधमसिंह नगर को गतवर्ष के केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश 506, 357, 327 कुल 12346 ला0 इस वर्ष प्राप्त हुआ (2) जनपद अल्मोड़ा को राज्यांश 16.33 लाख रु0 अति0आई0आर0डी0पी0 मद से खर्च करने की स्वीकृति प्राप्त हुई।

भौतिक प्रगति स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना (स्वरोजगारियों की संख्या) फरवरी 2003

क्र0 सं0	जनपद	1.4.99 से 31.3.02 तक गठित समूह सं0	2002–03 में समूह गठन का लक्ष्य बैंक लोन सहित	योजना आरम्भ से कुल समूह सं0 का लक्ष्य (3+4)	माह में गठित समूह सं0	2002–03 में क्रमिक गठित समूह सं0	कुल गठित समूह (3+7)	कुल गठित समूह का प्रति0	1.4.2002 से माह तक आच्छादित स्वरोजगारी सं0						1.4.99 से माह तक कुल आच्छादित स्वरोजगारी सं0						ग्रेडिंग	
									अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	अन्य	योग	महिला	विकलांग	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	अन्य	योग	महिला	विकलांग	प्रथम	द्वितीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	उत्तरकाशी	1172	605	1677	48	406	1578	94	711	20	1842	2573	1159	1	4118	40	11383	15541	8886	1	786	126
2.	पौड़ी	920	698	1618	80	457	1377	85	457	28	3003	3488	775	6	4048	28	9261	13337	6614	7	548	205
3.	चमोली	381	1101	1482	100	877	1258	85	2044	363	4651	7058	2731	3	2845	672	7789	11306	5069	3	385	173
4.	रुद्रप्रयाग	390	404	794	8	248	638	80	638	—	1434	2072	1075	2	1350	—	4928	6278	3837	8	245	67
5.	हरिद्वार	565	541	1106	31	287	852	77	1137	10	1931	3078	928	10	4015	79	5190	9284	4019	25	416	140
6.	टिहरी	605	1819	2424	105	1074	1679	69	2504	632	6446	9582	5342	31	4181	1282	11481	16944	9547	70	601	145
7.	देहरादून	658	886	1544	17	377	1033	67	858	763	2321	3942	2494	—	2186	2215	6927	11328	6529	8	573	119
	गढ़वाल मण्डल	4689	5956	10645	457	3726	8415	79	8349	1816	21628	31793	14504	53	22743	4316	56959	84018	44592	120	3514	970
1.	नैनीताल	1021	—	1021	—	7	1028	101	13	—	61	74	64	—	4807	—	6957	11764	6662	—	631	121
2.	पिथौरागढ़	659	586	1245	41	275	934	75	564	74	2116	2754	520	2	3016	482	7154	10652	3657	2	317	102
3.	ऊधमसिंह नगर	663	1307	1970	70	622	1285	65	345	982	4898	6225	2650	5	1115	2670	9097	12882	4350	10	380	62
4.	बागेश्वर	412	486	898	3	135	547	61	570	36	818	1424	519	—	2414	76	3516	6006	2968	—	263	54
5.	अल्मोड़ा	950	1132	2082	—	156	1106	53	824	—	103	927	815	4	4472	—	8615	13087	5863	32	469	140
6.	चम्पावत	211	426	637	13	84	295	46	182	—	471	653	297	—	703	—	2315	3018	1507	—	122	42
	कुमायूं मण्डल	3916	3937	7853	127	1279	5195	66	2498	1086	8467	12057	4865	11	16527	3228	37654	57409	25022	44	2082	541
	कुल योग	8605	9893	18498	584	5005	13610	74	10847	2902	30095	43850	19369	64	39270	7544	94613	141427	69614	164	5596	1511

भौतिक प्रगति स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (स्वरोजगारियों की संख्या) फरवरी 2003

क्र० सं०	जनपद	वर्ष 2002–03 में वित्त पोषित समूह सं०	प्रारम्भ से कुल वित्त पोषित समूह सं०	वित्त पो० स्वरोजगारियों की सं० कालम में 26 के सापेक्ष	कालम 27 के सापेक्ष श्रेणीवार वित्त पोषित स्वरोजगारियों की सं०						प्रशिक्षित स्वरोजगारियों की सं०	व्यक्तिगत स्वरोजगारी सं०			योजना प्रारम्भ से अद्यतन कुल लाभान्वित स्वरो० सं०	कालम (38) के सापेक्ष वित्त पोषित व्यक्तिगत स्वरोजगारियों की सं०					
					अनु० जाति	अनु० जन जाति	अन्य	योग	महिला	विकलांग		लक्ष्य 2002-03	माह की पूर्ति	क्रमिक की पूर्ति		अनु० जाति	अनु० जन जाति	अन्य	योग	महिला	विकलांग
1	2	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
1.	पौड़ी	46	102	992	303	10	679	992	553	—	10464	—	—	139	1547	599	—	948	1547	358	—
2.	चमोली	61	119	1279	260	196	829	1279	790	—	1701	—	15	105	1733	431	127	1175	1733	486	1
3.	रुद्रप्रयाग	24	38	400	45	—	355	400	267	1	3043	—	—	23	842	224	—	618	842	246	7
4.	टिहरी	25	70	788	167	32	589	788	685	12	7656	—	—	7	2847	883	228	1736	2847	1141	27
5.	देहरादून	39	57	618	93	41	484	618	408	—	459	—	4	21	1907	356	523	1028	1907	778	—
6.	उत्तरकाशी	31	64	642	167	10	465	642	302	1	744	—	4	102	2376	781	72	1523	2376	1118	2
7.	हरिद्वार	15	60	689	246	—	443	689	452	—	4817	—	4	4	1323	591	—	732	1323	325	5
	गढ़वाल मण्डल	241	511	5408	1281	283	3844	5408	3256	14	28883	6	27	401	12676	3866	950	7760	12676	4460	42
1.	चम्पावत	6	27	287	59	—	228	287	176	—	385	—	—	14	754	184	8	557	754	189	—
2.	पिथौरागढ़	45	75	750	133	40	577	750	243	—	3030	—	15	103	1765	603	157	1005	1765	453	—
3.	नैनीताल	36	66	687	234	—	443	687	622	—	2086	—	—	15	1426	488	5	933	1426	650	3
4.	अल्मोड़ा	36	68	693	249	—	444	693	320	5	504	—	29	139	2967	1019	—	1048	2967	1341	40
5.	बागेश्वर	8	15	180	91	—	89	180	54	—	1045	—	—	0	1130	582	12	536	1130	437	—
6.	ऊधमसिंह नगर	27	65	655	80	212	363	655	286	—	655	—	—	9	2322	296	507	1519	2322	1050	—
	कुमाऊँ मण्डल	158	316	3262	866	252	2144	3262	1620	5	9707	0	44	280	10363	3177	699	6497	10363	4120	43
	कुल योग	399	827	8670	2147	535	5988	8670	4876	19	38590	0	71	681	22938	7042	1638	14257	22938	8670	85

समूह गठन का विवरण

फरवरी 2003

क्रम संख्या	जनपद	प्रारम्भ से 31.3.2002 तक गठित समूह				1.4.2002 से माह तक गठित				कुल गठित समूह				कुल गठित समूह में श्रेणीवार समूहों की सं०				
		महिला	पुरुष	संयुक्त	योग	महिला	पुरुष	संयुक्त	योग	महिला	पुरुष	संयुक्त	योग	अनुजाति	जन जाति	अन्य	योग	विकलांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	रुद्रप्रयाग	185	93	112	390	115	70	63	248	300	163	175	638	89	—	549	638	—
2.	उत्तरकाशी	580	209	383	1172	146	93	167	406	726	302	550	1578	229	4	1345	1578	—
3.	टिहरी	298	160	147	605	465	311	298	1074	763	471	445	1679	385	132	1162	1679	—
4.	पौड़ी	294	128	498	920	67	49	341	457	361	177	839	1377	81	1	1295	1377	—
5.	चमोली	128	118	135	381	251	370	256	877	379	488	391	1258	158	70	1030	1258	—
6.	देहरादून	288	229	139	658	214	104	59	377	502	333	198	1033	113	214	706	1033	1
7.	हरिद्वार	238	244	85	565	77	170	40	287	313	414	125	852	320	6	526	852	5
	गढ़वाल मण्डल	2009	1181	1499	4689	1335	1167	1224	3726	3344	2348	2723	8415	1375	427	6613	8415	6
1	अल्मोड़ा	387	347	206	960	98	40	18	156	405	367	224	1106	376	—	730	1106	—
2.	नैनीताल	484	317	220	1021	7	—	—	7	401	317	220	1028	224	—	804	1028	—
3.	ऊधमसिंह नगर	210	310	143	663	122	118	382	622	332	428	525	1285	122	256	907	1285	2
4.	पिथौरागढ़	206	193	260	659	27	92	156	275	233	285	416	934	135	16	783	934	—
5.	चम्पावत	103	29	79	211	15	10	59	84	118	39	138	295	35	—	260	295	—
6.	बागेश्वर	135	166	111	412	56	43	37	135	190	209	148	547	181	3	363	547	—
	कुमाऊँ मण्डल	1535	1362	1019	3916	324	303	632	1279	1859	1665	1671	5195	1073	275	3847	5195	2
	कुल योग	3544	2543	2518	8605	1650	1470	1876	5005	5203	4013	4394	13610	2448	702	10460	13610	8

नत्थी "ग"

(देखिए अता0 प्र0 सं0–89 का उत्तर पीछे पृष्ठ 54 पर)

उत्तरांचल में लोक निर्माण विभाग के अधीन जनपदवार पक्के, कच्चे मार्गों की लम्बाई की सूचना

उत्तरांचल लोक निर्माण विभाग, देहरादून

क्र0 सं0	जनपद	मोटर मार्ग (कि0मी0)			हल्का वाहन मार्ग (कि0मी0)			योग (कि0मी0)		
		पक्का	कच्चा	योग	पक्का	कच्चा	योग	पक्का	कच्चा	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	उत्तरकाशी	504	304	808	07	78	85	511	382	893
2.	देहरादून	891	637	1528	87	303	390	978	940	1918
3.	हरिद्वार	858	42	900	—	—	—	858	42	900
4.	टिहरी गढ़वाल	679	823	1502	02	472	474	681	1295	1976
5.	पौड़ी गढ़वाल	1150	1941	3091	14	481	495	1164	2422	3586
6.	चमोली	421	367	788	04	239	243	425	606	1031
7.	रूद्रप्रयाग	182	286	468	—	51	51	182	337	519
8.	पिथौरागढ़	517	386	903	01	79	80	518	465	983
9.	चम्पावत	261	188	449	01	99	100	262	287	549
10.	अल्मोड़ा	969	692	1661	—	68	68	969	760	1729
11.	बागेश्वर	253	183	436	—	37	37	253	220	473
12.	नैनीताल	884	370	1254	04	136	140	888	506	1394
13.	ऊधमसिंह नगर	1389	14	1403	—	—	—	1389	14	1403
	योग :–	8,958	6,233	15,191	120	2,043	2,163	9,078	8,276	17,354

नत्थी घ

(देखिए अता0 प्र0 सं0–91 का उत्तर पीछे पृष्ठ 56 पर)

परिशिष्ट

रेंजवार एवं वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है–

रेंज का नाम	वर्ष 2001–02			वर्ष 2002–03		
	चैक डैम पर व्यय (रु0)	वनीकरण पर व्यय (रु0)	योग	चैक डैम पर व्यय (रु0)	वनीकरण पर व्यय (रु0)	योग
1. धर्मगंगा (टिहरी डैम–1 वन प्रभाग)	258137	2356339	3114476	187453	861842	1049295
2. नैलचामी (टिहरी डैम–1 वन प्रभाग)	701813	2600089	3301902	402172	784908	1187080
3. बालगंगा (टिहरी डैम–1 वन प्रभाग)	710101	2620748	3330849	425157	766629	1191786
4. धारकोट (आंशिक) (टिहरी डैम–1 वन प्रभाग)	24735	–	24735	33008	–	33008
5. भिलंगना (टिहरी वन प्रभाग)	87409	575542	662951	–	382493	382493
6. बालगंगा (टिहरी वन प्रभाग)	55452	681627	737079	–	321118	321118
7. पौखाल (आंशिक) (टिहरी वन प्रभाग)	–	44006	44006	–	52394	52394
	2337647	8878351	11215998	1047790	3169384	4227174

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 17 विधान सभा/241–20–9–2003–200 पुस्तकें (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।